

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2025—माघ 25, शक 1946

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रबर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

राज्य शासन के आदेश  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र. ई-1-10-2025-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में  
दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

### तालिका

क्र. अधिकारी का नाम / बैच  
एवं वर्तमान पदस्थापना

नवीन पदस्थापना

खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने  
की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष  
घोषित किया गया

(1) (2)  
1. सुनील निधि सिंह (2019),  
अपर आयुक्त,  
नगर पालिका निगम भोपाल.

(3)  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त,  
ग्रामालियर.

(4)  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

क्र. ई-1-233-2024-5-एक.—इस विभाग के समसंचयक आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2024 द्वारा आवंटन वर्ष 2021 के अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2025 से वरिष्ठ समय वेतनमान (रुपये 67,700-2,08,700) (पे-मेट्रिक्स-11) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) राज्य शासन एतद्वारा सुश्री सौम्या आनंद, भाप्रसे (2021), सहायक कलेक्टर, जिला शहडोल को भा. प्र. से के वरिष्ठ समय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, दिनांक 1 जनवरी 2025 से वरिष्ठ समय वेतनमान (रुपये 67,700-2,08,700) (पे-मेट्रिक्स-11) की स्वीकृति प्रदान करता है।

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2025

क्र. ई-1-16-2025-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री भरत यादव (2008), सचिव, मुख्यमंत्री तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल.	सचिव मध्यप्रदेश शासन.
2.	श्री सिबि चक्रवर्ती एम. (2008), आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मुख्यमंत्री तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
3.	श्री ललित कुमार दाहिमा (2008), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग.	सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर.	—
4.	श्री अविनाश लवानिया (2009), सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.	—
5.	श्रीमती प्रीति मैथिल (2009), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्रीमती वंदना वैद्य (2009), वि. क. अ.-सह-अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPCET) (अतिरिक्त प्रभार).	संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPCET) तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
7.	श्री सतेन्द्र सिंह (2009), कलेक्टर, जिला गुना.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
8.	श्री मनीष सिंह (2009), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथाँरिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथाँरिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
9.	श्री कर्मवीर शर्मा (2010), कलेक्टर, जिला खरगौन.	आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
10.	श्री भास्कर लक्षकार (2010), प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	वि. क. अ.-सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
11.	श्रीमती नेहा मारव्या सिंह (2011), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.	कलेक्टर, जिला डिण्डोरी	

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	श्री प्रबोण सिंह अढायच (2012), कलेक्टर, जिला सीहोर.	संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
13.	श्री अनुराग वर्मा (2012), कलेक्टर, जिला सतना.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
14.	डॉ. फटिंग राहुल हरिदास (2012), कलेक्टर, जिला बड़वानी.	आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
15.	श्रीमती हर्षिका सिंह (2012), संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश, तथा आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल.	—
16.	श्री अवधेश शर्मा (2012), कलेक्टर, जिला टीकमगढ़.	वि.क.अ.-सह-आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
17.	श्री तर्झन भट्टाचार (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग.	अपर आयुक्त (राजस्व), इन्दौर, संभाग इन्दौर.	—
18.	श्री अरविन्द कुमार दुबे (2012), कलेक्टर, जिला रायसेन.	अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार).	—
19.	श्री विवेक श्रोत्रिय (2012), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए).	कलेक्टर, जिला टीकमगढ़	—
20.	श्री सतीश कुमार एस. (2013), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग.	कलेक्टर, जिला सतना	—

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	श्री फ्रेंक नोबल ए. (2013), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम, भोपाल तथा संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
22.	श्री अनूप कुमार सिंह (2013), कलेक्टर, जिला खण्डवा.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.	—
23.	श्री किशोर कुमार कन्याल (2013), कलेक्टर, जिला श्योपुर.	कलेक्टर, जिला गुना	—
24.	श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा (2014), अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.	कलेक्टर, जिला रायसेन	—
25.	श्री ऋषव गुप्ता (2014), कलेक्टर, जिला देवास.	कलेक्टर, जिला खण्डवा	—
26.	सुश्री भव्या मित्तल (2014), कलेक्टर, जिला बुरहानपुर.	कलेक्टर, जिला खरगौन	—
27.	श्री हर्ष सिंह (2015), कलेक्टर, जिला डिण्डोरी.	कलेक्टर, जिला बुरहानपुर	—
28.	श्री ऋतु राज (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल.	कलेक्टर, जिला देवास	—
29.	श्री अर्पित वर्मा (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह.	कलेक्टर, जिला श्योपुर	—
30.	श्री बालागुरु के. (2015), अतिरिक्त प्रबंध संचालक, जिला निगम, भोपाल.	कलेक्टर, जिला सीहोर	—
31.	सुश्री गुंचा सनोबर (2015), अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.	कलेक्टर, जिला बड़वानी	—
32.	श्री राजेश कुमार जैन (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर.	—
33.	श्री प्रताप नारायण यादव (2016), प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	श्री अनुराग सक्सेना (2016), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग.	प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
35.	श्रीमती अंजू अरूण कुमार (2017), अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
36.	श्री प्रथम कौशिक (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना.	अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
37.	श्री संघ प्रिय (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, फना.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर.	—
38.	श्री अमन वैष्णव (2018), आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नीमच.	—
39.	सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आगर-मालवा.	अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
40.	श्री अक्षय कुमार तेम्रवाल (2018), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया.	—
41.	डॉ. नेहा जैन (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर.	—
42.	श्री कमलेश कुमार भार्गव (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना.	—

(2) श्री गिरीश शर्मा (2011) परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) श्री जगदीश कुमार गोमे (2016), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, निवेश संवर्धन, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(4) श्री अमित तोमर (2009), पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा सचिव “कार्मिक”, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल सचिव “कार्मिक”, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

(5) उपरोक्तनुसार श्री अविनाश लवानिया द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे (1993), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(6) उपरोक्तनुसार श्री भास्कर लक्षकार द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे (2004), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रबंध संचालक, दि-प्रेविडेंट, इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(7) उपरोक्तनुसार डॉ. फटिंग राहुल हरिदास द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय कुमार शुक्ल, भाप्रसे (1994) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(8) उपरोक्तनुसार श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम, भोपाल तथा संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उमाकांत उमराब, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उम विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम, भोपाल तथा संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम, भोपाल तथा संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(9) उपरोक्तनुसार श्री अनूप कुमार सिंह द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्डौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रजनी सिंह, भाप्रसे (2013), वि. क. अ.-सह-उम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्डौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्डौर (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्डौर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(10) श्रीमती अंजू अरूण कुमार द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे (2016), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. ई-1-17-2025-5-एक.—नीचे तालिका के कालम (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष कालम (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थि किया जाता है:—

#### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री रत्नाकर झा (2012), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उम विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी / ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग, उज्जैन.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2025

क्र. ई-1-238-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रूपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम / बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थाना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अनिरुद्ध मुकर्जी (1993), आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	वि. क. अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष राजस्व मण्डल

(2) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 फरवरी 2025 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग जैन, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2025

क्र. GAD-6-0002-2025-GAD-एक.—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री प्रेम नारायण सिंह, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-8837(दो-1-10-2024), दिनांक 18 दिसम्बर 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 4 से 8 नवम्बर 2024 तक, पाँच दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0003-2025-GAD-एक.—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री विवेक अग्रवाल, उच्च न्यायालय, जबलपुर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-6048(दो-1-12-2019), दिनांक 23 दिसम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 26 दिसम्बर 2024 से 31 दिसम्बर 2025 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt. (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह द्वितीय अवसर है।

क्र. GAD-6-0004-2025-GAD-एक .—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री आनंद पाठक, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ गवालियर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-5931(दो-1-7-2021), दिनांक 18 दिसम्बर 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 22 दिसम्बर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt. (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह द्वितीय अवसर है।

क्र. GAD-6-0005-2025-GAD-एक .—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री द्वारकाधीश बंसल, उच्च न्यायालय, जबलपुर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-5929(दो-1-7-2023), दिनांक 18 दिसम्बर 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 22 दिसम्बर 2024 से 29 दिसम्बर 2025 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt. (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह द्वितीय अवसर है।

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. GAD-6-0006-2025-GAD-एक.—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री दिनेश कुमार पालीवाल, उच्च न्यायालय, जबलपुर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-8839(दो-1-23-2024), दिनांक 18 दिसम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 12 से 22 नवम्बर 2024 तक ग्यारह दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. GAD-6-0007-2025-GAD-1-एक.—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री जी. एस. अहलुवालिया, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-5925(दो-1-4-2018), दिनांक 18 दिसम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 11 दिसम्बर 2024 तक का एक दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 अंतर्गत प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2025

क्र. GAD-6-0002-2025-GAD-एक.—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री प्रेम नारायण सिंह, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-8841(दो-1-10-2024), दिनांक 18 दिसम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 21 दिसम्बर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt. (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह पांचवा अवसर है।

क्र. GAD-6-0008-2025-GAD-एक.—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री संजय द्विवेदी, उच्च न्यायालय, जबलपुर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-5927(दो-1-4-2020), दिनांक 18 दिसम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 25 नवम्बर 2024 का एक दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. 2538147-2025-GAD-एक.—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री संजीव एस. कालगांवकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इंदौर को डी. आर.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-8835(दो-1-16-2024), दिनांक 18 दिसम्बर 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 6 दिसम्बर 2024 का एक दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 एवं 8 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 अंतर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कटेसरिया, उपसचिव,

## विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2025

क्र. 431-2025-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री इंदु कांत तिवारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर का स्थानांतरण चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर के रिक्त पद पर होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2025

फा. क्र. 404-इक्कीस-ब (एक) 2025.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक, दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 22 तथा 31 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु. क्र.	जिले का नाम	सारणी	न्यायाधीश
(1)	(2)		का नाम तथा पदनाम
“22.	मंडसौर		श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंडसौर के न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश।
31.	सागर		श्री प्रशांत कुमार, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर।”।

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 404-XXI-(B-I)-2025.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following farther amendment in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013 dated 11<sup>th</sup> September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20<sup>th</sup> September 2013, namely :—

### AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 22 and 31 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
“22.	Mandsaur	Shri Munendra Singh Verma, Additional Judge to the court of I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge, Mendsaur.
31.	Sagar	Shri Prashant Kumar, District and Additional Sessions Judge, Sagar.”.

(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2025

फा. क्र. 458-इकीस-ब (एक)-2025.—माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 699-2016-अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के अनुपालन में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश डैकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (1) तथा उपधारा (1-ए) के उपबंधों के अनुसार एवं अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49), मध्यप्रदेश डैकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) एवं अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) के अधीन पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों के विशेष न्यायालय के रूप में अधिहित करता है, जिनका मुख्यालय कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर होगा और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी अर्थात् :—

**सारणी**

अनुक्रमांक	विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय का स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, नौवे, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.	इन्दौर	इन्दौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, रतलाम, बड़वानी, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगोन, अलीराजपुर, नीमच, शाजापुर, मंदसौर एवं देवास।”
2.	यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।		

F. N. 458-XXI-B(one)2025.—In compliance of the order passed on 14<sup>th</sup> December, 2017 by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) 699/2016, Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India and Another as per the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), as per the provisions of sub-section (1) and sub-section (1-A) of Section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981) and as per the provisions of sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the State Government, in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, designate the Court(s) of Additional Sessions Judge(s) as Special Courts to try the offences registered under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) against the Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh Specified in column (2) of the table below having Headquarters at places specified in column (3) and having jurisdiction for the area compromissing of revenue districts as specified in column (4) thereof, namely :—

**TABLE**

S. No.	Name of Special Court	Place of Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Jitendra Singh Kushwah, IX <sup>th</sup> District and Additional Sessions Judge, Indore.	Indore	Indore, Ujjain, Dhar, Jhabua, Ratlam, Badwani, Burhanpur, Khandwa, Khargone, Alirajpur, Neemuch, Shajapur, Mandsaur and Dewas.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

क्र. 496-2025-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारीगण श्री जितेन्द्र कुमार बजोलिया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया का स्थानांतरण तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नीमच रिक्त पद पर, श्री आसीफ अहमद अब्बासी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर का स्थानांतरण तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज (सीहोर) रिक्त पद पर एवं श्रीमती नज़मा बैगम, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच का स्थानांतरण द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उमरिया रिक्त पद पर होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

फा. क्र. 525-2025-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री निशिथ खरे, पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में अतिरिक्त सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद पर करता है।

फा. क्र. 525-2025-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद पर करता है :—

1. श्री मुकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को श्री धर्मपाल सिंह शिवाच के स्थान पर।
2. श्री अनिल कुमार पाठक, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जोरा जिला मुरैना को श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (जू.) के स्थान पर।

फा. क्र. 528-2025-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री धनेन्द्र सिंह परमार, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बासौदा जिला विदिशा की सेवाएं, उपसचिव, मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय को सौंपता है।

फा. क्रमांक 544-2025-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
01	श्री अरविन्द कुमार गोयल, रजिस्ट्रार, म. प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल।	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी में श्री मुकेश कुमार के स्थान पर।

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

क्र. 582-2025-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती आरती शर्मा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गौहरगंज, रायसेन को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

फा.क्रमांक 524 / 2025 / 21—ब(एक), भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5(1)(ए) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रूपये 1,44,840 से 1,94,660 (J-5) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण एस.एल.पी.(सि.) क्रमांक 027359 / 2023 (सपना पोर्ट विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश) में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन नियुक्त करता है :—

क्रं.	नाम एवं पदनाम
01	श्रीमती सपना पोर्ट, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़
02	तेज प्रताप सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी
03	श्रीमती अनिता खजूरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना
04	श्रीमती वर्षा सिंह भाटी, 20वें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंदौर
05	महेन्द्र पाल सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैड़न (सिंगरौली)
06	श्रीमती शबनम कादिर मंसूरी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़
07	मयंक मोदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम
08	राम प्रकाश अहिरवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच
09	प्रसन्न सिंह बहरावत, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर
10	श्री राजेन्द्र सिंह शाक्य, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन
11	डॉ. रविकान्त सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास
12	श्री सुनील अहिरवार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना
13	श्री चंदन सिंह चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिण्डौरी
14	श्रीमती अर्पणा राजेश शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विदिशा
15	श्री कुशल किशोर वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा

16	श्रीमती प्रीति साल्वे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल उपयुक्त परन्तु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन राज्य शासन के समक्ष लंबित होने से उसके परिणामों के अधीन
17	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला
18	श्री कमलेश भरकुंदिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड
19	श्रीमती रितु वर्मा कटारिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम
20	श्रीमती मंजू सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर
21	श्री आलोक प्रताप सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर
22	श्री लोकेन्द्र सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंदौर
23	श्री कृष्ण पाल सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
24	श्रीमती अर्चना बोडे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर
25	श्रीमती सीता कनोजे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी
26	श्री सज्जन सिंह सिसौदिया, 19वें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, इंदौर
27	श्री शिव मोहर सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा
28	श्री गौतम सिंह मरकाम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ
29	श्री रूपसिंह कनेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा
30	श्री सदाशिव दांगोड़े, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन (मण्डलेश्वर)
31	श्री राम सिंह बघेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
32	श्री परमानंद चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा
33	श्रीमती दुर्गा सोलंकी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलिराजपुर
34	श्रीमती निधि सक्सैना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना
35	श्रीमती बवीता होरा शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

## संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2025

क्र. एफ 4-3-0005-2024-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन एवं स्मारक एवं पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :—

### अनुसूची

क्र.	राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	म. प्र.	सागर	रहली	पटनाकरी	श्री दिगम्बर जैन मंदिर.	अंदर आबादी ख. नं. 50 में से.	0.303	मध्यप्रदेश राज्य सरकार	है.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक / क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्त्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित स्मारक / क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त वर्णित स्मारक जिला कलेक्टर, सागर को स्मारक के मूल स्वरूप में यथावत् रखने की शर्त पर सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जगदीश कुमार गोमे, उपसचिव।

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 16 जनवरी 2025

### संशोधित आदेश

क्र. 04-2025-न्या. लि.-1004.—(1) जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 8 जनवरी 2025 में निर्णय लिया गया कि शहर में बढ़ते हुए यातायात के दबाव, दुर्घटनाओं, स्कूल बच्चों के सुरक्षित परिवहन एवं सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये भारी मालयानों को निश्चित अवधि के लिये प्रतिबंधित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

(2) अतएव केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम, 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अनूप कुमार सिंह, जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा, निम्नांकित आदेश देता हूँ कि—

“समस्त प्रकार के भारी मालयानों को प्रातः 08 बजे से रात्रि 09 बजे तक नगरीय सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित यथावत् रहेगा एवं दोपहर 02 से 05 बजे तक समस्त

प्रकार के वाहनों को नगरीय सीमा में आने-जाने हेतु छूट रहेगी।"

पैरा 02 में उल्लेखित प्रतिबंध आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जात है:—

- (3.1) दुर्घ वाहन
- (3.2) नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
- (3.3) पुलिस वाहन
- (3.4) फायर बिग्रेड
- (3.5) आर्मी के वाहन
- (3.6) विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
- (3.7) एल. पी. जी. / पेट्रोलियम पदार्थ वाहन
- (3.8) कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन
- (3.9) यात्री बसें
- (3.10) पी. डी. एस. एवं उपार्जन में संलग्न समस्त वाहन
- (3.11) देशी / विदेश मदिरा के परिवहन हेतु शासकीय परमिट प्राप्त वाहन

उक्त संशोधित आदेश दिनांक 16 जनवरी 2025 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।

**कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला रत्लाम, मध्यप्रदेश**

रत्लाम, दिनांक 6 जनवरी 2025

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

प्र. क्र.-अ-82-2024-25-क्र. 53-भू-अर्जन-25.—एतद्वारा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि “अनुभाग रत्लाम के अंतर्गत ग्राम बंजली में फोर लेन निर्माण हेतु जिला रत्लाम की तहसील रत्लाम शहन के प. ह. नं. 19 के ग्राम बंजली के 02 खाताधारकों की निजी भूमि परियोजना के लिये आवश्यकता होने के मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2-ए-भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2024 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः, निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का			परिसम्पत्ति का विवरण
			रकबा (हेक्टर में)	सिंचित	असिंचित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	संगीता पति अनिल कटारिया	328/3	-	0.080	0.080	-
2	संगीता पति अनिल कटारिया	328/1	-	0.020	0.020	-
		योग	0.100	-	0.100	-

राजेश बाथम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## विभाग प्रमुखों के आदेश

**कार्यालय, कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)**

राजभवन, भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2025

क्र. एफ-1-6-24-रा.स.-यू.ए-1-127.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुआई पटेल, कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, एतदद्वारा, डॉ. राजेन्द्र कुमार कुड़रिया, प्राथ्यापक, भौतिक शास्त्र, शा. विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी।

**मंगुआई पटेल, कुलाधिपति।**

## कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 6 फरवरी 2025

प्रारूप बारह  
(नियम 10 देखिए)

[मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020]

### भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 180-भू-सर्वेक्षण-2025.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतदद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :—

#### अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उज्जैन	महिदपुर	मूल ग्राम—पर्वतखेड़ा मजरा ग्राम—बलाईखेड़ा	24	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)

FORM XII  
(See rule 10)

[The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020]

#### Commencement of Land Survey

No. 180-Land Survey-2025.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-sarvekshan Tatha Bhu-abhilekh) Niyam, 2020, the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh, hereby, notifies that the areas mentioned in Column (5) of the Schedule below have been taken under land survey :—

#### SCHEDULE

S. No.	District	Tahsil	Village / Town	Patwari Halka No. / Sector No.	Area taken under Land Survey
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ujjain	Mahidpur	Mool Village—Parwatkheda MajraTola—Balaikheda	24	Village Total area (Except Abadi)

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त।

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 13 दिसम्बर 2024

**प्र. क्र. 21-अ-82-वर्ष 2024-2025.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1) पन्ना	(2) अजयगढ़	(3) भखुरी	(4) निजी भूमि रकबा 1.40 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 1.40 हे.	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ / स), संभाग पन्ना.	(6) हरनामपुर-भखुरी मार्ग लम्बाई 4.70 कि. मी. में आने वाली भूमि मार्ग निर्माण कार्य।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ / स), संभाग क्रमांक-I, पन्ना जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुरेश कुमार, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

दमोह, दिनांक 24 दिसम्बर 2024

**रा.प्र.क्र.-11-अ-82-वर्ष 2023-24-4466.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1) दमोह	(2) पटेरा	(3) चीलघाट	(4) 1.3068	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग कुम्हारी से चीलघाट मार्ग (भ / स)दमोह संभाग दमोह।	(6) निर्माण बावत्।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ / स), दमोह संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, अनुविभागीय / भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बेरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश**  
**बेरेली, दिनांक 30 दिसम्बर 2024**

क्र. 4060-भू-अर्जन-2024-प्र. क्र. 00-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 12-2-2014 सात 2 ए दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रातिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमि धारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियम अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा :—

**अनुसूची**

ग्राम का नाम—खैरबाडा, तहसील—बेरेली

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	खैरबाडा	हनुमत सिंह आ. बाबूलाल किरार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	85/3/2	1.202	0.040	कार्यपालन यंत्री बारना वायी नहर संभाग बाडी	बारना वृहद परियोजना अंतर्गत नयागांव माईनर निर्माण हेतु ग्राम खैरबाडा.

संतोष मुदगल, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी।

**कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश**

रतलाम, दिनांक 6 जनवरी 2025

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

क्र. 53-भू-अर्जन-25-प्र. क्र.-अ-82-2024-25.—एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि “अनुभाग रतलाम शहर के अंतर्गत ग्राम बंजली में फोर लेन निर्माण हेतु जिला रतलाम की तहसील रतलाम शहन के प. ह. नं. 19 के ग्राम बंजली के 02 खाताधारकों की निजी भूमि परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2-2014-सात- 2ए-भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा :—

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	संगीता पति अनिल कटारिया	328/3	-	0.080	0.080	-
2	संगीता पति अनिल कटारिया	328/1	-	0.020	0.020	-
योग				0.100	0.100	

राजेश बाथम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 जनवरी 2025

रा. प्र. क्र. 0003-अ-82-2023-2024-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत सारोठ जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सारोठ जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन .—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नंबर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हे. में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम-महलपुर, प.ह.नं.-10, ब. नं.-456, रा.नि.मं.- सांवरी.	1. देवराव पिता चिरकुटिया पवार, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.  2. साहेबराव पिता चिरकुटिया पवार, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	132/1  132/3	0.283  0.284	सारोठ जलाशय अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने के संबंध में।
			कुल योग . .	02	0.567	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप से स्वयं अथवा अधिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रस्तुति-

(नियम 4 देखिए)

सागर, दिनांक 29 जनवरी 2025

क्र. 0011अ-82-24-25-भू-अर्जन-2025-972.—राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:—

(1) परियोजना विकासक का नाम	परियोजना प्रशासक, बीना पी. एम. यू., जल संसाधन विभाग, सागर.
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र निर्माण
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के विवरण.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व-सागर</li> <li>2. राजस्व निरीक्षक, सागर-ग्रामीण</li> <li>3. सरपंच, ग्राम पंचायत, पथरिया हाट, वि. ख. सागर</li> <li>4. सचिव, ग्राम पंचायत पथरिया हाट, वि.ख. सागर</li> </ol>
(4) भूमि का विवरण :—	
(क) जिला	सागर
(ख) तहसील	सागर
(ग) ग्राम / नगर	पथरिया हाट, प. ह. नं. 47
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र	3.750 हे.
(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र	3.750 हे.
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण.	कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	3.750 हे.
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है.	नहीं
(8) सामाजिक समाधात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख.	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-414—भू—अर्जन—2024

सीधी, दिनांक 1 मई 2024

वैक्ति राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

**—: अनुसूची :-**

(i) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	:- सीधी
(ख) तहसील	:- बहरी
(ग) ग्राम	:- मरसरहा
(घ) पटवारी हल्का	:- शिवपुर
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:- 0.449 हेक्टर

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकमा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	विवरण
1	2	3	4	5
1.	660/1	0.114	निर्मला बेवा विनोद कुमार 1/2, अनिरुद्ध पिता विनोद कुमार 1/2	
2.	660/2	0.053	सुमन बेवा सरसिज 1/6, विवेक पुन्त्र सरसिज 1/6, प्रमोद कुमार पिता महेश राम 1/3, शीला पुत्री महेश राम 1/3	खड़बड़ा—कुबरी व्हाया अमरपुर मार्ग में सोन नदी पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण हेतु
3.	559/1	0.070	निर्मला बेवा विनोद कुमार 1/2 अनिरुद्ध पिता विनोद कुमार 1/2	
4.	656/1	0.072	निर्मला बेवा विनोद कुमार 1/2 अनिरुद्ध पिता विनोद कुमार 1/2	
5	657	0.140	सुमन बेवा सरसिज 1/6, विवेक पुत्र सरसिज 1/6, प्रमोद कुमार पिता महेश राम 1/3, शीला पुत्री महेश राम 1/3	
निजी भूमि का योग		0.449		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 675—भू—अर्जन—2024

राजगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2025

(अंतर्गत धारा—19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील—सुठालिया, जिला—राजगढ़ के ग्राम—किशनगढ़ के लिए डूब क्षेत्र में शेष (पूरक) प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन् 2013) की धारा—19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### —: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू—अर्जन प्रस्ताव,  
ग्राम—किशनगढ़

स.क्र.	विवरण	अंजित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)	
		रकबा	( 3 )
( 1 )	( 2 )		
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम—किशनगढ़ की शेष भूमि की आवश्यकता।	<b>1.727</b>	
	कुल योग :	<b>1.727</b>	

### —: अनुसूची ( 2 ) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)	
				2	3
1	जुक्षारसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	161/6	0.170	0.136	
		कुल 1 किता	<b>0.170</b>	<b>0.136</b>	
2	कमलाबाई पुत्री श्रीलाल जाति बेड़िया पता किशनगढ़ सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	53/1	0.119	0.048	
		कुल 1 किता	<b>0.119</b>	<b>0.048</b>	
3	रोड़ीबाई पत्नी कुमेरसिंह जाति सौंधिया पता वैरागढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	140/1/1	0.564	0.090	
		141/2	0.126	0.030	
		कुल 2 किता	<b>0.690</b>	<b>0.120</b>	
4	गोराबाई पुत्री माता बन्नाबाई जाति बेड़िया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	40/1	0.126	0.100	
		कुल 1 किता	<b>0.126</b>	<b>0.100</b>	
5	रमाबाई पति कमलसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	41/1/1/2	0.538	0.012	
		कुल 1 किता	<b>0.538</b>	<b>0.012</b>	

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकमा (हेक्टर में)	प्रभावित रकमा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
6	विकमसिंह पिता मोडसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	56/1/1/1	1.562	0.100
		कुल 1 किता	<b>1.562</b>	<b>0.100</b>
7	प्रेमसिंह पिता खुशीलाल जाति लोदा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	56/1/3	0.506	0.050
		कुल 1 किता	<b>0.506</b>	<b>0.050</b>
8	कुमेरसिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	141/1	0.696	0.040
		140/1/2	0.954	0.030
		कुल 2 किता	<b>1.650</b>	<b>0.070</b>
9	नारायणसिंह पिता गोपीलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भंवास राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	146/2/1	0.862	0.202
		कुल 1 किता	<b>0.862</b>	<b>0.202</b>
10	जगदीश पिता बनेसिंह जाति सौंधिया पता भंवास सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	146/3/1	0.612	0.527
		कुल 1 किता	<b>0.612</b>	<b>0.527</b>
11	गजराजसिंह पिता बनेसिंह जाति सौंधिया पता भंवास सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	146/3/2	0.612	0.362
		कुल 2 किता	<b>0.612</b>	<b>0.362</b>
	<b>महायोग :-</b>	कुल 13 किता	<b>7.447</b>	<b>1.727</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर

## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बागली, जिला देवास, मध्यप्रदेश

क्र.-27-भू-अर्जन-2025

बागली, दिनांक 27 जनवरी 2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक - 1 में "हाटपिपल्या सूक्ष्म उद्धवन सिंचाई परियोजना" अंतर्गत पंप हाउस -03 के निर्माण में ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास (म.प्र.) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि " "हाटपिपल्या सूक्ष्म उद्धवन सिंचाई परियोजना" " के अंतर्गत पंप हाउस 03 में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

### अनुसूची - 1

#### ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास

क्र.	विवरण	अंजित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित रकबा (हे. में)	असिंचित रकबा (हे. में)	कुल रकबा(हे. में)
1	हाटपिपल्या सूक्ष्म उद्धवन सिंचाई परियोजना			6.82 हे.

### अनुसूची - 1

'हाटपिपल्या सूक्ष्म उद्धवन सिंचाई परियोजना' अंतर्गत पंप हाउस -03 के निर्माण में ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

#### ग्राम पांजरिया तहसील उदयनगर जिला देवास

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)
1	सातन पिता गोपाल	4/1	1.26 हे.
2	पारुबाई पति ऊकार	4/2	1.27 हे.
3	रामा पिता गोपाल	4/3	1.26 हे.
4	किशन पिता नाना	3	2.03 हे.
5	रतन पिता गोपाल	5	2.02 हे.
कुल रकबा			6.82 हे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## कार्यालय, कलेक्टर, (भू—अर्जन) जिला रत्लाम

क्र. 159—भू—अर्जन—प्र.क्र.—2025—अ—82—2024—25

रत्लाम, दिनांक 14 जनवरी 2025

एतद् द्वारा संवेदनाधारण को सूचित किया जाता है कि “अनुभाग रत्लाम के अंतर्गत ग्राम बंजली सेजावता बायपास मार्ग फोरलेन निर्माण हेतु जिला रत्लाम की तहसील रत्लाम शहर के पहन्च. 24 के ग्राम सेजावता के 12 खाताधारकों की निजी भूमि परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्रं	कृषकगण का नाम व पिता का नाम	सर्व क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			संचित	असंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1	कमलेश पिता सुरेन्द्र कुमार गाडिया नि. पैलेस रोड रत्लाम, शीतल बेवा रितेश गाडिया नि. पैलेस रोड रत्लाम, रिशिता(नाबा) मेधिनी(नाबा) अबीर(नाबा) पिता रितेश गाडिया सरपरस्त माता शीतल बेवा रितेश गाडिया नि. पैलेस रोड	263/12	0.12	—	0.12	—
2	देवेन्द्र पिता बृजमोहन भाटिया पता पीएनटी कॉलोनी	263/10	0.035	—	0.035	—
3	रजनी पिता बृजमोहन भाटिया पता रत्लाम	263/5	0.045	—	0.045	—
4	जीवनसिंह पिता जुझारसिंह जाति राजपुत निवासी सेजावता	318/1/1/2	—	0.009	0.009	पकड़ी दीवाल वाल बाउडरी
5	अनीता पति अमित नागर निवासी काटजू नगर	318/1/2/1/1/1/1/2/2	—	0.003	0.003	—
6	अशोकुमार पिता कन्हैयालाल जाति कंसारा निवासी बासवाडा	318/1/2/1/1/1/2	—	0.005	0.005	—
7	अशोक पिता सामरमल चाणोदिधा नि.रत्लाम	318/1/2/1/2	—	0.0043	0.0043	—
8	नीरज पिता ओमप्रकाश सक्सेना नि.अलकापूरी	318/1/2/1/1/2	—	0.0023	0.0023	—
9	अशोक कुमार पिता राधेश्याम शर्मा नि.अलकापूरी हिस्सा ½ कुमुद पिता अशोकुमार शर्मा निवासी अलकापूरी हिस्सा ½	318/1/2/2/2	—	0.0063	0.0063	—
10	अनंत अमृतन पिता दिनेश वंदना बेवा दिनेश राठोर निवासी रामगढ़	318/2/1	—	0.016	0.016	—
11	हरन्द्रसिंह पिता सुदरलाल बाघेला नि. नाहरपूरा	318/2/2	—	0.038	0.038	—
12	प्रकाश पिता शातिलाल राठोड निवासी आमलिया भेरू	318/3	—	0.022	0.022	—

राजेश बाथम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-927—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र. 0050—अ—82—2024—25

उज्जैन, दिनांक 30 जनवरी 2025

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत है कि अलग्न अनुसूची क्रमांक—01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक—1 में उज्जैन—जावरा के मध्य 4—लेन पेहङड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम दुमणी की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक —2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची —2 की भूमि की अनुसूची—1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची—1**

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं, में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	खाचरोद	दुमणी	13.485	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सङ्क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन—जावरा के मध्य 4—लेन पेहङड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

**अनुसूची—2**  
( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हि.मे)	प्रभावित रकबा हैं, में	अर्जित भूमि का प्रकार
1	हीरालाल पुत्र भंवरलाल जाति गारी पता पाड़सुतिया खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34	1.620	1.061	सिंचित
2	हीरालाल पिता भेरुलाल जाति कुलम्बी पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि रखानी	46/1	0.700	0.074	सिंचित
3	पूनमचन्द्र पिता भेरुलाल जाति कुलम्बी पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि रखानी	46/2	0.440	0.440	सिंचित
4	राधेश्याम पिता रतनलाल 1/4, तेजुबाई पुत्री रतनलाल 1/4, रमेश पिता रतनलाल 1/4, जगदीश पिता रतनलाल 1/4, जाति नाई पता पाड़सुत्या, दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47	0.800	0.383	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार
5	पूनमचन्द्र पिता भेरुलाल जाति कुलम्बी पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/1	1.350	0.107	सिंचित
6	येतराम पिता राधेलाल जाति कुलम्बी पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	41/2	1.160	0.089	सिंचित
7	जीवनसिंह पिता देवीसिंह 1/3, जोरावरसिंह पिता राधेश्याम 1/3, गोपालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह 1/3, जाति गुर्जर पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	51	1.130	0.805	सिंचित
8	हनुमान पिता घासीराम जाति धोबी पता नागदा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	56	0.630	0.559	सिंचित
9	शंकरलाल सुनेरी पिता देवीलाल सुनेरी 1/3, जीतेन्द्र सुनेरी पिता देवीलाल सुनेरी 1/3, रामकन्ताबाई पिता देवीलाल सुनेरी 1/3, जाति बलाई पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	65	0.620	0.386	सिंचित
10	भमरसिंह पिता रतनसिंह जाति गुर्जर पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66	0.250	0.140	सिंचित
11	रायमलनाथ व लालानाथ व कानानाथ व सुभाषनाथ व मांगू व ताराबाई व रेखाबाई पिता प्रतापनाथ व शान्ताबाई बेवा प्रतापनाथ 1/2, कानानाथ पिता माधुनाथ 1/2, जाति कालबेलिया पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	57/1	0.410	0.120	सिंचित
12	चन्द्रसिंह पिता आशाराम जाति गूजर पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	64/1	0.770	0.708	सिंचित
13	सोहनसिंह पिता आशाराम जाति गूजर पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	64/2	0.770	0.095	सिंचित
14	देवकुंवरबाई पिता उदेसिंह जाति गुर्जर पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	71/1	1.530	0.834	सिंचित
15	लक्ष्मणसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	72	1.600	0.923	सिंचित
16	राधेश्याम पिता रामलाल जाति गूजर पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	70	2.000	0.074	सिंचित
17	देवीसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	73	1.600	0.764	सिंचित
18	मनोहरसिंह पिता उदयसिंह 1/4, रामचंद्र पिता उदयसिंह 1/4, राजाराम पिता उदयसिंह 1/4, भमरबाई पति अमरसिंह ज्ञानसिंह पिता रामचंद्र 1/4, जाति गुर्जर पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	77/1	0.450	0.077	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रमाणित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
19	रामचंद्र पिता उदयसिंह जाति गुर्जर पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	90	1.000	0.496	सिंचित
20	राजाराम पिता उदयसिंह जाति गुर्जर पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	91	1.000	0.607	सिंचित
21	दशरथ पिता मनोहरसिंह जाति गुर्जर पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/1/2	1.540	0.008	सिंचित
22	ज्ञानसिंह पिता रामचंद्र 154/771, रामचंद्र पिता उदयसिंह 308/771, राजाराम पिता उदयसिंह 308/771, मनोहरसिंह पिता उदयसिंह 1/771, जाति गुर्जर पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	88/1/3	3.000	1.430	सिंचित
23	नंदराम पिता सिद्धनाथ जाति कुलम्बी पता पड़सुत्या उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	42/1	0.550	0.550	सिंचित
24	जीवनलाल पिता माणकलाल 1/3, राधेश्याम पिता माणकलाल 1/3, चंदाबाई पति माणकलाल 1/3, जाति कुलम्बी पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	42/2	0.550	0.498	सिंचित
25	चेतराम पिता राधेलाल जाति कुलम्बी पता दुमणी खाचरोद उज्जैन भूमि स्वामी	43	0.630	0.246	सिंचित
26	भैरुलाल पिता रामलाल जाति गुर्जर पता पादसुतिया खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/1	0.400	0.145	सिंचित
27	मनोहरसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर पता पादसुतिया खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/2	0.400	0.182	सिंचित
28	गुलाबसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर पता पादसुतिया खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/3	0.410	0.133	सिंचित
29	भारतसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर पता पादसुतिया खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	35/4	0.410	0.100	सिंचित
30	राजूबाई पति केशुराम जाति गारी पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/1	1.810	0.280	सिंचित
31	केशुराम पिता अमरजी जाति गारी पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	33/2	0.800	0.154	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हि.मे)	प्रगतिशील रकबा हैं में	अर्जित भूमि का प्रकार
32	जगदीश समरथ रामकुंवर पिता काना जाति गूजर पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	32	1.220	0.155	सिंचित
33	अम्बाराम पिता नरसिंह राजूवाई बेवा मोहनलाल राकेश पिता मोहनलाल जाति चमार पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	31/1	0.410	0.102	सिंचित
34	गंगाराम पिता नरसिंह जाति चमार पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	31/2	0.410	0.048	सिंचित
35	भोला बाबूलाल पिता अम्बाराम 5/6, रामचंद्र पिता अम्बाराम 1/6, जाति बलाई पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/1/1	0.300	0.104	सिंचित
36	गोवर्धनसिंह शेखावत पिता भंवरसिंह शेखावत जाति राजपूत पता दुमणी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/1/2	0.450	0.131	सिंचित
37	कैशुराम पिता अमरजी जाति गारी पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/2	0.150	0.065	सिंचित
38	जगदीश पिता रतनलाल जाति कुलंबी पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4	2.250	0.251	सिंचित
39	रंजन शर्मा पिता नारायणप्रसाद जाति ब्राह्मण पता बुरानाबाद खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/2	0.400	0.029	सिंचित
40	मुकेश पिता उंकारलाल 1/3, संतोष पिता उंकारलाल 1/3, दुर्गाबाई बेवा उंकारलाल 1/3, जाति कुलंबी पता पड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/1 खसरा न.	0.630	0.086	सिंचित
41	श्रीदेवधूराज मंदिर पुख्ता वाके देह हाजा भूमि स्वामी व्य.कलेक्टर महोदय उज्जैन मिलिक्यत सरकार औकाफ डिपार्टमेंट	2	3.500	0.034	सिंचित
42	उम्मेदराम पिता बगदीराम जाति कुलमी पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	45	1.220	0.012	सिंचित
	कुल रकबा			13.485	

चौंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंप्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड इन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितयद्वय व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विरक्षापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-928-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0047-आ-82-2024-25

चौंकि समुचित सरकार को यह ~~प्रस्तुति है कि संज्ञना अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उल्लिखित के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने के सम्बावना है।~~

चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम बुरानाबाद की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्ववासन और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1						
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं।	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य	
1	2	3	4	5	6	
उज्जैन	खाचरोद	बुरानाबाद	2.620	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(प.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल	

अनुसूची-2  
( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हेक्टर)	प्रभावित रकबा हैं। में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	सुनीता शर्मा पत्नी गणेश शर्मा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	940/1	0.060	0.060	सिंचित
2	सुनीता शर्मा पत्नी गणेश शर्मा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	940/2	0.660	0.354	सिंचित
3	सुनीता शर्मा पत्नी गणेश शर्मा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	945	0.210	0.170	सिंचित
4	राजेन्द्रकुमार निगम पिता दाऊदयाल जाति कायस्त पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	942	1.300	0.326	सिंचित
5	हेमलता निवाल पत्नी पंकज निवाल पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	946/1/1	0.180	0.050	सिंचित
6	हेमलता निवाल पत्नी पंकज निवाल पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	946/1/2	0.200	0.002	सिंचित
7	संदीप पिता बाबूलाल जाति ब्राह्मण पता नि.खाचरोद भूमि स्वामी	943	0.420	0.300	सिंचित
8	विनोद पिता रामचन्द्र जाति धाकड मंडावलिया पता नि.खाचरोद भूमि स्वामी	944/1	0.400	0.167	असिंचित
9	सुगनवाई बेवा नन्दराम जाति चमार पता बुरानाबाद खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	944/2	0.220	0.220	सिंचित
10	लक्ष्मीनारायण पि.गंगाराम जाति ब्राह्मण पता नि.चौकी जुनारदार भूमि स्वामी	948	2.120	0.552	सिंचित
11	विजया पति बाबूलाल जाति ब्राह्मण पता उज्जैन खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	952	3.090	0.419	सिंचित
कुल रकबा				2.620	

चौंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रत्यायित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विवरण नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-929—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र. 0049—आ—82—2024—25

चौंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत हाता है कि सलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेकड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम गोठड़ा की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	खाचरोद	गोठड़ा	1.742	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सङ्कर विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेकड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

#### अनुसूची-2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे)	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	शंकरलाल पिता नागू जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/1/1	1.07	0.010	सिंचित
2	मेहरबानसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत 1/2, सुनील पिता रमेशचंद्र जाति लोहार 1/2, पता निवासी डोडियाना कृषक गोठड़ा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	6/1/2	0.100	0.030	सिंचित
3	श्यामलाल, पिता दुलीचंद भावसार पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शासन द्वारा प्रदत्त अहस्तांतरणीय	11	1.600	0.349	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हे. मे	अर्जित भूमि का प्रकार
4	लक्ष्मीनारायण पिता मादू नाबा सर मादू पिता पुना बलराम पिता धन्नालाल पिता पुना व तेजराम पिता राधेश्याम नाबा सर राधेश्याम पिता पुना आंनद पिता श्याम ना वा सर श्याम पिता पूना शंकर पिता धनश्याम नाबा सर धनश्याम पिता पुना शंकर पिता धनश्याम नाबा सर धनश्याम पिता पुना पजापत हि 1/2 बुधराम जगदीश वासुदेव नाबा पिता धन्नालाल सर माता सुरजबाई पति धन्नालाल हि 60/346 जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी, वरदीचंद नानालाल दशरथ गंगाबाई पिता हिरा हि 147/346 गोपाल शंकर पिता भेरुलाल हि 13/173 जाति नाई सर श्याम पिता पुना शंकर पिता धनश्याम नाबा सर धनश्याम पिता पुना पजापत हि 1/2 बुधराम जगदीश वासुदेव नाबा पिता धन्नालाल सर माता सुरजबाई पति धन्नालाल हि 60/346 जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	12	1.750	0.685	सिंचित
5	शंभूसिंह पिता मोहनसिंह 1/4, रघुदीरसिंह सोनाकुंवर शंकरकुंवर श्यामाकुंवर पिता भारतसिंह व उदयकुंवर पति रव. भारतसिंह 1/4, गद्धूसिंह पिता मोहनसिंह 1/4, नवलसिंह पिता मोहनसिंह 1/4, जाति राजपूत पता खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16/1	0.480	0.096	सिंचित
6	लक्ष्मीनारायण पिता मादू ना वा सर मादू पिता पुना बलराम पिता धन्नालाल पिता पुना व तेजराम पिता राधेश्याम ना वा सर राधेश्याम पिता पुना आंनद पिता श्याम ना वा सर श्याम पिता पूना शंकर पिता धनश्याम ना वा सर धनश्याम पिता पुना शंकर पिता धनश्याम ना वा सर धनश्याम पिता पुना पजापत हि 1/2 बुधराम जगदीश वासुदेव नाबा पिता धन्नालाल सर माता सुरजबाई पति धन्नालाल हि 60/346 जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी, वरदीचंद नानालाल दशरथ गंगाबाई पिता हिरा हि 147/346 गोपाल शंकर पिता भेरुलाल हि 13/173 जाति नाई सर श्याम पिता पुना शंकर पिता धनश्याम ना वा सर धनश्याम पिता पुना पजापत हि 1/2 बुधराम जगदीश वासुदेव नाबा पिता धन्नालाल सर माता सुरजबाई पति धन्नालाल हि 60/346 जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13	0.680	0.164	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हें. मे.	अर्जित भूमि का प्रकार
7	लक्ष्मीनारायण पिता मादू ना बा सर मादू पिता पुना बलराम पिता धन्नालाल पिता पुना व तेजराम पिता राधेश्याम ना बा सर राधेश्याम पिता पूना आनंद पिता इयाम ना बा सर इयाम पिता पूना शंकर पिता धनश्याम ना बा सर इयाम पिता पुना शंकर पिता धनश्याम ना बा सर इयाम पिता पुना शंकर पिता धनश्याम हि 1/2 बुधराम जगदीश वासुदेव नाथा पिता धन्नालाल सर माता सुरजबाई पति धन्नालाल हि 60/346 जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी, वरदीचंद नानालाल दशरथ गंगावाई पिता हिरा हि 147/346 गांपाल शंकर पिता भेरुलाल हि 13/173 जाति नाई सर इयाम पिता पुना शंकर पिता धनश्याम ना बा सर धनश्याम पिता पुना फजापत हि 1/2 बुधराम जगदीश वासुदेव नाथा पिता धन्नालाल सर माता सुरजबाई पति धन्नालाल हि 60/346 जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	14	0.500	0.408	सिधित
	कुल रकबा			1.742	

चूंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेकड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइप्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्ररतावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-930—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र. 0058—अ—82—2024—25

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत है कि सलग अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उनके बावजूद के समुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि समावना है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम मीण की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुरन्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अंजित रकवा लगभग क्षेत्रफल हैं, में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	खाचरोद	मीण	10.288	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

#### अनुसूची-2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकवा (हे.मे.)	प्रभावित रकवा हैं, में	अंजित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	ईश्वरलाल पिता राजाराम जाति कुलम्बी पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	529/1	0.300	0.121	सिंचित
2	रेशमबाई पुत्री राजाराम बिरजबाई पति सुखदेव ईश्वरलाल पिता राजाराम जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	529/2	1.560	0.299	सिंचित
3	ईश्वरलाल पिता राजाराम जाति कुलम्बी पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	524	2.280	0.796	सिंचित
4	धरमचंद पिता नागूलाल जाति कुलम्बी पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	523/1	1.090	0.272	सिंचित
5	जीतेन्द्र पिता नागूलाल जाति कुलम्बी पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	523/2	1.080	0.425	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हैं में	अर्जित भूमि का प्रकार
6	घनश्याम पिता मनीराम 1/2, महादेव पिता मनीराम 1/2, जाति कुलम्बी पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	517/1	1.340	0.483	सिंचित
7	देवराम पुत्र अम्बाराम जाति कुलम्बी पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	517/2	0.950	0.003	सिंचित
8	सीताराम पिता हरिकिशन जाति कुलम्बी पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शुद्धिकरण पखवाडे में परिमार्जित किया गया	521	0.830	0.245	सिंचित
9	बसंतीलाल पुत्र कहैयालाल जाति कुलम्बी पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	519/1	0.650	0.439	सिंचित
10	परमेश्वर पुत्र अनोखीलाल जाति कुलम्बी पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	519/2	1.000	0.192	सिंचित
11	चन्द्राबाई पत्नी भेरुलाल जाति भील पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	520/1	0.120	0.120	सिंचित
12	देवराम पुत्र अम्बाराम जाति कुलम्बी पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	593/2	2.000	0.033	सिंचित
13	भरत पिता शम्भुलाल जाति कुम्हार पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	562/2	1.930	0.205	सिंचित
14	कमलाबाई पत्नी मोहनलाल जाति बलाई पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	588/1	0.660	0.122	सिंचित
15	रमेशचन्द्र पिता मोहनलाल जाति बलाई पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	588/2	0.650	0.390	सिंचित
16	रामचन्द्र पिता मोहन जाति बलाई पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	588/3	0.650	0.196	सिंचित
17	श्यामदास पिता सीतारामदास 1/2, गोविन्ददास पिता सीतारामदास 1/2 जाति बैरागी पता मीन खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	589/1	1.270	0.411	सिंचित
18	बद्रीलाल पिता रामलाल जाति कुम्हार पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	589/2	1.270	0.195	सिंचित
19	श्यामदास पिता सीतारामदास 1/2, गोविन्ददास पिता सीतारामदास 1/2, जाति बैरागी पता मीन खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	589/3	0.630	0.040	सिंचित
20	बिराजबाई पिता रणछोडदास बैरागी जाति बैरागी पता मीण खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी	589/4	0.630	0.003	सिंचित
21	रणजीत पिता शम्भुलाल जाति कुम्हार पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	585/1	1.200	0.094	सिंचित
22	बद्रीलाल पिता रामलाल जाति कुम्हार पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	585/2	0.820	0.236	सिंचित
23	रणजीत पिता शम्भुलाल जाति कुम्हार पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	584/3	0.400	0.096	सिंचित
24	शंकरलाल पिता पन्नालाल जाति कुम्हार पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	618	1.280	0.667	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हैं में	अर्जित भूमि का प्रकार
25	श्री लक्ष्मीकांत रामोला मन्दिर वाके ग्राम भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन ब्रह्मासमाज मिल्कियत सरकार ब ऐहतमाम देवस्थान	619	0.780	0.105	सिंचित
26	बगदीराम पिता बद्रीलाल 1/4, सुखदेव पिता बद्रीलाल 1/4, राम्भाबाई पिता बद्रीलाल 1/4, शामुबाई पिता बद्रीलाल 1/4, पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	617/1	1.160	0.643	सिंचित
27	रामेश्वर पिता कनीराम जाति कुलंबी पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	617/3	1.160	0.511	सिंचित
28	नागूलाल पिता भेरा जाति गुर्जर पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	649/2	0.940	0.368	सिंचित
29	रामेश्वर पिता नानुराम जाति कुलंबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	646/1	0.025	0.002	सिंचित
30	रामेश्वर पिता नानुराम जाति कुलंबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	646/2	0.023	0.003	सिंचित
31	रामेश्वर पिता नानुराम जाति कुलंबी पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	646/3	0.023	0.010	सिंचित
32	रामेश्वर पिता नानुराम जाति कुलंबी पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	646/4	0.049	0.015	सिंचित
33	उदयसिंह पिता अमरसिंह 1/2, तूफानसिंह पिता अमरसिंह 1/2, जाति गुर्जर पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	645/2	0.300	0.222	सिंचित
34	बसंतीलाल पिता मांगीलाल जाति कुलम्बी पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	645/1	0.060	0.005	सिंचित
35	जीवन पुत्र सुखदेव 1/6, मधुसुदन पुत्र सुखदेव 1/6, माया पुत्री सुखदेव 1/6, ममता पुत्री सुखदेव 1/6, सविता पुत्री सुखदेव 1/6, मीनाबाई पुत्री सुखदेव 1/6, जाति ब्राह्मण पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	644/1	0.370	0.232	सिंचित
36	गोपाल पिता अर्जुनलाल 1/4, गोविन्द पिता अर्जुनलाल 1/4, दीपक पिता अर्जुनलाल 1/4, सुरज पिता अर्जुनलाल 1/4, जाति ब्राह्मण पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	644/2	0.330	0.084	सिंचित
37	आनंदीलाल पिता मांगीलाल जाति कुलम्बी पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	633	0.160	0.002	सिंचित
38	सालगराम पिता श्रीराम जाति कुम्हार पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	642/1	0.650	0.369	सिंचित
39	महादेव पिता रामलाल जाति कुम्हार पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	642/2	0.660	0.067	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हैं मे.	अर्जित भूमि का प्रकार
40	मोहनलाल पिता नागु जाति चमार पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	639	1.080	0.249	सिंचित
41	गोपाल पिता बाबूलाल जाति कुम्हार पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	640	0.410	0.144	सिंचित
42	गोपाल पिता बाबूलाल जाति कुम्हार पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	641	0.700	0.348	सिंचित
43	सत्यनारायण पिता देवराम जाति कुलम्बी पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	891/2	1.040	0.487	सिंचित
44	फुन्दालाल पाटीदार पिता भैरुलाल पाटीदार जाति कुलम्बी पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	891/1	1.050	0.105	सिंचित
45	कचरुलाल पिता सत्यनारायण जाति कुलम्बी पता मीण खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	892	0.170	0.170	सिंचित
46	जगदीश पिता नाथू 2/51, नर्मदा पिता नाथू 1/51, पार्वता पिता नाथू 1/51, कालू पिता नाथू 40/306, रामभरोसे पिता नाथू 40/306, केवड़ावाई पिता नाथू 40/306, सगुन पिता नाथू 40/306, गुलाब पिता नाथू 40/306, रंभावाई बेवा नाथू 40/306, राहुल पिता उम्मेदराम 1/51, संजू पिता उम्मेदराम 1/51, अंकित पिता उम्मेदराम 1/51, रंखा पिता उम्मेदराम 1/51, संगीता पिता उम्मेदराम 1/51, राधा पिता उम्मेदराम 1/51, लीलावाई बेवा उम्मेदराम 1/51, जाति चमार पता खाचरोद खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	893/1	0.420	0.064	सिंचित
	कुल रकबा		10.288		

चूंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइव्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितयद्व व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-931—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र. 0059—अ—82—2024—25

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत है कि सलाना अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उनके चाहे के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्षड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहरील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम श्रीबच्छ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 राज्य 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं, में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	खाचरोद	श्रीबच्छ	4.064	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्षड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2  
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हैं, में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	गोविन्द पिता नागू जाति चमार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	537/1	0.350	0.025	सिंचित
2	कालूराम पिता नागू जाति चमार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	537/2	0.560	0.185	सिंचित
3	ईश्वरलाल पिता नागू जाति चमार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	537/3	0.560	0.335	सिंचित
4	यद्रीलाल पिता सरल 62/478, भगवानलाल पिता सरल 62/478, कन्हैयालाल पिता सरल 63/478, बाबूलाल पिता सरल 42/478, शोभाराम पिता पूना 240/478, जाति चमार पता खाचरोद उज्जैन, जसवंतसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत पता जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 9/478,	541/1	0.390	0.097	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकवा (हे.मे.)	प्रभावित रकवा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार
5	मोहन पिता धन्नालाल जाति चमार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	540/1	0.060	0.040	सिंचित
6	गनपत पिता धन्नालाल जाति चमार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	540/2	0.060	0.050	सिंचित
7	पन्नालाल पिता गोपाल जाति चमार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	540/3	0.060	0.060	सिंचित
8	नारायण पिता गोपाल जाति चमार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	540/4	0.050	0.050	सिंचित
9	गोविन्द पिता नागु 1/4, कारुलाल पिता नागु 1/4, ईश्वरलाल पिता नागु 1/4, मांगूबाई बेवा नागु 1/4, जाति चमार पता श्रीबच्छ खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	540/5	0.270	0.220	सिंचित
10	नरभेराम पिता गोविंदराम 1/4, गिरधारीलाल पिता गोविंदराम 1/4, बाबूलाल पिता गोविंदराम 1/4, रामकुंवरबाई पिता गोविंदराम 1/4, जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	546/1	0.160	0.128	सिंचित
11	भेरुलाल पिता नरसिंह जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	546/2	0.570	0.146	सिंचित
12	राजू पिता मदनलाल 1/2, कमल पिता मदनलाल 1/2 जाति कुलम्बी पता श्रीबच्छ खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	539	2.000	0.141	सिंचित
13	गोविन्द पिता नागू जाति चमार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	557	0.300	0.290	सिंचित
14	गोविन्द पिता नागू जाति चमार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	558/1	0.120	0.066	सिंचित
15	भूलीबाई पति मदनलाल जाति कुलम्बी पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	558/2	0.080	0.006	सिंचित
16	रामनारायण पिता शांतिलाल जाति कुलम्बी 1/2, समरथ पिता शांतिलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	556	0.100	0.002	सिंचित
17	राधेश्याम पिता रामलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	555	0.300	0.047	सिंचित
18	बाबूलाल पिता रामलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	571	0.130	0.130	सिंचित
19	मोहनलाल पिता शोभाराम जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	570	0.410	0.274	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रमाणित रकबा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार
20	गिरधारीलाल पिता रामलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	569	0.100	0.010	सिंचित
21	रणजीतलाल पिता भरतलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	568	0.320	0.017	सिंचित
22	खेमणीबाई पति बगदीरामदास जाति बैरागी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	572	0.310	0.114	सिंचित
23	राजेश पिता बालाराम जाति सुतार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	575/1	0.540	0.400	सिंचित
24	बद्रीलाल पिता कन्हैयालाल 1/4, रामकन्थ पिता कन्हैयालाल 1/4, सुगनबाई पिता कन्हैयालाल 1/4, गोपाल पिता मेवालाल 1/24, सावित्री पिता मेवालाल 1/24, अंगुरवाला पिता मेवालाल 1/24, कृष्ण पिता मेवालाल 1/24, धापूबाई पिता मेवालाल 1/24, रामकन्थबाई बेवा मेवालाल 1/24, जाति सुतार पता श्रीबच्छ खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	575/2	0.540	0.007	सिंचित
25	मांगीलाल पिता झब्बालाल जाति सुतार 1/2, ईश्वरलाल पिता सत्यनारायण जाति सुतार 1/6, मंजूबाई पिता सत्यनारायण जाति सुतार 1/6, दुर्गाबाई बेवा सत्यनारायण जाति सुतार 1/6 पता श्रीबच्छ खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	575/3	0.580	0.118	सिंचित
26	राकेश पांचाल पिता राधेश्याम 1/14, चिनोद पांचाल पिता राधेश्याम 1/14, निर्मला पांचाल पिता राधेश्याम 1/14, अनुराधा पांचाल पिता राधेश्याम 1/14, योगीता पांचाल पिता राधेश्याम 1/14, गंगाबाई बेवा राधेश्याम 1/14, मुनलाल पांचाल पिता रतनलाल 1/2, ललिता बाई पिता राधेश्याम 1/14 जाति सुतार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	575/4	0.530	0.400	सिंचित
27	बाबूलाल पिता नाथूलाल 36/157, श्यामबाई पिता नाथूलाल 40/157, संगीताबाई पिता नाथूलाल 40/157, ललिताबाई पिता नाथूलाल 41/157 जाति सुतार पता श्रीबच्छ खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	575/5	0.520	0.203	सिंचित
28	अवन्तीबाई पति मनीराम जाति चमार पता बड़ावदा जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	580/2	0.400	0.015	सिंचित
29	रघुवीरसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	580/3	0.420	0.111	सिंचित
30	नारायणसिंह पिता जुझारसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	580/4	1.400	0.351	सिंचित
31	उकारलाल पिता रामप्रसाद जाति कुलम्बी पता निग्रा भूमि स्वामी	579	0.810	0.026	सिंचित
कुल रकबा				4.064	

चौंक उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शॉल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइग्रिड एन्युटी मॉडल योंजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितयद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-932—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र. 0056—अ—82—2024—25

चौंकि समुचित सरकार को यह प्रस्तुत होता है कि मंत्रिमण अनुसूची क्रमांक—01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उचके (लाइ) के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक—1 में उज्जैन—जावरा के मध्य 4—लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम बन्जारी की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक—2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची—2 की भूमि की अनुसूची—1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची—1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	खाचरोद	बन्जारी	10.075	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन—जावरा के मध्य 4—लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

#### अनुसूची—2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	ईश्वरलाल पिता श्रीराम जाति कुम्हार पता कृषक बंजारी निवासी मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	810/1/2	0.360	0.012	सिंचित
2	शम्भूलाल पिता जगन्नाथ जाति कुम्हार पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	810/2	0.710	0.319	सिंचित
3	शम्भूलाल पिता जगन्नाथ जाति कुम्हार पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	811/1	0.170	0.170	सिंचित
4	महादेव पिता रामलाल जाति कुम्हार पता निवासी मीण कृषक बंजारी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	811/2	0.480	0.276	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकवा (हे.मे)	प्रभावित रकवा हे. मे	अर्जित भूमि का प्रकार
5	महादेव पिता रामलाल जाति कुम्हार पता निवासी कृषक बंजारी उज्जैन ग.प्र. भूमिरवामी	809/1	0.320	0.096	सिंचित
6	महादेव पिता रामलाल जाति कुम्हार पता निवासी कृषक बंजारी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	812	0.650	0.328	सिंचित
7	कैलाश कुंवर पति भेरुसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	815	1.200	0.264	सिंचित
8	गोरखनलाल पिता रामलाल जाति कुम्हार पता नि.ग्राम मीण कृषक बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	814	1.200	0.331	सिंचित
9	पीरुलाल पिता रामप्रसाद जाति नाई पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	823/1	0.800	0.126	सिंचित
10	तेजूबाई मधुबाई शारदाबाई पिता रामप्रसाद जाति नाई पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	823/2	0.060	0.002	सिंचित
11	मांगीलाल पिता मोहनलाल 1/6, श्रीराम पिता मोहनलाल 1/6, विलासबाई पिता मोहनलाल 1/6, राजूबाई पिता मोहनलाल 1/6, सोहनबाई पिता मोहनलाल 1/6, रतनबाई बेवा मोहनलाल 1/6, जाति नाई पता बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	822	0.900	0.512	सिंचित
12	गणेशलाल पिता रामचंद्र जाति नाई पता मीण खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	821	0.910	0.534	सिंचित
13	गणेश पिता थावर 1/12, दीपक पिता तेजा 1/10, जितेंद्र पिता तेजा 1/10, पपिता पिता तेजा 1/10, राजू पिता तेजा 1/10, मांगबाई पति ख तेजा 1/10, जाति चमार पता बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	820	1.800	0.214	सिंचित
14	नंदराम ईश्वरलाल भमरलाल चन्द्रबाई रेशमबाई पिता रामनारायण सीताबाई रामनारायण सीताबाई विं रामनारायण जाति कूलम्बी पता नि.ग्राम फरनाखेड़ी भूमि स्वामी	828/2	1.020	0.082	सिंचित
15	नन्दराम पिता रामनारायण जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम फरनाखेड़ी कृषक बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	829	1.020	0.640	सिंचित
16	बाबुलाल पिता भेरुलाल 1/5, रमेश पिता भेरुलाल 1/5, मुन्नालाल पिता भेरुलाल 1/5, शान्तिबाई पिता भेरुलाल 1/5, विरजबाई पिता भेरुलाल 1/5, जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	830	1.020	0.218	सिंचित
17	रेखाबाई पति रामकिशन पाटीदार जाति कुलम्बी पता निवासी फरनाखेड़ी कृषक बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	832/2	0.540	0.080	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकमा (हे.मे.)	प्रभावित रकमा हैं में	अर्जित भूमि का प्रकार
18	शैलेंद्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत पता बंजारी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी	831	0.980	0.650	सिंचित
19	गोकुलसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता निवासी फरनाखेड़ी कृषक बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	834	1.020	0.058	सिंचित
20	शैलेंद्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत पता बंजारी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी	835	0.260	0.088	सिंचित
21	गटटुसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता बंजारी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी	738/2	0.430	0.043	सिंचित
22	शैलेंद्रसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत पता बंजारी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी	848	1.550	0.667	सिंचित
23	गटटुसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता बंजारी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी	849/1	0.790	0.380	सिंचित
24	इश्वरसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत पता बंजारी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी	849/2	0.400	0.190	सिंचित
25	टिकमसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत पता बंजारी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी	849/3	0.390	0.110	सिंचित
26	सत्यनारायण पिता महादेव जाति कूलंबी पता नि.ग्राम फरनाखेड़ी कृषक बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	846	1.080	0.210	सिंचित
27	केसरबाई पति मोहनलाल जाति कूलंबी पता नि.ग्राम फरनाखेड़ी कृषक बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	859	1.330	0.543	सिंचित
28	जगदीश पिता मुन्नालाल 1/4, दशरथ पिता मुन्नालाल 1/4, राधाबाई पिता मुन्नालाल 1/4, धापूबाई पति मुन्नालाल 1/4, जाति कुलंबी पता फरनाखेड़ी कृषक बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	850/1	1.780	0.051	सिंचित
29	तेजुबाई सीमाबाई पिता कैलाशचंद्र व देवकन्याबाई पति कैलाशचंद्र जाति कुलंबी पता कृषक बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	858/1	0.180	0.034	सिंचित
30	जगदीश पिता मुन्नालाल 1/4, दशरथ पिता मुन्नालाल 1/4, राधाबाई पिता मुन्नालाल 1/4, धापूबाई पति मुन्नालाल 1/4, जाति कुलंबी पता फरनाखेड़ी कृषक बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	874	1.350	0.674	सिंचित
31	लालाराम पिता मोहनलाल जाति कुलंबी पता फरनाखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी	875	0.600	0.150	सिंचित
32	गीताबाई सनूकाबाई पिता थावर व सूरजबाई पति स्व. थावर जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	878	0.400	0.030	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (ह.मे.)	प्रभावित रकबा हें में	अर्जित भूमि का प्रकार
33	जानीबाई पति रामा जाति चमार पता बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	873/1	0.020	0.020	सिंचित
34	शांतिबाई पति हरिराम जाति चमार पता निवासी फरनाखेड़ी कृषक बंजारी, खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	873/2	0.020	0.020	सिंचित
35	शांतिबाई पति हरिराम जाति चमार पता निवासी फरनाखेड़ी कृषक बंजारी, खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	873/3	0.030	0.030	सिंचित
36	हीरालाल पिता रामा 1/7, शिवनारायण पिता रामा 1/7, तेजूराम पिता रामा 1/7, विक्रम पिता रामा 1/7, चंदाबाई पिता रामा 1/7, पेपाबाई पिता रामा 1/7, जानीबाई बेवा रामा 1/7, जाति चमार पता बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	872	0.070	0.070	सिंचित
37	शांतिबाई पति हरिराम जाति चमार पता निवासी फरनाखेड़ी कृषक बंजारी, खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	871/2	0.080	0.030	सिंचित
38	शांतिबाई पति हरिराम जाति चमार पता निवासी फरनाखेड़ी कृषक बंजारी, खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	871/3	0.080	0.060	सिंचित
39	जानीबाई पति रामा जाति चमार पता बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	871/4	0.190	0.190	सिंचित
40	शांतिबाई पति हरिराम जाति चमार पता निवासी फरनाखेड़ी कृषक बंजारी, खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	870/2	0.400	0.001	सिंचित
41	हीरालाल पिता रामा 1/7, शिवनारायण पिता रामा 1/7, तेजूराम पिता रामा 1/7, विक्रम पिता रामा 1/7, चंदाबाई पिता रामा 1/7, पेपाबाई पिता रामा 1/7, जानीबाई बेवा रामा 1/7, जाति चमार पता बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	870/1	0.170	0.098	सिंचित
42	हीरालाल पिता रामा 1/7, शिवनारायण पिता रामा 1/7, तेजूराम पिता रामा 1/7, विक्रम पिता रामा 1/7, चंदाबाई पिता रामा 1/7, पेपाबाई पिता रामा 1/7, जानीबाई बेवा रामा 1/7, जाति चमार पता बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	867	0.130	0.010	सिंचित
43	विजयकुमार, सुरेशचन्द्र, स्वतंत्रकुमार, विनयकुमार पिता लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	866	3.210	0.003	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि असारा न.	कुल रकमा (₹.में)	प्रगति रकमा ₹. में	अर्जित भूमि का प्रभाव
44	हीरालाल पिता रामा 1/7, शिवनारायण पिता रामा 1/7, तेजूराम पिता रामा 1/7, विक्रम पिता रामा 1/7, चंदाबाई पिता रामा 1/7, पेपाबाई पिता रामा 1/7, जानीबाई बेवा रामा 1/7, जाति घमार पता बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	879	2,370	0.373	शिंधित
45	श्री फरनाजी मन्दिर पुरखा वाके देह ग्राम फरनाजी भूमि स्वामी व्यवरथापक कलेगटर महोदय जिला उज्जैन देवरथान	880	2,210	0.676	शिंधित
46	भेरुलाल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर 1/7, समरथलाल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर 1/7, उमरावबाई पिता मांगीलाल 1/7, इंद्रकुंवर पिता मांगीलाल 1/7, भूलीबाई पिता मांगीलाल 1/7, निहालबाई पति मांगीलाल 1/7, अजबबाई पिता मांगीलाल 1/7, जाति गुर्जर पता निवासी फर्नायेडी कृषक बंजारी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश	881	1,060	0.300	सिंधित
47	गुलाबबाई पति धूला जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन द्वारा प्रदत्त अहस्तांतरणीय	882/17	0.370	0.112	सिंधित
	कुल रकमा			10.075	

चूंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सोस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युट्री मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रतायित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विरथापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-933—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र. 0051—अ—82—2024—25

चौंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत नहीं है कि सलग्न अनुसूची क्रमांक—01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक—1 में उज्जैन—जावरा के मध्य 4—लेन पेहङङ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरोद जिला उज्जैन के ग्राम पाड़सुत्या की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक —2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्ववासन और पुर्वव्यवरथापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची —2 की भूमि की अनुसूची—1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची—1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं, में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	खाचरोद	पाड़सुत्या	10.729	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सङ्क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन—जावरा के मध्य 4—लेन पेहङङ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

### अनुसूची—2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हैं, में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	रणछोड पिता रामलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	370	1.200	0.639	सिंचित
2	प्रकाश पिता भेरुलाल जाति कुलम्बी पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	371/1	0.200	0.079	सिंचित
3	मून्नालाल पिता भेरुलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	371/2	0.510	0.146	सिंचित
4	नागेश्वर पिता भेरुलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	371/3	0.030	0.026	सिंचित
5	नागेश्वर पिता भेरुलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	372	0.570	0.158	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हैं में	अर्जित भूमि का प्रकार
6	शंकरलाल बद्रीलाल पिता कन्हैयालाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	373	0.600	0.097	सिंचित
7	जगदीश पिता वेणीराम जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	375	0.680	0.034	सिंचित
8	जगदीश पिता वेणीराम जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	376	0.680	0.519	सिंचित
9	रणछोड पिता रामलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	377	0.390	0.005	सिंचित
10	आनंदीबाई पत्नी कन्हैयालाल 1/4, शंकरलाल पिता कन्हैयालाल 1/4, शारदाबाई पुत्री कन्हैयालाल 1/4, बद्रीलाल पिता कन्हैयालाल 1/4, जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	390	0.530	0.027	सिंचित
11	रणछोड पिता रामलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	382/2	0.500	0.160	सिंचित
12	मून्नालाल पिता भेरुलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	382/3/3	0.350	0.038	सिंचित
13	आनंदीबाई पत्नी कन्हैयालाल 1/4, शंकरलाल पिता कन्हैयालाल 1/4, शारदाबाई पुत्री कन्हैयालाल 1/4, बद्रीलाल पिता कन्हैयालाल 1/4, जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	382/4	0.200	0.140	सिंचित
14	वेणीराम पिता भागीरथ जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	383	0.490	0.248	सिंचित
15	महेश पिता रमेशचंद्र 1/3, शारदाबाई बेवा रमेशचंद्र 1/3, नारायण पिता रमेशचंद्र 1/3, जाति कुलम्बी पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	385	0.160	0.094	सिंचित
16	गोपाल पिता बद्रीलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	384	0.310	0.255	सिंचित
17	उषा पत्नी श्रीमल जाति महाजन पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	576/1	0.670	0.200	सिंचित
18	मांगूबाई बेवा वासुदेव जाति कुलम्बी पता पाडसुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	576/2	0.050	0.018	सिंचित
19	मांगूबाई बेवा वासुदेव जाति कुलम्बी पता पाडसुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	575	0.620	0.152	सिंचित
20	कमलाबाई पुत्री नागु जाति बागरी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	574/2	0.550	0.077	सिंचित
21	श्यामुबाई पत्नी दशरथ जाति बागरी पता अमलावदिया नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	574/1	0.550	0.060	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हे. मे.	अर्जित भूमि का प्रकार
22	राजेश पिता भेरुलाल जाति कुलम्बी पता पाडसुत्या पाडसुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	573	0.320	0.018	सिंचित
23	सुगनबाई बेवा थावर जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	578	0.300	0.067	सिंचित
24	बाबुलाल पिता शंभु जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	581	0.300	0.159	सिंचित
25	रामेश्वर पिता नारायण 1/2, गोरखन पिता नारायण 1/2, जाति कुलम्बी पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	582	1.200	0.785	सिंचित
26	राधेश्याम पिता कन्हैयालाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	598	1.420	0.797	सिंचित
27	जगदीश पिता लालजी जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	567	0.840	0.044	सिंचित
28	महेश पिता रमेशचंद्र 1/3, शारदाबाई बेवा रमेशचंद्र 1/3, नारायण पिता रमेशचंद्र 1/3, जाति कुलम्बी पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	600	0.410	0.145	सिंचित
29	राधेश्याम पिता कन्हैयालाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	599	0.410	0.410	सिंचित
30	भागीरथ पिता रतनलाल 1/5, तेजुबाई पुत्री रतनलाल 1/5, जगदीश पिता रतनलाल 1/5, राधेश्याम पिता रतनलाल 1/5, रमेश पिता रतनलाल 1/5, जाति नाई पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	597	0.590	0.143	सिंचित
31	महेश पिता रमेशचंद्र 1/3, शारदाबाई बेवा रमेशचंद्र 1/3, नारायण पिता रमेशचंद्र 1/3, जाति कुलम्बी पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	630/2	0.690	0.445	सिंचित
32	महेश पिता रमेशचंद्र 1/3, शारदाबाई बेवा रमेशचंद्र 1/3, नारायण पिता रमेशचंद्र 1/3, जाति कुलम्बी पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	630/1	1.100	0.348	सिंचित
33	जगदीश पिता लालजी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	629/1	0.460	0.140	सिंचित
34	नारायण पिता रमेशचंद्र 1/3, महेश पिता रमेशचंद्र 1/3, शारदाबाई बेवा रमेशचंद्र 1/3, जाति पाटीदार पता पाडसुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	629/2/1	1.160	0.670	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार
35	जगदीश पिता लालजी जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	628	0.750	0.473	सिंचित
36	हीरालाल पिता शौभराम जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	627	0.750	0.363	सिंचित
37	सरबन पिता हिरालाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	631/2	0.600	0.210	सिंचित
38	हीरालाल पुत्र भेरुलाल जाति कुलम्बी पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	631/3	0.700	0.665	सिंचित
39	विनोद पिता गोविन्द जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	633	0.500	0.381	सिंचित
40	दिनेश पिता भेरुलाल अंगूरबाला पिता भेरुलाल रुखाबाई वेवा भेरुलाल जाति बलाई पता खाचरोद उज्जैन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	634/2	0.580	0.081	सिंचित
41	नारायण पिता शंकरलाल जाति बलाई पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	634/3	1.070	0.309	सिंचित
42	बद्रीलाल पिता अम्बाराम जाति बलाई पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	634/4	0.390	0.148	सिंचित
43	गोपाल पिता अम्बाराम जाति बलाई पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	634/5	0.390	0.162	सिंचित
44	मलखानसिंह पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	634/6/2	0.100	0.100	सिंचित
45	गोपाल पिता बद्रीलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	583/1	0.600	0.060	सिंचित
46	दिलीप पिता भेरुलाल अंगूरबाला पिता भेरुलाल रुखाबाई वेवा भेरुलाल जाति बलाई पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	634/1	0.480	0.005	सिंचित
47	मलखानसिंह पिता देवीसिंह जाति गुर्जर पता खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	635	0.100	0.100	सिंचित
48	चम्पालाल पिता अम्बाराम जाति बलाई पता खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	634/6/1	0.190	0.177	सिंचित
49	ईश्वरलाल पिता जगदीश 1/3, दशरथ पिता जगदीश 1/3, आनंदीबाई वेवा जगदीश 1/3, जाति कुलम्बी पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	619/1	0.520	0.065	सिंचित
50	जस्त्सुबाई पत्नी रामपाल जाति चमार पता नायन नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	619/2/2	0.500	0.029	सिंचित
51	जगदीश पिता लालजी जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	592	0.800	0.044	सिंचित
52	शिवनारायण पिता भेरुलाल जाति कुलम्बी पता पाड़सुत्या खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	587	1.900	0.014	सिंचित
कुल रकबा				10.729	

चैकिं उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पंक्षड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्रोस कंट्रोल्ड हाईये का हाइग्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितयद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रतापित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1017-रा.प्र.क्र. 0022-आ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 31 जनवरी 2025

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत हाता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घटिया जिला उज्जैन के ग्राम रामगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अंजित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं, में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	घटिया	रामगढ़	0.037	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सङ्गक विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2  
( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्टर में	प्रभावित रकबा हेक्टर में	अंजित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	वंदना पति राहुल,आमा पति रोहित जैन भूमि स्वामी 14 साकेत नगर उज्जैन	274/1	0.800	0.022	आवासायिक
2	दीपक चौधरी पिता लक्ष्मीनारायण भूमि स्वामी रामगढ़ घटिया	401/3/2/2	0.100	0.009	सिंचित
3	कुलदीप चौधरी पिता लक्ष्मीनारायण भूमि स्वामी रामगढ़ घटिया उज्जैन	401/3/3/2	0.100	0.006	सिंचित
योग				0.037	

चूंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घटिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1018-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0044-अ-82-2024-25

चौंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उज्जैन नगर जिला उज्जैन के ग्राम भीतरी(चकभ) 1 की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्ववासन और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल है, में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन नगर	भीतरी(चकभ) 1	0.277	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेक्ड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

#### अनुसूची-2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	नारायण पिता छोगालाल पता सोडग भूमि स्वामी	5/1	2.717	0.091	सिंचित
2	भेलुलाल पिता देवा पता मोजमखेड़ी उज्जैन भूमि स्वामी	7	0.199	0.007	सिंचित
3	कैलाश पिता देवा उज्जैन भूमि स्वामी	8/2/1	1.387	0.040	सिंचित
4	भेलुलाल पिता देवा पता मोजमखेड़ी उज्जैन भूमि स्वामी	8/3	0.716	0.025	सिंचित
5	भेलुलाल पिता देवा पता मोजमखेड़ी उज्जैन भूमि स्वामी	8/4	0.500	0.022	सिंचित
6	दिनोद सिंधवानी पिता लालचंदजी जाति सिंधी साईनाथ कालोनी उज्जैन	8/5	0.209	0.032	व्यवसायिक
7	राजकुमार पिता गोपालसिंह जाति गारी पता मोजमखेड़ी	8/6	0.104	0.025	सिंचित
8	वायूलाल पिता भंवरसिंह जाति औंजना पता रामगढ़ उज्जैन	8/7	0.105	0.035	सिंचित
योग				0.277	

चौंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विरक्षापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उज्जैन नगर, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1019-रा.प्र.क्र. 0011-अ-82-2024-25

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतिवेदन है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उल्लेख सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम विनायगा की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुरन्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अंजित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं, में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	घट्टिया	विनायगा	0.132	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2  
(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र. स.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकबा हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट. में	अंजित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	संतोष पिता गंगाराम जाति बागरी पता उज्जैन मध्य प्रदेश (सेवाखातेदार)	111	0.540	0.117	सिंचित
2	संतोष पिता गंगाराम जाति बागरी पता उज्जैन मध्य प्रदेश (सेवाखातेदार)	112	0.270	0.015	सिंचित
योग					0.132

चूंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1020-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0042-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 31 जनवरी 2025

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उनके नाम के सम्बन्ध दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहङङ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल छाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उज्जैन नगर जिला उज्जैन के ग्राम मोजमखेड़ी की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकवा लगभग क्षेत्रफल हैं। में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उज्जैन नगर	मोजमखेड़ी	2.488	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सङ्कर विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहङङ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल छाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2  
( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा न.	कुल रकवा हेक्ट.में	प्रभावित रकवा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	संतोष कमलेश जितेन्द्र राजकुमारयुगल पिता देवननारायण प्रेमलता संगीता पदमा पिता देवननारायण जाति बलाई पता मोजमखेड़ी उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	47/3/3	0.314	0.180	सिथित
2	विजेन्द्रसिंह पिता इन्द्ररसिंह रघुवंशी पता 254 भेरुगढ़ रोड भेरुगढ़ रोड उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कृ ष्णावाई पति कैलाश मालवीय रवि राहुल मनोज पिता कैलाश मालवीय जाति बलाई पता संघ मित्र मार्ग भेरुगढ़ उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वाम हर्ष पिता इन्द्ररसिंह रघुवंशी पता 254 भेरुगढ़ रोड भेरुगढ़ रोड उज्जैन भूमि स्वामी	47/3/2	0.209	0.040	

क्र. सं.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नं.	कुल एक्या हेक्ट.में	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
3	सतोष कमलेश जितेन्द्र राजकुमार युगल पिता देवनारायण प्रेमलता संगीता पदमा पिता देवनारायण जाति बलाई पता मोजमखेड़ी उज्जैन भूमि स्वामी	47/2/2	1.591	0.280	सिंचित
4	उमेश राहुल पिता नारायणप्रसाद जाति शर्मा पता मोजमखेड़ी उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	36/2/2	0.123	0.010	व्यवसायिक
5	उमेश राहुल पिता नारायणप्रसाद जाति शर्मा पता मोजमखेड़ी उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	36/2/1/2/1	6.096	0.500	सिंचित
6	गोहन पिता अमरा जी जाति बलाई पता उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सोरमवाई पिता अमरा जी जाति बलाई पता उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/1/2/1/2	0.230	0.170	सिंचित
7	सोरमवाई पिता अमरा जी जाति बलाई पता मोजमखेड़ी उज्जैन नगर गिरधारी पिता अमरा जी जाति बलाई पता मोजमखेड़ी उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/1/2/2	0.280	0.007	सिंचित
8	सजन बाई पत्नी मंगल सिंह मालवीय पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10/1/5/2	0.046	0.040	सिंचित
9	मंगल पिता रामा जाति बलाई पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10/1/6/2/2	0.030	0.030	व्यवसायिक
10	बन्धी पिता रामा जाति बलाई पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10/1/7/2/2	0.027	0.027	सिंचित
11	गोरधन पिता रामा जाति बलाई पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10/1/8/2/2	0.025	0.025	सिंचित
12	अमरजीतसिंह पिता अमोलकसिंह जाति सिंख पता उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/2/1/2	0.050	0.050	आवासीय
13	भागीरथ पिता नानूराम जाति माली पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/2/4/2	0.107	0.107	सिंचित
14	घितामन पिता मुन्नालाल जाति बलाई पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गोविन्द जोशी पिता नर्मदाशंकर जोशी पता ऋषि नगर उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भारत मालवीय पिता मूलचंद मालवीय जाति बलाई पता उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजेंद्र अशोक पिता रुगनाथ सिंह पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/2/4/4/1	0.191	0.100	सिंचित
15	दिलीप पिता रूपचंद सेवारामानी पता 27 गीता कॉलोनी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	4/2/4/3	0.139	0.061	सिंचित
16	श्रीमती सुहाना धनवानी पत्नी श्री धीरज धनवानी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीमती कृष्णा रामचंद्रानी पत्नी श्री गोपाल दासजी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/3/1	1.077	0.157	सिंचित
17	सरला मेहता पति राजवहादुर मेहता पता 25 शंकरचार्य मार्ग नमकमंडी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	5/3/2	0.539	0.090	सिंचित

क्र. सं.	भूमि रखामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खरारा नं.	कुल रकमा हेक्टर में	प्रगतिः रकमा हेक्टर में	अर्पित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
18	छाया मेहता पति सुधीर मेहता पता 25 शकराधार्य मार्ग नमक मंडी मोजमखेड़ी उज्जैन नगर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि रखामी	5/3/3	0.538	0.088	सिविल
19	इन्द्र पिता रणछोड जाति आंजना पता मोजमखेड़ी घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि रखामी	5/2	0.121	0.121	सिविल
20	बली मोहम्मद पिता गनी मोहम्मद रुकराना कुरैशी बली मोहम्मद पता २४७ ऐल आई जी सांदीपनि नगर उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि रखामी	5/7	0.627	0.077	सिविल
21	मालवा एग्रो सर्विसेस भागीदार सोरभ पिता हरिसिंह पता उज्जैन मध्य प्रदेश निजी संस्था	5/5	0.125	0.007	अवरायिक
22	मालवा एग्रो सर्विसेस भागीदार सोरभ पिता हरिसिंह पता उज्जैन मध्य प्रदेश निजी संस्था	5/6/1	0.084	0.010	अवरायिक
23	मुजाहिद पिता सिराजुउद्दीन जाति मुसलमान पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि रखामी	5/6/2	0.209	0.093	अवरायिक
24	मालवा एग्रो सर्विसेस भागीदार सोरभ पिता हरिसिंह पता उज्जैन मध्य प्रदेश निजी संस्था	5/1	0.434	0.026	अवरायिक
25	इन्द्र पिता रणछोड जाति आंजना पता मोजमखेड़ी घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि रखामी	6/1/2	1.060	0.127	सिविल
26	मालवा एग्रो सर्विसेस भागीदार सोरभ पिता हरिसिंह पता उज्जैन मध्य प्रदेश निजी संस्था	6/5	0.297	0.021	अवरायिक
27	राधावाई पति राधेश्याम व गुलाववाई पति इन्द्रसिंह जाति आंजना पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि रखामी	6/1/1	0.269	0.040	आवासीय
28	इन्द्र पिता रणछोड जाति आंजना पता मोजमखेड़ी घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि रखामी	2/2	0.124	0.004	सिविल
	योग			2.488	

चूंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइप्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विरक्षापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उज्जैन नगर, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1174-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0032-आ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 4 फरवरी 2025

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि सामाजिक सुरक्षा क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उपरके इसके सम्बन्धित एवं गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समर्थन होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील नागदा जिला उज्जैन के ग्राम झिरनिया खाचरोद की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकमा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	नागदा	झिरनिया खाचरोद	4.069	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सङ्क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

#### अनुसूची-2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकमा (ह.में)	प्रभावित रकमा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	रंगाराम पिता ऊंकार जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/5	0.400	0.086	सिंचित
2	बालू पिता धनजी जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/6	0.400	0.230	सिंचित
3	रामचन्द्र पिता जोहरसिंह जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/7	0.400	0.196	सिंचित
4	मुण्डा पिता फूलजी जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/8	0.400	0.182	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हें. मे	अर्जित भूमि का प्रकार
5	मानसिंह पिता कालू जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/9	0.400	0.179	सिंचित
6	देवीसिंह पिता रहजी जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/10	0.400	0.158	सिंचित
7	उदेसिंह पिता रालू जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/11	0.400	0.174	सिंचित
8	नागू पिता हुमा जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/12	0.400	0.137	सिंचित
9	देवा पिता कानजी जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/13	0.400	0.154	सिंचित
10	बाबूलाल पिता हीरजी जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/14	0.400	0.132	सिंचित
11	आबू पिता पैमा जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/15	0.400	0.122	सिंचित
12	मोहन पिता फूलजी जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/16	0.400	0.137	सिंचित
13	बगदा पिता रागूजी जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/17	0.400	0.123	सिंचित
14	राजू पिता मांगू जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/18	0.400	0.118	सिंचित
15	खीमजी पिता कालू जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/19	0.400	0.132	सिंचित
16	अमरु पिता जीवन जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/20	0.400	0.128	सिंचित
17	नाथू पिता नानूराम जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/21	0.400	0.115	सिंचित
18	आबू पिता केशिया जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/22	0.400	0.112	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हें. मे	अर्जित भूमि का प्रकार
19	रमेली पति हकरु जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/23	0.400	0.136	सिंचित
20	रामसन पिता जोहरी जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/24	0.400	0.101	सिंचित
21	प्रहलाद पिता बाबू जाति बागरी पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/25	0.400	0.163	सिंचित
22	देवीसिंह बेवा राजसिंह जाति बलाई पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/26	0.400	0.155	सिंचित
23	मांगू पिता मरिया जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/27	0.400	0.163	सिंचित
24	बाबू पिता हरजी जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/28	0.400	0.170	सिंचित
25	हिन्दुलाल कमलाबाई पिता पीरुलाल पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/29	0.500	0.154	सिंचित
26	हिन्दुलाल पिता पीरुलाल 1/2, कमलाबाई पिता पीरुलाल 1/2, जाति बलाई पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	502/30	0.500	0.039	सिंचित
27	मोहन पिता धुलजी जाति भील पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय शासन द्वारा प्रदत्त भूमि अहस्तांतरणीय है	502/31	0.400	0.166	सिंचित
28	अनसउद्दीन पिता रियाजउद्दीन जाति शेख पता झिरन्या खाचरोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	524	0.900	0.207	सिंचित
			कुल रकबा	4.069	

चूंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एच्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विरथापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उज्जैन नगर, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1175-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0037-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होती है कि अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उनके नाम के सम्बन्ध दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील नागदा जिला उज्जैन के ग्राम भाटीसुड़ा की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर्ता और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	नागदा	भाटीसुड़ा	17.949	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

### अनुसूची-2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	सोहनबाई पति लालूगीर जाति गुसाई पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	134	0.460	0.119	सिंचित
2	कृष्णबाई पति हरनामसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	135/1/1	0.840	0.076	सिंचित
3	सोहनबाई पति लालूगीर जाति गुसाई पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	136/2	0.540	0.238	सिंचित
4	नानीबाई देवा नागू हि. 8/23, रामसिंह पिता बालू हि. 8/23 परबत पिता नरसिंह, मांगुबाई विधवा रमेश, दिनेश, विनोद, बालेश्वर, महेन्द्र ना. बा. पिता रमेश ना.बा. सरप माता मांगुबाई स्वयं हि. 3/10 जाति बागरी पता नि. भीलसुड़ा भूमि स्वामी	137/1	0.400	0.184	सिंचित
5	मुकुन्दसिंहनाबा पिता विक्रमसिंह नाबा सर पिता विक्रमसिंह खुद जाति राजपूत पता हासामपुरा उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	137/2	0.400	0.225	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रमाणित रकबा हें में	अर्जित भूमि का प्रकार
6	नानीबाई बेवा नागू हि. 8/23, रामसिंह पिता बालू हि. 8/23 परबत पिता नरसिंह, मांगुबाई विधवा रमेश, दिनेश, विनोद, बालेश्वर, महेन्द्र ना.बा. पिता रमेश ना.बा. सरप माता मांगुबाई स्वयं हि. 3/10 जाति बागरी पता नि. भीलसुड़ा भूमि स्वामी	137/4	0.890	0.432	सिंचित
7	भैरुसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	138/1	0.370	0.103	सिंचित
8	महेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	138/2	0.380	0.242	सिंचित
9	रुपकुंवर पति मोहनसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	139	0.210	0.047	सिंचित
10	भैरुसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/1	1.300	0.009	सिंचित
11	राजकुमार पिता भेरुलाल जाति जैन पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	127	1.430	0.027	सिंचित
12	भीमकुंवरबाई बेवा बहादुरसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	122/2	2.510	0.549	सिंचित
13	आशाराम पिता सरूप 1/4, रामचन्द्र पिता सरूप 1/4, वरदीबाई बेवा सरूप 1/4, शैतानबाई पिता सरूप 1/4, जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124	0.510	0.130	सिंचित
14	विरेन्द्रसिंहनाबालिंग पिता क्रमनोहरसिंह नाबा सरपरस्त भाई मांगुसिंह पिता बहादुरसिंह स्वयं जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	122/1	2.730	0.946	सिंचित
15	हरीसिंह पिता छतरसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	158/5	0.200	0.036	सिंचित
16	विरेन्द्रसिंहनाबालिंग पिता क्रमनोहरसिंह नाबा सरपरस्त भाई मांगुसिंह पिता बहादुरसिंह स्वयं जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	120/1	1.490	0.224	सिंचित
17	विरेन्द्रसिंह नाबालिंग पिता मनोहरसिंह नाबा सरपरस्त भाई मांगुसिंह पिता बहादुरसिंह स्वयं जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	182/1039	0.060	0.060	सिंचित
18	लालू पिता भीमाजी जाति गारी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178/1015/1	1.180	0.525	सिंचित
19	मुन्नालाल पिता भीमा जी जाति गारी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178/1015/2	1.190	0.046	सिंचित
20	मांगीलाल पिता गंगराम जाति गारी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178	2.370	0.857	सिंचित
21	लालजी पिता नागू जाति गारी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	180	1.190	0.077	सिंचित

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार
22	जितेंद्र पिता माधु 1/6, भारतलाल पिता माधु 1/6, शातिबाई बेवा माधु 1/6, अशोक पिता मोहन 1/10, रेशमबाई पिता मोहन 1/10, संजूबाई पिता मोहन 1/10, सोवनबाई पिता मोहन 1/10, सागुबाई बेवा मोहन 1/10, जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	179	1.430	0.291	सिंचित
23	अशोक पिता मोहन व सागुबाई वि.मोहन व रेशमबाई, झानूबाई, सोवनबाई पिता मोहन जाति बागरी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	732	0.480	0.406	सिंचित
24	लीलाबाई बेवा भग्गा 1/5, लालसिंह पिता भग्गा 1/5, भूरीबाई पिता भग्गा 1/5, सजनबाई पिता भग्गा 1/5, बालू पिता भग्गा 1/5, जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	734/1	0.240	0.017	सिंचित
25	कला पिता बाबरू जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	734/2	0.250	0.060	सिंचित
26	बाबू पिता नरसिंह व रतनबाई विधवा नरसिंह कमलबाई कलाबाई गेन्दीबाई धापूबाई श्यामबाई पुत्रिया नरसिंह जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	729/4	0.590	0.356	सिंचित
27	कला पिता बाबरू जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	729/5/1	0.310	0.205	सिंचित
28	लीलाबाई बेवा भग्गा 1/5, लालसिंह पिता भग्गा 1/5, भूरीबाई पिता भग्गा 1/5, सजनबाई पिता भग्गा 1/5, बालू पिता भग्गा 1/5, जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	729/5/2	0.320	0.040	सिंचित
29	कचरु पिता बाबरू जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	729/5/3	0.100	0.035	सिंचित
30	शंकरलाल पिता धनजी 1/2, बद्रीलाल पिता धनजी 1/2, जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	731	0.600	0.149	सिंचित
31	धन्ना पिता नन्दा जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	730/1	0.250	0.004	सिंचित
32	धन्ना पिता नन्दा जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	729/2	0.580	0.038	सिंचित
33	कंचनबाई पति धन्ना जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	729/3/1	0.200	0.063	सिंचित
34	सीताबाई बेवा कनीराम, तेजाराम पिता कनीराम, गंगाबाई पिता कनीराम, चंद्रबाई पिता मन्ना उर्फ माना, जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	729/3/2	0.090	0.046	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार
35	वरदीबाई पिता मन्ना उर्फ माना 1/2, धर्मेन्द्र पिता लालू 1/6, मनोहर पिता लालू 1/6, रतनबाई बेवा लालू 1/6, जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	729/3/3	0.300	0.121	
36	बद्रीबाई पिता रोड़ा 1/2, सजनबाई बेवा रोड़ा 1/2, जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	726/1	0.310	0.002	सिंचित
37	धुला पिता रामा जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	726/2	0.320	0.145	सिंचित
38	रणछोड़ पिता रामा जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	726/3	0.310	0.253	सिंचित
39	मांगू पिता रोड़ा जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	726/4	0.110	0.110	सिंचित
40	भंवर पिता रोड़ा जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	726/5	0.100	0.100	सिंचित
41	अयोध्याबाई बेवा काना 1/5, राजेन्द्र पिता काना 1/5, देवीलाल पिता काना 1/5, सरेकुंवर पिता काना 1/5, पेपाबाई पिता काना 1/5, जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	726/6	0.100	0.080	सिंचित
42	रामसिंह पिता मांगू 1/3, मदनलाल पिता मांगू 1/3, रेशमबाई बेवा मांगू 1/3, जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	725	1.360	0.443	सिंचित
43	सजनबाई, अयोध्याबाई पिता शोभाराम, मोहनलाल पिता बद्रीलाल, मुकेश पिता गणपत, शांतिबाई विधवा गणपत, दिलीप, ललीता, पूजा ना.बा. पिता गणपत सरप माता शांतिबाई व मांगूबाई पति बद्रीलाल, अमरसिंह, नागेश्वर पिता सूरज, सीताबाई विधवा सूरज, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी विक्रम पिता नानूराम जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	781	0.510	0.325	सिंचित
44	रणछोड़ पिता रामा जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	780/1	0.530	0.248	सिंचित
45	उदेलाल पिता मदनलाल जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	782/3	0.440	0.196	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हे. मे.	अर्जित भूमि का प्रकार
46	बाबूलाल पिता रामसिंह जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	782/2	0.430	0.178	सिंचित
47	जगदीश पिता केसर जाति गारी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	782/1	0.430	0.230	सिंचित
48	रामजीलाल पिता राधेशयाम जाति ब्राह्मण पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	792/3	0.590	0.175	सिंचित
49	कचरु पिता बाबरु जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	791	0.900	0.360	सिंचित
50	श्री महादेवजी का चबूतरा वाके देह हाजा भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन मिल्क्यत सरकार बऐहतमाम ओंकाफ मुतल्लिक देवस्थान	790	0.990	0.468	सिंचित
51	अयोध्याबाई बेवा काना 1/5, राजेन्द्र पिता काना 1/5, देवीलाल पिता काना 1/5, सरेकुंघर पिता काना 1/5, पेपाबाई पिता काना 1/5, जाति बागरी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	783/1031/5	0.350	0.002	सिंचित
52	रोहित पिता अशोककुमार जाति कुलम्बी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	789	0.400	0.112	सिंचित
53	रोहित पिता अशोककुमार जाति कुलम्बी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	788	0.400	0.263	सिंचित
54	विजयसिंह पिता भारतसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	787	0.500	0.249	सिंचित
55	धर्मन्द्र पिता राजेन्द्रकुमार जाति कुलम्बी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	794/1	1.600	0.340	सिंचित
56	शाहीनबी पति शेरजउद्दीन जाति मुसलमान पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	786	0.470	0.114	सिंचित
57	धर्मन्द्र पिता राजेन्द्रकुमार जाति कुलम्बी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	806/3	0.500	0.211	सिंचित
58	गंगाबाई पति गिरधारीलाल जाति कुलम्बी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	813/1033/2	0.800	0.127	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.भे)	प्रभावित रकबा हें में	अर्जित भूमि का प्रकार
59	गंगाबाई पति गिरधारीलाल जाति कुलम्बी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	813/1033/4	0.600	0.405	सिंचित
60	गंगाबाई पति गिरधारीलाल जाति कुलम्बी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	814/2	0.400	0.194	सिंचित
61	श्यामसिंह कंमलसिंह कुशालकुंवर सीमाकुंवर पिता जोरावरसिंह विलमकुंवर बेवा जोरावरसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	814/1	2.260	0.980	सिंचित
62	कुशालसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	813/1	0.430	0.118	सिंचित
63	कुशालसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	813/2	1.040	0.010	सिंचित
64	बाबूलाल पिता नारायण जाति कुम्हार पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	848/1/1	2.310	0.052	सिंचित
65	बाबूलाल पिता नारायण जाति कुम्हार पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	849/2/1	0.100	0.100	सिंचित
66	सुगनबाई पत्नी कैलाश जाति कुम्हार पता भाटीसुड़ा सुआडी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	849/2/2	0.100	0.095	सिंचित
67	मदनलाल पिता काना 1/3, रतनलाल पिता काना 1/3, कलाबाई पिता काना /3, जाति गारी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	849/1	0.230	0.028	सिंचित
68	सुगनबाई पत्नी कैलाश जाति कुम्हार पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	848/1/2	0.500	0.091	सिंचित
69	सुगनबाई पत्नी कैलाश जाति कुम्हार पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	848/2	1.000	0.714	सिंचित
70	फूलकुंवर पति मनोहरसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	850/1	0.550	0.002	सिंचित
71	गीताबाई बेवा भैरु, रमेश, राजू मांगीलाल पिता भैरु सोदराबाई, पेपाबाई, कंकबाई पिता भैरु जाति बंजारा पता भाटीसुड़ा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	850/2	0.840	0.242	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हें में	अर्जित भूमि का प्रकार
72	प्रेमकुंवरबाई पिता गोपालसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	851/3	0.470	0.105	सिंचित
73	उदेलाल पिता बद्रीलाल, शैकरलाल पिता बद्रीलाल, कलाबाई पिता बद्रीलाल, लालजी पिता बद्रीलाल, मागुबाई मगनबाई सम्पतबाई पिता बद्रीलाल, श्यामूबाई पिता मोहनलाल पिता बसन्तबाई पिता मोहनलाल, जाति गारी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	853	1.410	0.815	सिंचित
74	रुपसिंह फौजदारसिंह करणसिंह शांताकुवंर पिता भवंरसिंह लालकुवंर विधवा भवंरसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश 456331 भूमि स्वामी	854/1	1.760	0.095	सिंचित
75	सुरेन्द्र सिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	854/2	1.000	0.289	सिंचित
76	जितेन्द्रसिंह पंवार पिता करणसिंह पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	875/1	0.330	0.007	सिंचित
77	सुरेन्द्रसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	869/1	1.090	0.642	सिंचित
78	सुरेन्द्रसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	869/2	0.630	0.386	सिंचित
79	सिघू पिता सेवा जाति चमार पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	868	1.280	0.614	सिंचित
80	मांगीलाल पिता पूना जाति गारी पता भाटीसुड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	866/2	1.600	0.251	सिंचित
	<b>कुल रकबा</b>			<b>17.949</b>	

चूंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहङ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युट्री मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.—1176—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र. 0028—अ—82—2024—25

चौंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत है कि इसके सूलगत अनुसूची क्रमांक—01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) में उज्जैन के समुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक—1 में उज्जैन—जावरा के मध्य 4—लेन पेहङङ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील नागदा जिला उज्जैन के ग्राम पिपल्याशीश की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक—2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची—2 की भूमि की अनुसूची—1 में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची—1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं। में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	नागदा	पिपल्याशीश	1.553	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्कर विकास निगम उज्जैन(म.प्र)	उज्जैन—जावरा के मध्य 4—लेन पेहङङ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

### अनुसूची—2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हि.मे)	प्रभावित रकबा हैं। में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	प्रकाश पिता रामलाल जाति चमार पता पिपल्याशीश नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	400/3	0.400	0.035	सिंचित
2	बाबूलाल पिता देवा जाति चमार पता पिपल्याशीश नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	401/1	0.800	0.186	सिंचित
3	बालू पिता देवजी जाति चमार पता पिपल्याशीश नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमि अहस्तांतरणीय है	401/2	0.750	0.337	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रस्तावित रकबा हें. मे	अर्जित भूमि का प्रकार
4	देवीसिंह, रुगनाथसिंह, भगवानसिंह, निहालबाई, रामकुंवरबाई पिता भेरूसिंह भूमि स्वामी 1/3, तुभानसिंह व सीमा कुंवर पिता फतेसिंह, हंसकुंवर बेवा फतेसिंह 1/419, शक्तिसिंह पिता देवीसिंह व पारसकुंवर पुत्री देवीसिंह 1/4, जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी राधेश्याम ओमप्रकाश पिता गंगाराम जाति प्रजापत पता नि.नागदा 1/13, गद्वाकुंवर पति भगवानसिंह 11/441, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम	403	0.880	0.172	सिंचित
5	देवीसिंह, रुगनाथसिंह, भगवानसिंह, निहालबाई, रामकुंवरबाई पिता भेरूसिंह भूमि स्वामी 1/3, तुभानसिंह व सीमा कुंवर पिता फतेसिंह, हंसकुंवर बेवा फतेसिंह 1/419, शक्तिसिंह पिता देवीसिंह व पारसकुंवर पुत्री देवीसिंह 1/4, जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी राधेश्याम ओमप्रकाश पिता गंगाराम जाति प्रजापत पता नि.नागदा 1/13, गद्वाकुंवर पति भगवानसिंह 11/441, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम	405	2.060	0.716	सिंचित
6	विनोद पुजाबाई कविताबाई पिता प्रकाश व शारदाबाई बेवा प्रकाश जाति बरगुण्डा पता पिपल्याशीश नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय हैं।	407/2	0.230	0.107	सिंचित
कुल रकबा			<b>1.553</b>		

चूंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइट्रिड एन्चुटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1177-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0027-आ-82-2024-25

चौंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत है कि अनुसूची अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहङङ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम नवादा की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उन्हेल	नवादा	6.036	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सङ्क. विकास निगम उज्जैन(भ.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहङङ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

### अनुसूची-2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हेक्टर)	प्रभावित रकबा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	रामेश्वर, तोलाराम, राजाराम, श्यामूबाई, सीताबाई पिता रतनलाल व अवन्ताबाई बेवा रतनलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	356	0.400	0.373	सिंचित
2	रामेश्वर, तोलाराम, राजाराम, श्यामूबाई, सीताबाई पिता रतनलाल व अवन्ताबाई बेवा रतनलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	355	1.270	0.252	सिंचित
3	विश्राम पिता शंकरलाल जाति चमार पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	322/1/1	1.980	0.480	सिंचित
4	दशरथ पिता शंकरलाल जाति चमार पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	322/1/2	1.980	0.540	सिंचित
5	राधेश्याम पिता शंकरलाल जाति चमार पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	322/1/3	0.370	0.076	सिंचित
6	राधेश्याम पिता शंकरलाल जाति चमार पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	322/2	1.600	0.552	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रमाणित रकबा हैं में	अर्जित भूमि का प्रकार
7	राधेश्याम पिता शंकरलाल जाति चमार पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	321/1	0.390	0.146	सिंचित
8	दशरथ पिता शंकरलाल जाति चमार पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	321/2	0.690	0.237	सिंचित
9	विश्वाम पिता शंकरलाल जाति चमार पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	321/3	0.690	0.194	सिंचित
10	कनीराम पिता भीमा जाति चमार पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	320/1/1	1.400	0.006	सिंचित
11	मानकुवर पति अर्जनलाल जाति चमार पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	320/1/2	0.200	0.171	सिंचित
12	अन्तरबाई पति राधेश्याम जाति चमार पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	320/2	0.200	0.045	सिंचित
13	रामेश्वर पिता सीताराम नरेन्द्राबाई विधवा सीताराम जाति चमार पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	323	3.590	0.003	सिंचित
14	गोवर्धनलाल, राधेश्याम, अर्जुनलाल, राधाबाई, प्रेमलताबाई पिता रामा उर्फ रामलाल, तेजू बाई बेवा रामा उर्फ रामलाल जाति चमार निवासी ग्राम नवादा	317/1	1.140	0.517	सिंचित
15	लक्ष्मण पिता बगदीराम जाति चमार पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	317/2	0.760	0.398	सिंचित
16	तेजकुवरबाई पति झूंगरसिंह जाति राजपूत पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	316/1	0.900	0.099	सिंचित
17	मानीबाई बेवा शैतानमल जाति महाजन घटा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	318	2.320	0.021	सिंचित
18	समंदरसिंह पिता करणसिंह जाति राजपूत पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	312/1	1.320	0.376	सिंचित
19	पेपाकुंवर पति खुमानसिंह वर्षा रिषिका मादी संजना दिव्या पिता खुमानसिंह समस्त नाबालिग सरपरस्त माता पेपाकुंवर पति खुमानसिंह जाति राजपूत पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	312/2/1	0.720	0.400	सिंचित
20	अजयसिंह राहुलसिंह पुंजाकुंवर पिता नवल सिंह जाति राजपूत पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	312/3	1.720	0.359	सिंचित
21	पेपाकुंवर पति खुमानसिंह जाति राजपूत पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	312/5	0.200	0.031	सिंचित
22	गोवर्धन पिता छोगालाल जाति पाटीदार पता कलालखेड़ी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	311/1	0.630	0.351	सिंचित
23	मनोहरलाल राधेश्याम ओमप्रकाश राजेश शकुन्तला कलावतीबाई पिता रामचन्द्र जाति दर्दी पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	311/2	0.620	0.403	सिंचित
24	राजेंद्र संजय संगीता पिता सत्यनारायण, सोदी जाति सोदी पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	309/1	0.800	0.006	सिंचित
	कुल रकबा		6.036		

चूंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लैन पेक्षड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1178-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0040-अ-82-2024-25

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रश्नात हासिल किया जाना अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (6) पर उनके बारे में संख्या दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समर्थन हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम बरखेड़ा नजीक की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्वासन और पुर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हें. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उन्हेल	बरखेड़ा नजीक	9.282	संभागीय प्रबंधक म.प्र.सङ्कर विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

### अनुसूची-2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हें.में)	प्रभावित रकबा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	श्री महादेव चबूतरा भूमिस्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर उज्जैन मिल्कियत सरकार बएतमाम ओकाफ डिपार्मेंट देवस्थान	428	1.420	0.024	सिंचित
2	लीलावाई पति शंकरलाल जाति जाट पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन भूमि स्वामी	423	1.780	0.590	सिंचित
3	श्री महादेव चबूतरा भूमिस्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर उज्जैन मिल्कियत सरकार बएतमाम ओकाफ डिपार्मेंट देवस्थान	424	1.520	0.683	सिंचित
4	सजनवाई पति सिद्धू जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन भूमि स्वामी	338/2	1.530	0.037	सिंचित
5	नैना पिता गोरेलाल जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	421/1	0.050	0.016	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हे. मे.	अर्जित भूमि का प्रकार
6	मुकेश पिता गोरेलाल जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	421/2	1.060	0.461	सिंचित
7	नैना पिता गोरेलाल जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	419/2	0.540	0.047	सिंचित
8	भीमा पिता उदा जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	358/2/1	0.630	0.012	सिंचित
9	रमेश पिता गोरेलाल जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	358/2/2/1	0.200	0.137	सिंचित
10	मुकेश पिता गोरेलाल जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	358/2/2/2	0.200	0.172	सिंचित
11	घासी पिता उदा जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	358/2/3	0.790	0.211	सिंचित
12	कालू पिता पैमा जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	360	0.650	0.092	सिंचित
13	बुलीबाई पति बालु जाति बंजारा पता नदकमपिदमक नदकमपिदमक उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	359	0.800	0.598	सिंचित
14	कालू पिता पैमा जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	365	0.800	0.217	सिंचित
15	बापूलाल पिता किशन जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	364/2	0.300	0.204	सिंचित
16	कालू पिता पैमा जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	364/3	0.150	0.001	सिंचित
17	बापूलाल पिता किशन जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	363	1.080	0.249	सिंचित
18	सजनबाई पति लालू जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	367/1	0.150	0.133	सिंचित
19	प्रकाश पिता किशन 1/2, आरतीबाई पति प्रकाश 1/2, जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी	367/2	0.800	0.239	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मेर्स)	प्रभावित रकबा हें में	अर्जित भूमि का प्रकार
20	भूरीबाई पति प्रकाशचंद्र जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	368	0.260	0.200	सिंचित
21	बापूलाल पिता किशन जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	369	0.110	0.072	सिंचित
22	मूर्ति श्रीराम जानकी मंदिर व्यवस्थापक सिद्धनाथ पिता गोपाल जाति धाकड़ व सुरेशचन्द्र पिता पूरालाल व चंदरसिंह पिता किशन जाति आंजना व रतनलाल पिता हीरालाल जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	370/1	0.840	0.006	सिंचित
23	श्यामूबाई बेवा आत्माराम, कालू नाबालिंग पिता आत्माराम संरक्षक माता श्यामूबाई बेवा आत्माराम, राकेश नाबालिंग पिता आत्माराम संरक्षक माता श्यामूबाई बेवा आत्माराम, जाति बलाई पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय शासन द्वारा प्रदत्त भूमि अहस्तांतरणीय है	381/1	1.210	0.251	सिंचित
24	लीलाबाई बेवा अमरसिंह, मुकेश पिता अमरसिंह, विक्रम पिता अमरसिंह, राधाबाई पिता अमरसिंह, सुरेश पिता अमरसिंह, जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	384	1.000	0.369	सिंचित
25	सवजी पिता धन्ना जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	383	1.140	0.010	सिंचित
26	नरसिंह पिता धन्ना जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	385	0.630	0.486	सिंचित
27	नरसिंह पिता धन्ना जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	386	0.520	0.146	सिंचित
28	राजूबाई पति जगदीश जाति बंजारा पता बरखेडानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	387/1/1	0.340	0.238	सिंचित
29	रेखाबाई पति प्रकाश जाति बंजारा पता बरखेडानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	387/1/2	0.330	0.144	सिंचित
30	संतोषबाई पति रमेश जाति बंजारा पता बरखेडानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	387/1/3	0.330	0.064	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रमाणित रकबा हे. मे	अर्जित भूमि का प्रकार
31	रमेश पिता गोरु 1/3, राजू पिता गोरु 1/3, मुकेश पिता गोरु 1/3, जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	387/2	1.000	0.018	सिंचित
32	सुवाबाई पति सवजी जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	398/3	1.000	0.296	सिंचित
33	सुवाबाई पति सवजी जाति बंजारा पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	398/2/1	0.400	0.065	सिंचित
34	गीताबाई पति हिन्दू जाति बलाई पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	398/2/2/1	1.300	0.271	सिंचित
35	संतोषबाई पति रमेश जाति बंजारा पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	398/2/2/2	0.200	0.190	सिंचित
36	लक्षण पिता नानूराम जाति बलाई पता लेकोडा आंजना नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	398/1/1	3.600	0.600	सिंचित
37	महेश पिता शंकरलाल जाति जाट पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	395/1	0.610	0.190	सिंचित
38	प्रेमबाई पिता अनोखीलाल जाति बलाई पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	395/2	0.260	0.002	सिंचित
39	महेश पिता शंकरलाल जाति जाट पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	396	0.300	0.144	सिंचित
40	गीताबाई पति हिन्दू जाति बलाई पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	397	1.560	0.679	सिंचित
41	सूरजबाई पिता बालाराम जाति ब्राह्मण पता आक्या नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	281	1.160	0.679	सिंचित
42	अवंताबाई पिता रामा 1/4, कृष्णबाई पिता रामा 1/4, गिरधारी पिता रामा 1/4, कैलाशबाई बेवा रामा 1/4, जाति चमार पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	245/1	0.150	0.038	सिंचित
43	अवंताबाई पिता रामा 1/4, कृष्णबाई पिता रामा 1/4, गिरधारी पिता रामा 1/4, कैलाशबाई बेवा रामा 1/4, जाति चमार पता बरखेड़ा नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	235/1/2	0.300	0.001	सिंचित
	कुल रकबा			9.282	

दूसरे उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेक्ड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युट्री मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुबिभागीय अधिकारी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1179-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. 0024-अ-82-2024-25

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रकाश हालांकि उज्जैन अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (3) के नाम के सम्बन्ध दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहङड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम जियाजीगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक -2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है की निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
उज्जैन	उन्हेल	जियाजीगढ़	6.997	संभागीय प्रबंधक म. प्र.सङ्क.विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहङड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

#### अनुसूची-2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हेक्टर)	प्रभावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	भंवरलाल पिता शंकरलाल जाति बलाई	163	0.740	0.380	पड़त
2	चतरबाई पति नगजी जाति बलाई	162/4	0.630	0.514	सिंचित
3	भंवरलाल पिता शंकरलाल जाति बलाई	162/5	0.700	0.302	सिंचित
4	राजाराम पिता शंकर जाति बलाई	162/3	0.400	0.247	सिंचित
5	राजाराम पिता शंकर जाति बलाई	162/2	1.310	0.040	सिंचित
6	भंवरलाल पिता कालू जाति गारी	156	2.150	0.520	सिंचित
7	रामेश्वर पिता मांगीलाल 1/3, भरतलाल पिता मांगीलाल 1/3, रामकुंवर बेवा मांगीलाल 1/3, जाति आंजना	155	0.500	0.205	सिंचित
8	रामेश्वर पिता मांगीलाल 1/3, भरतलाल पिता मांगीलाल 1/3, रामकुंवर बेवा मांगीलाल 1/3, जाति आंजना	148	3.420	0.508	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हें में	अर्जित भूमि का प्रकार
9	मांगीलाल पिता छगनलाल जाति लुहार कृषक जियाजीगढ़ निवासी अरोल्याजसा	151	0.710	0.405	सिंचित
10	कमलनाथ पिता भुरानाथ उर्फ अमरनाथ जाति कालबेलिया पता कालियादेह महल घट्टिया उज्जैन	150/1	0.730	0.115	सिंचित
11	मांगीलाल पिता छगनलाल जाति लुहार कृषक जियाजीगढ़ निवासी अरोल्याजसा	150/2	0.740	0.220	सिंचित
12	शंकरसिंह पिता नानूराम जाति भील	152/1	1.020	0.476	सिंचित
13	बनेसिंह पिता गोरधनलाल 1/8, ईश्वर पिता गोरधनलाल 1/8, मोहन पिता गोरधनलाल 1/8, इंद्रबाई पिता गोरधनलाल 1/8, समंदबाई पिता गोरधनलाल 1/8, सायरबाई पिता गोरधनलाल 1/8, कांतबाई पिता गोरधनलाल 1/8, लालकुंवर बेवा गोरधनलाल 1/8, जाति भील	152/2	1.020	0.002	सिंचित
14	ऊकारनाथ पिता बापुनाथ जाति कालबेलिया	111/1/1	0.840	0.009	सिंचित
15	सेवाराम पिता रणछोड़ 1/2, सुखराम पिता रणछोड़ 1/2, जाति गारी	115/1	1.300	0.751	सिंचित
16	सेवाराम पिता रणछोड़ 1/2, सुखराम पिता रणछोड़ 1/2, जाति गारी	115/2	0.200	0.068	सिंचित
17	भंवरलाल पिता कालू जाति गारी	114/1	0.250	0.020	सिंचित
18	शुभम नाबालिंग पिता विक्रमसिंह संरक्षक विक्रमसिंह जाति आंजना	116/1/1/1/2	0.100	0.006	सिंचित
19	शुभम नाबालिंग पिता विक्रमसिंह संरक्षक विक्रमसिंह जाति आंजना	116/1/1/2	0.200	0.175	सिंचित
20	जीवनलाल पिता भंवरलाल जाति गारी	116/1/2	0.200	0.182	सिंचित
21	जस्सुबाई पति भीमसिंह जाति गारी निवासी गढ़ा	116/2	0.200	0.006	सिंचित
22	वीरुनाथ पिता बापुनाथ जाति कालबेलिया	131/1	0.300	0.118	सिंचित
23	वीरुनाथ पिता बापुनाथ जाति कालबेलिया	131/2	0.400	0.320	सिंचित
24	मांगूनाथ पिता राजनाथ 1/9, भूरानाथ पिता राजनाथ 1/9, कमलनाथ पिता राजनाथ 1/9, राजूबाई पिता राजनाथ 1/9, शिवबाई पिता राजनाथ 1/9, कैलाशनाथ पिता हीरानाथ 1/9 कंचनबाई बेवा हीरानाथ 1/9, तेजूबाई पिता लालुनाथ 1/9, सरदारबाई बेवा दौलानाथ 1/9, जाति कालबेलिया	129	0.300	0.033	सिंचित
25	ऊकारनाथ पिता बापुनाथ 1/2, वीरुनाथ पिता बापुनाथ 1/2, जाति कालबेलिया	134	0.950	0.338	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खंसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रमाणित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
26	रमेशनाथ पिता दौलानाथ जाति कालबेलिया	126	0.200	0.190	सिंचित
27	बद्रीनाथ पिता लालूनाथ 1/5, कैलाशनाथ पिता लालूनाथ 1/5, ईश्वर पिता लालूनाथ 1/5, जगू पिता लालूनाथ 1/5, तेजबाई पिता लालूनाथ 1/5, जाति कालबेलिया	125	0.710	0.031	सिंचित
28	पूजा इला ममता सकीना पिता विक्रमनाथ व शांताबाई बेवा विक्रमनाथ जाति कालबेलिया पता जियाजीगढ़ नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	127/2	0.230	0.015	सिंचित
29	वीरुनाथ पिता बापुनाथ जाति कालबेलिया	123/1	0.230	0.220	सिंचित
30	वीरुनाथ पिता बापुनाथ जाति कालबेलिया	123/2/1	0.260	0.202	सिंचित
31	ऊकारनाथ पिता बापुनाथ जाति कालबेलिया	123/2/2	0.150	0.086	सिंचित
32	पूजा इला ममता सकीना पिता विक्रमनाथ व शांताबाई बेवा विक्रमनाथ जाति कालबेलिया पता जियाजीगढ़ नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	122/2	0.160	0.035	सिंचित
33	पूजा इला ममता सकीना पिता विक्रमनाथ व शांताबाई बेवा विक्रमनाथ जाति कालबेलिया पता जियाजीगढ़ नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/3	0.620	0.258	सिंचित
	<b>कुल रकबा</b>		<b>6.997</b>		

चूंकि उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्चुटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितवद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विरथापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.—0011—अ—82—2023—24

निवाड़ी, दिनांक 3 फरवरी 2025

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 11 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय—सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आमतिं प्रस्तुत न होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

**अनुसूची**

1 भूमि का विवरण	:	डुडियन घाट तालाब
क परियोजना का नाम	:	निवाड़ी
ख जिला	:	पृथ्वीपुर
ग तहसील	:	विरौरा पहाड भाटा
घ ग्राम	:	
ड अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	:	65.909

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	भ-अर्जन तथा खसरा विवरण क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर)	कुल खाते का क्षेत्रफल जिसमें अर्जित हो रहा है। (हेक्टर)
1	2	4	7	8
1	मतोहर त. पन्चमति कुम्हार पता नि. पृथ्वीपुरभूमि स्वामी	89/1/1/2	0.5000	0.5000
2	पंचम पुत्र कल्लजाति चमार पता पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी. पंकज मनीष प्रदीप पुत्र दुर्जन शशि वेदा दुर्जन पता निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी. लछमन पुत्र कल्लू जाति चमार पता पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	89/1/1/3	1.0000	1.0000

1	2	4	7	8
3	मुन्ही पुत्र पंचम जाति कुम्हार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी. दमरू पुत्र पंचम जाति कुम्हार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी . मनोहर पुत्र पंचम जाति कुम्हारपता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी. गुनिया बेवा पंचम जात म्हार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी. धनकू पुत्री पंचम जाति कुम्हारपत विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी. सुमित्रा पुत्री पंचम जाति कुम्हारपता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी. लम्मू पुत्र पंचम जाति कुम्हारपता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी.	89/2	1.0000	1.0000
4	पंचम पुत्र कल्लू जाति चमार पता पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी. पंकज मनीष प्रदीप पुत्र दुर्जन शशि बेबा दुर्जन पता निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी . लक्ष्मन पुत्र कल्लू जाति चमार पता पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी. गौरावाई बेबा कल्लू जाति चमार पता पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	89/3	1.0000	1.0000
5	नन्दू पुत्र खुमान जाति गडरिया पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी . वंशी पुत्र खुमान जाति गडरिया पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	90/1/2	1.0000	0.0030
6	गुमान त.विन्दा जाति काढी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	90/2	0.8090	0.2350
7	हरीराम पुत्र कशीराम जाति यादव पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	151/1/3	1.2000	1.1700
8	श्याम पुत्र तुलसी जाति काढी पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	151/2	0.2140	0.0330
		151/3	0.7000	0.3690
9	श्रद्धा पुत्री अजय सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम विरौरा पहाड़ भाटा प्रथ्वीपुर निवाड़ी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	151/4/2	0.3330	0.2800
10	सरोजसिंह तनय अजय सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम विरौरा पहाड़ भाटा प्रथ्वीपुर निवाड़ी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	151/4/3	0.3330	0.2200
11	अजयसिंह तनय चन्दपाल सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम	151/5	1.0000	1.0000
12	अजयसिंह तनय चन्दपाल सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम विरौरा पहाड़ भाटा प्रथ्वीपुर निवाड़ी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी विक्रय से प्रतिबंधित	151/4/1	0.3340	0.0100
13	श्याम पुत्र तुलसी जाति काढी पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	151/6	0.4000	0.0270
14	धनुवा पिता भग्गू जाति चमार पता निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी . विस्सू पिता भग्गू जाति चमार पता निवाड़ी मध्य	157/1	0.5000	0.5000
		157/2/4	1.2140	1.1800
15	नध्रवा पुत्र हरदास जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा	157/2/1	0.8000	0.8000

1	2	4	7	8
16	देवराम पुत्र भागीरथ जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, किशोरी पुत्र भागीरथ जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	157/2/2	0.6000	0.6000
17	रमेश तनय गरीबे जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	157/2/3	0.4790	0.4790
18	धर्मा पुत्र कमतू जाति चमार पता निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, मनीराम पुत्र फदू जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, रघुवीर पुत्र फदू जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, सावित्री पुत्री फदू जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	157/2/5	1.2140	1.2140
19	छन्दी त. जगन सुकरती पढ़ी छन्दी जाति चमार पता नि.ग्रामम भूमि स्वामी	157/3	0.6280	0.6280
20	फूला बेवा बाबू जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, शिवदयाल पिता बाबू जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मुकेश पिता बाबू जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, अशोक पिता बाबू जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रामा पुत्री बाबू जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, केशर पुत्री बाबू जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,	157/4	0.8090	0.8090
21	पुष्पेन्द्र नावालिंग पुत्र ढुल्ली जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, राकेश नावालिंग पुत्र ढुल्ली जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, हरवाई बेवा ढुल्ली जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	157/5	0.5000	0.5000
22	राकेश पिता बृजलाल दिररो ऊणा पुत्री बृजलाल जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ उत्तरी निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	157/6/1	0.3330	0.3330
23	मोती त. अनन्दी जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	157/6/2	0.4670	0.4670
24	राजेश कुमार मुकेश कुमार तनय धनीराम साहू 1/2, रोहित तनय मातादीन 1/2 पता निवासी प्रथ्वीपुर भूमि स्वामी	159/1/1	2.0000	1.7100

1	2	4	7	8
25	फोदे पुत्र पंचम जाति बसौर पता पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, घनश्याम पिता दुज्जा बंशकार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, कूलचंद पिता दुज्जा बंशकार पता मजल निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, गोविन्दास पिता दुज्जा बंशकार पता मजल निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, लालाराम पिता दुज्जा बंशकार पता मजल निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, कूरा पुत्र पंचम जाति बसौर पता पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, रजन पुत्र पंचम जाति बसौर पता पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, आसाराम पुत्र पंचम जाति बसौर पता पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	1.59/2/1	2.8340	2.8340
26	गोविन्दास मनोहर रामस्वरूप हरजू कमलेश पण्णू त. रमू जाति काढी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	159/2/2	2.8340	2.8340
27	आशाराम काशीराम किशोरी पिता सल्ले कुशवाहा पता पृथ्वीपुर पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, अच्छेलाल	163/1 163/1/3	1.4160 0.5000	0.0600 0.0600
28	जानकारी प्राप्त नहीं	*	1.2190	1.2190
29	हल्लू लक्ष्मण परमू तनय पन्नालाल हि.707/2023,कूरे त. प्रागी जाति गडरिया पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	163/2	2.0230	2.0000
30	हल्लू लक्ष्मण त.पन्नालाल 2/3 कूरे त. प्रागी 1/3 जाति गडरिया पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	164/1	1.2140	1.2140
31	जगदीश त. रामदयाल 3/4 हि. मैहरवान रामरतन त.प्रभू 1/8हि. नाथूराम त. रामदास प्रीतम त. वावू 1/8 हि. पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	164/2/1	1.6200	1.4200
32	रामचरन त.गैरेलाल जाति सौर पता नि.विरौरा पहाड़ भाटे भूमि स्वामी	164/2/2	1.0000	0.0100
33	जगदीश त.रामदयाल 1/4हि. रामदयाल त. सूके 1/6हि नाथूराम त. रामदास प्रीतम त. वावू 5/24हि. मैहरवान रामरतन त. प्रथूदयाल 5/24 हि. मुन्नू त. रस्थीर जाति गडरिया पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	164/3	2.4280	2.3780
34	परमा तनय हल्का जाति सौर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	165/1/2	0.4200	0.4200
35	सरजू पुत्र गुन्ठा जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , चिपुवा पुत्र गुन्ठा जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , रमेश पुत्र गुन्ठा जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	165/1/3	0.6070	0.6070
36	र्यादीन पुत्र कुट्टू जाति काढी पता पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, जमनाउर्फपरमानन्द पुत्र कुट्टू जाति काढी पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी , मनोहर पुत्र कुट्टू जाति काढी पता पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	165/2	1.2140	1.0140

1	2	4	7	8
37	शंकर पुत्र दलुवा जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, पुक्खन पुत्री दलुवा जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, मैदा पुत्री दलुवा जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, मिथला पुत्री दलुवा जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	165/3	1.0000	1.0000
38	भगवानदास पुत्र गन्धा जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	165/4	1.0000	1.0000
39	मनोहर पुत्र विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, सोहन पुत्र विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, मुकेश पुत्र विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, गैरा पुत्री विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, शिष्मू पुत्री विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, किशन पुत्र विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	168/1/1/1	0.3040	0.3040
40	धर्मा पुत्र कमतू जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	168/1/2	0.6000	0.6000
41	पुन्ना तनय कमतू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	168/1/3	0.6000	0.6000
42	हरचरन पुत्र स्वामी पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	168/1/4	0.6000	0.6000
43	जानदेवी भट्टी सीताराम अहिरवार पता निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, भारती भट्टी रघुवीर अहिरवार पता निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, अखिलेश लद्धमन अनिल पुत्र रामचरण अहिरवार पता निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	168/2/1	1.0140	0.8940
44	गनपत पुत्र कमतू जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	168/2/2	1.0000	0.8750
45	नल्ती बेवा स्वामी जाति चमार पता निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, हरचरन धनश्याम पिता स्वामी मनकू बेवा स्वामी पुनिया गुड़ी दिव्यू पुत्री स्वामी जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, मीरा बेवा धनीराम जगदीश अरविन्द पुष्ट्र धनीराम राखी माया पुत्री धनीराम जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	168/2/3	0.4020	0.4020
46	कुसमा भट्टी रामचरन अहिरवार पता पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	168/2/4	0.6100	0.6100

1	2	4	7	8
47	किसना पुत्र विक्रम जाति चमार पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	168/2/5	0.2020	0.2020
48	धर्मा पुत्र कमतू जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, रामदयाल पुत्र कमतू जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	168/2/6	0.8090	0.8090
49	गनेशी बेवा कामता जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, वीरप्रताप पुत्र कामता जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	169/1/1	2.0000	1.8500
50	गनेशी बेवा कामताप्रसाद जाति चमार पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, वीरप्रताप पुत्र कामताप्रसाद जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, लड़कु बेवा मिठू जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, सुही पुत्र मिठू पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, राजू पुत्र मिठू पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, कलन पुत्री मिठू पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, अवदेश पुत्र गयादीन पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, रामदेवी बेवा गयादीन पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	169/1/2	0.0470	0.0470
51	लड़कु बेवा मिठू पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, सुही पुत्र मिठू पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, राजू पुत्र मिठू पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, कलन पुत्री मिठू पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, अवदेश पुत्र गयादीन पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, रामदेवी बेवा गयादीन पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	169/1/3	2.0000	1.7900
52	सुशीला बेवा गर्जई जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, संतोष पिता गर्जई जाति अहिरवार पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, पनकू पुत्री गर्जई जाति अहिरवार पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, गुल्लन पुत्री गर्जई जाति अहिरवार पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, हनू पुत्री गर्जई जाति अहिरवार पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सुनीता पुत्री गर्जई जाति अहिरवार पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, माया पुत्री गर्जई जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	169/2/2	1.0000	0.0500

1	2	4	7	8
53	राजू पुत्र मिठू जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, सुखदीन पुत्र मिठू जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी , अबंधेश पुत्र ग्यादीन जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी , रामदेवी बेवा ग्यादीन जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	170	0.6880	0.4180
54	विन्दे पुत्र सरू जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	171	1.9020	0.0920
55	गनेश पुत्र गिरधारी बसोर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , सियाराम पुत्र गिरधारी बसोर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मोहन पुत्र स्वामी चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , विन्द्रावन पुत्र स्वामी चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रमेश पुत्र स्वामी चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	174	3.1540	1.1200
56	रामचरन पुत्र रमोले जाति अहिरवार पता विरोरापहाड़ उत्तरी पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	175/1	0.9000	0.0100
57	उमेद खाडे त.नय जसू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	175/2	1.0000	0.0200
58	मु.राजकुवर वेवा भगवानदास जाति अहिरवार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	175/5/2	0.5000	0.0730
59	मनोहर पुत्र विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी , सोहन पुत्र विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, मुकेश पुत्र विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी , गौरा पुत्री विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी ,शिम्बू पुत्री विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी ,किशन पुत्र विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	177	0.6760	0.2150
60	रामदास पुत्र खितई जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	178	2.5370	0.9740
61	फूलवती पत्नी अशोक यादव पता नि.ग्राम सिमरा भूमि स्वामी	179	1.6080	1.4050
62	चिन्तामन तनय जुगन जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	180/1/1	1.2080	0.0300

1	2	4	7	8
63	नथू वैजू पिता धीरा जाति अहिरवार पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, वृन्दावन धासीराम पिता चुखरा रजी पुत्री चुखरा जाति अहिरवार पता विरोरा पहाड़ उत्तरी निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, राकेश पिता बृजलाल दिररो ऊपा पुत्री बृजलाल जाति अहिरवार पता विरोरा पहाड़ उत्तरी निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	180/2	2.8530	0.2600
64	विहारी कूरा भुजा रामचरन लखन त. हरिया मु. दरगाय वारी भुनिया वेवा हरिया मीरा पुत्री हरिया 1/4हि. छन्दी, चउवा त.सुन्ना, खुमनीवेवा सुन्ना, जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी, फूलामुनिया, खरगिया, गुड़ी पुत्री सुन्ना 1/4हि. नथुवा, वैजुवा त. धीरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202	0.2060	0.1060
65	विहारी कूरा भुजा रामचरन लखन त. हरिया मु. दरगाय वारी भुनिया वेवा हरिया मीरा पुत्री हरिया 1/4हि. छन्दी, चउवा त.सुन्ना, खुमनीवेवा सुन्ना, जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी, फूलामुनिया, खरगिया, गुड़ी पुत्री सुन्ना 1/4हि. नथुवा, वैजुवा त. धीरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	203	1.1260	0.0150
67	गुड़ी वेवा मथुरा जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, मोती पुत्र अनन्दी जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, मलखान पुत्र अनन्दी जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी,	215/1/2	1.0000	0.1700
68	विहारीकूरा भुज्जारामचरन लखन पिता हरिया भुनिया वेवा हरिया मीरा पुत्री हरिया जाति अहिरवार पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, अनन्दी पिता मसल्ती जाति अहिरवार पता विरोरा पहाड़ उत्तरी निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, कमलेश मातादीन पिता भगवानदास नावा अंगूरी पुत्री भगवानदास सर माता गिलास गिलास वेवा भगवानदास जाति अहिरवार पता पृथ्वीपुर पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, विन्द्रावन धासीराम पिता चुखर गुनिया वेवा चुखर जाति अहिरवार पता पृथ्वीपुर पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, कैलाश पिता दिल्ला जाति अहिरवार पता पृथ्वीपुर पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, राकेश पिता बृजलाल दिररो ऊपा पुत्री बृजलाल जाति अहिरवार पता बद्धोड़ा निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, शिम्बू किसरिया धनकू पुत्री पंचे जाति अहिरवार पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	215/2	0.8090	0.2500
69	अच्छू त.काशी जाति वसोर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	217	0.2990	0.2060

1	2	4	7	8
70	छन्दी पुत्र जगन पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , सुकरती पत्ती छन्दी पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , पंचमसिंह पुत्र पहलवान जाति ठाकुर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	220	1.3720	0.0160
71	विहारीकूरा भुजारामचरन लखन पिता हरिया भुनिया वेवा हरिया मीरा पुत्री हरिया जाति अहिरवार पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , विन्द्रावन धासीराम पिता चुखरा गुनिया वेवा चुखरा रज्जी पत्री चुखरा जाति अहिरवार पता निवाडी	227	0.9340	0.0190
72		230	0.3280	0.0060
73		231	0.1980	0.1760
74		232	0.4010	0.0370
72	विहारीकूरा भुजारामचरन लखन पिता हरिया मु भुनिया वेवा हरिया मीरा पुत्री हरिया जाति अहिरवार पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , छन्दी चऊदा पिता सुन्ने खुमनी वेवा सुन्ने फूला खरणिया भुनिया गुड़ी पुत्री सुन्ने जाति अहिरवार पता विरोरा पहाड़ उत्तरी निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, धासीराम विन्द्रावन पिता चुखरा गुनिया वेवा चुखरा रज्जी	236	0.0690	0.0130
73	पंचमसिंह पिता पहलवानसिंह जाति ठाकुर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , देवीसिंह पिता रतनसिंह जाति ठाकुर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , मुन्नासिंह पिता रतनसिंह जाति ठाकुर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	245/1	0.0970	0.0970
74		246/1	0.2850	0.2450
75		249	0.5430	0.5380
76		250	0.1010	0.1010
77		251/1	0.2520	0.2520
78		252/2	2.1200	0.1200
74	राजेन्द्रसिंह पुत्र परमसिंह जाति ठाकुर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	245/2	0.0930	0.0930
75	वालाराम घनश्याम त. देवकी 2/5हि. वुदिया वेवा देवकी फूला मैदा पुत्री देवकी 1/10हि. श्यामलाल त. अनन्दी ना.वा. गुडिया	246/2	0.3150	0.2540
76		251/2	0.2500	0.2500
77	ओम प्रकाश रमाशंकर त. मथरा मालती पुत्री मथरा राजू त. गुन्ने 1/2हि. वालाराम घनश्याम त. देवकी 1/5हि. फूला मैदा पत्री देवकी म. वदिया वेवा देवकी 1/20हि. सन्दर त. कल्यान	252/1	1.0450	0.2200
78		256	0.6110	0.6110
79		262	1.2030	0.8870
76	राजू पुत्र गुन्ने यादव जाति यादव पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , गुड़ी पत्ती राजाराम जाति यादव पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	257	0.0160	0.0110
77		259	0.4370	0.0770
78		263	0.0400	0.0400
77	उमेश त.महेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	258	0.8450	0.5500
79	रामसेवक पुत्र लच्छी जाति अहीर पता विरौरा पहाड़ भाटा	264/1	1.0110	1.0110
		264/4	1.0000	0.1200

1	2	4	7	8
80	रामसेवक पुत्र लच्छी जाति अहीर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, रमेस पुत्र लच्छी जाति अहीर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, जगदीस पुत्र लच्छी जाति अहीर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, मानकुवर बेवा लच्छी जाति अहीर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, रामदेवी पुत्री लच्छी जाति अहीर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	264/2	1.2140	1.0740
81	नीरज कमार त. चिन्तामन जाति ग्रसा पता नि.ग्राम प्रध्वीपुर	264/3	2.0230	0.2500
82	दयाराम पुत्र मलू जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी, रामनाथ पुत्र मलू जाति अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	264/5	1.0240	0.7000
83	मनकू पत्री स्वामी प्रसाद जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	266/2	1.8940	0.4300
84	, ललू पिता लद्ध जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, प्रकाश पिता लद्ध जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, अजूदिया बेवा लद्ध जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी नीरज पिता बाबू जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, शोभाराम पिता बाबू जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मीरा पुत्री बाबू जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, कमला पुत्री बाबू जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, हल्की पुत्री बाबू जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, ममता पुत्री बाबू जाति सौर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाड़ी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	267/1	2.0230	2.0230

1	2	4	7	8
85	पुन्ना पुत्र कमतू जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ,किशन पुत्र विक्रम अहिरवार जाति चमार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , मनोहर पुत्र विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सोहन पुत्र विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मुकेश पुत्र विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, गौरा पुत्री विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, शिम्बू पुत्री विक्रम अहिरवार पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	267/2/3	1.0000	1.0000
86	लल्ती बेवा स्वामी जाति चमार पता निवाडी मध्य प्रदेश	267/2/2	1.0100	1.0100
87	घनश्याम राजेन्द्रप्रसाद कमलेश कुमार त.विश्वनाथ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	269/2	1.6190	1.6190
88	शंकरा पिता दलुवा जाति सोर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , पुक्खन पुत्री दलुवा जाति सोर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , मैदा पुत्री दलुवा जाति सोर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, लल्तू पिता लझू जाति सोर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, प्रकाश पिता लझू जाति सोर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , अजुदिया बेवा लझू जाति सोर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रमकू पुत्री लझू जाति सोर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सरजन पुत्री लझू जाति सोर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , नीरज पिता वावू जाति सौंर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , शोभाराम पिता वावू जाति सौंर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , भीरा पुत्री वावू जाति सौंर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , कमला पुत्री वावू जाति सौंर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, हक्की पुत्री वावू जाति सौंर पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर	270/1	1.2140	1.0290
89	भैयालाल पुत्र मुलू जाति यादव पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , रामकुवर पल्ली भैयालाल जाति यादव पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	270/2	2.6670	0.0990

1	2	4	7	8
90	नावामनोहर चतुर्जुम्भ बालकिशन पुत्र पर्वत जाति गडरिया पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, हरकू वेवा पर्वत जाति गडरिया पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, सुरीता भगवती पुरी परबतनावा राजो पुरी परबत जाति गडरिया पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, घनशयाम कुंवरलाल पुत्र व्यारेलाल पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रामसेवक पूरन जशरथ पुत्र रामप्रसाद पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रामस्वरूप पुत्र राजरा पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मुकेश दिनेश पुत्र जगदीश पता निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	271/2	2.6710	0.0500
91	सुन्दरसिंह पिता प्रकाशचन्द्र यादव पता विरौरा पहाड़ खास निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, नितिन पिता प्रकाशचन्द्र यादव पता विरौरा पहाड़ खास निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	271/3	1.0000	0.9800
92	यासी पुत्र रामदीन जाति यादव पता विरौरा पहाड़ भाटा पृथ्वीपुर निवाडी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	271/5	0.8090	0.3350
		114	107.2570	65.9090

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— झुड़ियनघाट तालाब परियोजना अंतर्गत दूख क्षेत्र में प्रभावित 65.9090 हेक्टेएक्टर के अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन ग्राम विरौरा पहाड़ भाटा तहसील एवं अनुभाग पृथ्वीपुर जिला निवाडी मोरो

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्य) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पृथ्वीपुर में किया जा सकता है।

प्र.क्र.—0012—अ—82—2023—24

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में जांचता एवं नियंत्रित कर और पारदर्शीता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 11 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शीता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर राज्य शासन को यह समझान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कांडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कांडिका क्रमांक (2) में चलन्तेर्थीत प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकारण ने किसी भी व्यक्ति अज्ञा परियोजना का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में संवित प्रतिक्रिया और पारदर्शीता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कांडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कांडिका क्रमांक (2) में वर्णित जोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

#### अनुसूची

१	भूमि का विवरण	:	झुड़ियन घाट तालाब
क	परियोजना का नाम	:	निवाडी
ख	जिला	:	पृथ्वीपुर
ग	तहसील	:	बछौड़ा
घ	ग्राम	:	
ड	अंजित भूमि का क्षेत्रफल	:	0.146

क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम/निवारा सीन	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (है.)	क्षेत्रफल जो अंजित किया गया	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	मनोहर सिंह पुत्र रामचरन जाति काल्ही पता बछौड़ा भूमि स्वामी	306/2	1.5980	0.1460	
	थेग			1.5980	0.1460

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— झुड़ियनघाट तालाब परियोजना अंतर्गत दूख क्षेत्र में प्रभावित 0.146 हेक्टेएक्टर के अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन ग्राम बछौड़ा तहसील एवं अनुभाग पृथ्वीपुर जिला निवाडी।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्य) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पृथ्वीपुर से किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लोकेश कुमार जांगिड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.—५३—भू—अर्जन—२०२५—रा.प्र.क्र.०००३—अ—८२—२०२४—२५

रतलाम, दिनांक 7 फरवरी 2025

चैंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक—०१ कालम के (१) से (४) में वर्णित भूमि की अनुसूची—१ के कालम (६) में उनके नाम के समुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चैंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक—१ में उज्जैन—जावरा के मध्य ४—लेन पेहङ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील जावरा जिला रतलाम के ग्राम उदियाखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक—२ में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची—२ की भूमि की अनुसूची—१ में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची—१**

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं, में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
रतलाम	जावरा	उदियाखेड़ी	4.552	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सङ्क विकास निगम उज्जैन (म.प्र.)	उज्जैन—जावरा के मध्य ४—लेन पेहङ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

**अनुसूची—२**  
( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा हैं, में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	श्यामबाई पिता मोहन जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा सीताबाई पिता मोहन जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा, मोहनबाई बेवा मोहन जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा	2	0.510	0.027	सिंचित
2	भैरुलाल पिता मोहनलाल जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/1	1.250	0.655	सिंचित
3	सदाराम पिता मोहन जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	3/2/1	0.620	0.317	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मो)	प्रभावित रकबा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार
4	अर्जुन पिता भेरुलाल जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	3/2/2	0.130	0.059	सिंचित
5	शँभू नंबालिंग पिता रामा संरक्षक सम्पतबाई जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	122	0.560	0.192	सिंचित
6	बाबूलाल ना.बा.सर. पिता रामा जाति भील पता निवासी ग्राम डोडीयाना भूमि स्वामी	123	0.320	0.024	सिंचित
7	हरिराम पिता भेरुलाल जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124/1	0.250	0.139	सिंचित
8	फकीरचन्द पिता भेरुलाल जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	124/2	0.510	0.024	सिंचित
9	बगदीराम पिता पूना जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/1/1	0.260	0.107	सिंचित
10	कचरु पिता पुना जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	11/1/2	0.260	0.015	सिंचित
11	बगदीराम पिता पूना जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/1	0.500	0.156	सिंचित
12	कचरु पिता पुना जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/2	0.500	0.386	सिंचित
13	बालु पिता पुना जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	121/3	0.510	0.264	सिंचित
14	दशरथ पिता भागीरथ पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कृष्णार्बाई बेवा कैलाश पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विजय पिता कैलाश पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राकेश पिता कैलाश पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मैनाबाई बेवा भागीरथ पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	130	0.560	0.167	सिंचित

क्रमांक १८ (प्र.)	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हे. मे	अर्जित भूमि का प्रकार
15	नाथु पिता गोकुल जाति भील पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	120/2	0.650	0.010	सिंचित
16	दशरथ पिता भागीरथ, कृष्णाबाई बेवा कैलाश, विजय पिता कैलाश, राकेश पिता कैलाश, मैनाबाई बेवा भागीरथ, पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	132	0.750	0.169	सिंचित
17	कहैयालाल पिता शंकरलाल जाति कुम्हार पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2, पुजा पिता शंकरलाल जाति कुम्हार पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2	131	1.520	0.346	सिंचित
18	सँतोकबाई बेवा तूलसीराम, बालराम सोहनबाई पिता तूलसीराम, लीलाबाई बेवा माँगीलाल, मन्जूबाला ना बा सर पर माता लीलाबाई जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	133	1.320	0.482	सिंचित
19	सँतोकबाई बेवा तूलसीराम, बालराम सोहनबाई पिता तूलसीराम, लीलाबाई बेवा माँगीलाल, मन्जूबाला ना बा सर पर माता लीलाबाई जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	134	1.630	0.070	सिंचित
20	सँतोकबाई बेवा तूलसीराम, बालराम सोहनबाई पिता तूलसीराम, लीलाबाई बेवा माँगीलाल, मन्जूबाला ना बा सर पर माता लीलाबाई जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	135	0.810	0.531	सिंचित
21	माँगीलाल पिता भेरा पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	137	1.170	0.077	सिंचित
22	गोर्धनलाल पिता नागु जाति दमामी पता ऊदीयाखेड़ी जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	136	1.170	0.335	सिंचित

उज्जैन-जावरा के मध्य ४२ लेन प्लॉड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का हाइब्रिड एन्चुटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी उपर्युक्त जावरा, तहसील, जावरा, जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-55—भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0009-अ-82-2024-25

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील जावरा जिला रत्लाम के ग्राम हनुमन्तिया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
रत्लाम	जावरा	हनुमन्तिया	10.115	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सङ्क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)	उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

#### अनुसूची-2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (ह.में)	प्रभावित रकबा है. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	नन्दुलाल पिता कनीराम जाति कुम्हार पता गोठड़ा खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	84/1	0.227	0.086	सिंचित
2	नन्दुलाल पिता कनीराम जाति कुम्हार पता गोठड़ा खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	84/2	1.000	0.349	सिंचित
3	अनोपसिंह पिता उमरावसंह जाति राजपूत पता हनुमितया जावरा रत्लाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85/1	0.342	0.267	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हे. मे.	अर्जित भूमि का प्रकार
4	नन्दुलाल पिता कनीराम जाति कुम्हार पता गोठड़ा खाचरौद उजैन मय देश भूमि स्वामी	85/2/2	0.190	0.055	सिंचित
5	नन्दुलाल पिता कनीराम जाति कुम्हार पता गोठड़ा खाचरौद उजैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	85/3/2	0.316	0.018	सिंचित
6	बद्रीलाल पिता पुना शंकरलाल पिता पुना कस्तूरी पिता नानूराम राधेश्याम पिता पुना रमेश पिता पुना कमलाबाई पिता पुना सावित्रीबाई पिता पुना जाति चमार पता जावरा रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	89/1	0.582	0.020	सिंचित
7	बनेसीह पिता भैंवरसीह, त्रीपालसीह पिता जोरावरसीह, गोविन्दसिंह पिता गटटुसिंह, फुन्दासिंह पिता चन्द्रसिंह, धनसिंह पिता चन्द्रसिंह, गटटुसिंह पिता चन्द्रसिंह, रेशमकुवंर पिता चन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता उंकारसिंह, पवनकुवंर बेवा उंकारसिंह, जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	101	0.417	0.041	सिंचित
8	कमलसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत पता खाचरौद उजैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	102	0.445	0.323	सिंचित
9	कमलसिंह पिता कालुसिंह अनोपसिंह पिता कालुसिंह गटटूकुवंर पिता कालुसिंह कैलाशकुवंर पिता कालुसिंह जाति राजपूत पता गोठड़ा खाचरौद उजैन	103/1	0.089	0.071	सिंचित
10	कमलसिंह पता कालुसिंह जाति राजपूत पता खाचरौद उजैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	103/3/1	0.064	0.010	सिंचित
11	बापुसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत पता गोठड़ा खाचरौद उजैन	103/3/2	0.885	0.173	सिंचित
12	दशरथसीह पिता ऊमरावसीह जाति राजपूत पता जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	107/2	0.303	0.191	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
13	दशरथसीह पिता ऊमरावसीह जाति राजपूत पता जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	107/1	0.556	0.200	सिंचित
14	जसवन्तसीह पिता उमरावसीह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	120/1	1.043	0.523	सिंचित
15	गोपालसिंह पिता दीपसिंह 1/3, गोविन्दसिंह पिता दीपसिंह 1/3, गेंदकुंवर बेवा दीपसिंह 1/3, जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	120/2	0.790	0.001	सिंचित
16	भुवानसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	110/1/4	0.443	0.121	सिंचित
17	हरेसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	110/1/3	0.443	0.197	सिंचित
18	गेंदकुंवर पति दीपसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	110/2	0.253	0.242	सिंचित
19	भुवानसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	110/1/1	0.126	0.121	सिंचित
20	मोडसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	110/1/2	0.152	0.076	सिंचित
21	मनोहरसीह पिता जोदेसीह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	111	0.304	0.095	सिंचित
22	गेंदकुंवर पति दीपसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	119/2	0.253	0.002	सिंचित
23	खूमानसीह पिता प्रहलादसीह जाति राजपूत पता जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	119/1	0.114	0.022	सिंचित
24	भेल्सीह दत्तक ऊम्पेदसीह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	115	0.215	0.129	सिंचित
25	कमलकुंवर पति मनोहरसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	112/2	0.253	0.010	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे)	प्रभावित रकबा हे. मे	अर्जित भूमि का प्रकार
26	जीतेन्द्र पिता जगदीश रितेश पिता जगदीश पूजा पिता जगदीश मीश्राबाई बेवा जगदीश अंगूरबाला नाबालिंग पिता जगदीश संरक्षक मीश्राबाई जाति गायर पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	114/1	0.177	0.125	सिंचित
27	कमलकुंवर पति मनोहरसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	114/2	0.177	0.098	सिंचित
28	हरेसीह पिता लालसीह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	113	0.569	0.417	सिंचित
29	जीतेन्द्र पिता जगदीश 1/5, रितेश पिता जगदीश 1/5, पूजा पिता जगदीश 1/5, मीश्राबाई बेवा जगदीश 1/5, अंगूरबाला नाबालिंग पिता जगदीश संरक्षक मीश्राबाई 1/5, जाति गायरी पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	110/4/2	0.249	0.043	सिंचित
30	फूलसीह पिता अनोपसीह 1/4, ईश्वरसीह पिता अनोपसीह 1/4, गोकूलकूवर पिता अनोपसीह 1/4, चन्द्रकूवर बेवा अनोपसीह 1/4, जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	141/1	2.402	0.067	सिंचित
31	बापुसिंह पीरसिंह पिता किशोरसिंह प्रतापकुंवर बेवा किशोरसिंह नाथुसिंह वगैरा जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	127	0.164	0.002	सिंचित
32	जीतेन्द्र पिता जगदीश 1/5, रितेश पिता जगदीश 1/5, पूजा पिता जगदीश 1/5, मीश्राबाई बेवा जगदीश 1/5, अंगूरबाला नाबालिंग पिता जगदीश संरक्षक मीश्राबाई 1/5, जाति गायरी पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	134/3	0.241	0.075	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हे. मे	अर्जित भूमि का प्रकार
33	बनेसीह पिता भँवरसीह, त्रीपालसीह पिता जोरावरसीह, गोविन्दसिंह पिता गटटुसिंह, फुन्दासिंह पिता चन्दरसिंह, धनसिंह पिता चन्दरसिंह, गटटुसिंह पिता चन्दरसिंह, रेशमकुंवर पिता चन्दरसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता उंकारसिंह, पवनकुंवर बेवा उंकारसिंह, जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	137	0.595	0.519	सिंचित
34	दरबारसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	138/2	0.674	0.061	सिंचित
35	नेपालसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	139	0.696	0.502	सिंचित
36	भारतसीह पिता दातारसीह 1/2, जतनकूवर बेवा करणसीह 1/2, जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	276	0.557	0.117	सिंचित
37	भारतसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	140/2/1	0.668	0.066	सिंचित
38	शम्भुसिंह पिता वक्तावर सिंह 1/2, रुघनाथ सिंह पिता वक्तावर सिंह 1/2, जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी	274	1.202	0.757	सिंचित
39	दशरथसीह पिता ऊमरावसीह जाति राजपूत पता जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	140/5	0.025	0.002	सिंचित
40	हिम्मतसीह पिता जोदेसीह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	271	0.860	0.174	सिंचित
41	सामरसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	272/1/1	1.194	0.276	सिंचित
42	ज्ञानसिंह पिता कालुसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	272/1/2	1.195	0.619	सिंचित
43	चरणसिंह पिता मोतीसिंह लालसिंह पिता मोतीसिंह भगवानसिंह पिता मोतीसिंह प्रकाशकुंवर बेवा मोतीसिंह सज्जनकुंवर बेवा दुलेसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	272/2	0.823	0.381	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हे. में	अर्जित भूमि का प्रकार
44	सरेकुवर बेवा दशरथसिंह गुलाबसिंह पिता दशरथसिंह शेरसिंह पिता दशरथसिंह समरथकुंवर पिता दशरथसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	294/3/1	0.429	0.086	सिंचित
45	सरेकुवर बेवा दशरथसिंह गुलाबसिंह पिता दशरथसिंह शेरसिंह पिता दशरथसिंह समरथकुंवर पिता दशरथसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	294/2/2/1	0.253	0.217	सिंचित
46	रघुवीरसिंह पिता भैंवरसिंह मेहरबानसिंह पिता भवरसिंह रणजीतसिंह पिता भवरसिंह सुगनकुवर पिता भवरसिंह भैंवरकुवर बेवा भैंवरसिंह पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	294/2/2/2	0.633	0.253	सिंचित
47	सोहनसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	294/2/2/3	0.619	0.028	सिंचित
48	चरणसिंह पिता मोतीसंह लालसिंह पिता मोतीसिंह भगवानसिंह पिता मोतीसिंह प्रकाशकुंवर बेवा मोतीसिंह सजनकुंवर बेवा दुलेसिंह पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	294/1/1	1.327	0.017	सिंचित
49	बनेसीह पिता भैंवरसीह, त्रीपालसीह पिता जोरावरसीह, गोविन्दसिंह पिता गटटुसिंह, फुन्दासिंह पिता चन्द्रसिंह, धनसिंह पिता चन्द्रसिंह, गटटुसिंह पिता चन्द्रसिंह, रेशमकुवर पिता चन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता उंकारसिंह, पवनकुवर बेवा उंकारसिंह, जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	295	1.733	0.190	सिंचित
50	रामसीह पिता प्रहलादसीह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	296/3	0.302	0.302	सिंचित
51	समरथ नाबालिंग पिता रामसीह संरक्षक उच्छबकूवर पति रामसीह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	296/2	1.400	0.192	सिंचित
52	खूमानसिंह पिता प्रहलादसीह जाति राजपूत पता जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	296/1/1	0.447	0.179	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हे. मे.	अर्जित भूमि का प्रकार
53	फुलकुंवर पति दशरथसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	296/1/2	0.253	0.052	सिंचित
54	कल्लूसिंह पिता दशरथसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी	298/2/2	0.124	0.004	सिंचित
55	बापुसिंह उर्फ बालूसिंह पिता अनोपसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	298/3/1	0.120	0.029	सिंचित
56	जसवंतसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	298/3/2	0.130	0.064	सिंचित
57	विष्णुकुंवर पति भवरसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी	298/4/2	0.228	0.191	सिंचित
58	जसवंतसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा	298/4/1/2	0.025	0.025	सिंचित
59	गोरधनसिंह पिता अनोपसिंह, बापुसिंह पिता अनोपसिंह, गोपालसिंह पिता अनोपसिंह, सुरेशसिंह पिता अनोपसिंह, पप्पुकुंवर पिता अनोपसिंह, भवरकुंवर पिता अनोपसिंह, जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	298/4/1/1	0.507	0.276	सिंचित
60	धनसिंह उर्फ गढ़सिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	298/5/1	0.250	0.117	सिंचित
61	जसवंतसिंह पिता शंकरसाह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	298/5/2	0.250	0.215	सिंचित
62	रणजीतसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत पता हनुमन्तिया जावरा रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी	299	0.531	0.005	सिंचित
63	भवरसिंह पिता शंकरसिंह 1/3, जसवंतसिंह पिता शंकरसिंह 1/3 उदेकुंवर बेवा शंकरसिंह 1/3, जाति राजपूत पता जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	316	1.783	0.029	सिंचित

निरंतर 08 पर.....

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेटर एकल रिपोर्टर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हिंड्रेड व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी उपखंड जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-57—भू—अर्जन—2025—रा.प्र.क्र.0013—अ—82—2024—25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्बुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन—जावरा के मध्य 4—लेन पेहङड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील जावरा जिला रतलाम के ग्राम डोडियाना की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6
रतलाम	जावरा	डोडियाना	6.138	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सङ्कर विकास निगम उज्जैन (म.प्र.)	उज्जैन—जावरा के मध्य 4—लेन पेहङड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

#### अनुसूची-2 ( प्रमावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हि.में)	प्रमावित रकबा हैं. में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06
1	बगदीराम पिता भुवान जाति चमार पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	237/1	0.911	0.024	सिंचित
2	अम्बाराम पिता भुवान जाति चमार पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	237/2	0.910	0.611	सिंचित
3	ग्रामकोटवार भंवरलाल पिता नन्दराम जाति भील पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	239/1/1	4.047	0.294	सिंचित

क्रमांक मा.प्र.	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हे. मे.	अर्जित भूमि का प्रकार
4	भेरु पिता वरदा जाति बलाई पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	239/5	0.910	0.579	सिंचित
5	धापूबाई पति भग्गा जाति भाभी पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	239/7	0.910	0.244	सिंचित
6	मदन पिता जुझार 1/21, राजूबाई पिता जुझार 1/21, कमलाबाई बेवा जुझार 1/21, सुखराम पिता वरदा 1/7, रामलाल पिता वरदा 1/7, भगुबाई पिता वरदा 1/7, सीताबाई पिता वरदा 1/7, लीलाबाई पिता वरदा 1/7, भूलीबाई पिता वरदा 1/7, जाति भील पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	239/2	0.910	0.401	सिंचित
7	भेरुलाल पिता कनीराम जाति जाट पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	239/15	0.910	0.760	सिंचित
8	नरसींग पिता नानुराम जाति चमार पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	239/22	0.506	0.055	सिंचित
9	धन्ना भागीरत, मोहन, दत्तक पुत्र काशीबाई जाति बलाई पता सा.देह. भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	239/4	0.910	0.279	सिंचित
10	रामगोपाल पिता नागु 1/3, रामकन्याबाई पिता नागु 1/3, लीलाबाई पिता नागु 1/3, जाति भील पता डोडियाना जावरा अहस्तांतरणीय	239/20	0.506	0.223	सिंचित
11	सागुलाल पिता भेरु 4/16, जीतेन्द्र नाबालिंग पिता समरथ संरक्षक मायाबाई 1/16, कोमल नाबालिंग पिता समरथ संरक्षक मायाबाई 1/16, लता नाबालिंग पिता समरथ संरक्षक मायाबाई 1/16, मायाबाई बेवा समरथ 1/16, चंदाबाई पिता भेरु 4/16, तुलसीबाई बेवा भेरु जाति भील 4/16, पता जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय अहस्तांतरणीय	239/18/1	0.248	0.111	सिंचित

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा हें. में	अर्जित भूमि का प्रकार
12	नंदीबाई पिता नरसींग 1/2, बगदीबाई पिता नरसींग 1/2, जाति भील पता डोडियाना जावरा अहस्तांतरणीय	239/16/1	0.248	0.018	सिंचित
13	रामचन्द्र पिता कारू, रामकन्थबाई पिता कारू, बसन्तीबाई पिता कारू, कलबाई पिता कारू, धापूबाई पिता कारू, जाति भील पता डोडियाना जावरा भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	239/16/2	0.248	0.001	सिंचित
14	नाहरसिंह, प्रेमसिंह पिता जुझारसिंह व कृष्णकुँवर पिता जुझारसिंह राजपूत निवासी निज ग्राम	259/1	1.202	0.482	सिंचित
15	विक्रमसिंह पिता धनसिंह जाति राजपूत पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	259/2/2	0.592	0.373	सिंचित
16	हाकमसिंह पिता माधुसिंह जाति राजपूत पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	259/2/1	0.951	0.005	सिंचित
17	प्रहलादसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	259/4	1.202	0.496	सिंचित
18	महेन्द्रसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपूत पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	260	1.808	0.008	सिंचित
19	प्रहलादसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	267	1.821	0.675	सिंचित
20	हरिराम पिता भेरुलाल जाति भील पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	266/1	0.497	0.212	सिंचित
21	प्रहलादसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	268	0.873	0.263	सिंचित
22	प्रहलादसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता डोडियाना जावरा रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	269	0.708	0.024	सिंचित

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुयिभागीय अधिकारी उपखंड जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश बाथम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.—911—भू—अर्जन—2024—प्र.क्र.0006—अ—82—2024

उज्जैन, दिनांक 29 जनवरी 2025

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार  
अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 03 अक्टूबर 2014 अनुसार क्र. एफ 16—15; (1) —2014—सात—शा—2ए के अंतर्गत किसी भी जिले के लिए दस हजार हेक्टेर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, कलेक्टर को समुचित सरकार घोषित किया गया है।

चुंकि राज्य शासन को इस बात का सामाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

**अनुसूची —1**

**भूमि का वर्णन**

(क)	जिला	— उज्जैन
(ख)	तहसील	— उज्जैन
(ग)	ग्राम	— नरवर
(घ)	अर्जित रकबा	— 230.428

**अनुसूची —2**

**निजी भूमि का विवरण**

स.क.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नबंर	अर्जित रकबा	रिमाक्र
1	2	3	4	5
1	1. मुकेश पिता मांगीलाल पता चैनपुरहंसखेड़ी,	55	0.250	
2	2. भौलाराम पिता मांगीलाल पता चैनपुरहंसखेड़ी,	57	0.420	
3	3. प्रेमनारायण पिता मांगीलाल पता चैनपुरहंसखेड़ी,	62	1.340	
4	4. लाखन पिता मांगीलाल पता चैनपुरहंसखेड़ी,	64	1.510	
5	5. फूंदाबाई बेवा मांगीलाल पता चैनपुरहंसखेड़ी	521	2.790	/
6	सुंदरलाल, पिता राधाकिशन चैनपुर हंसखेड़ी	65	1.710	
7	अर्पित पिता सुंदरलाल चैनपुरहंसखेड़ी	66	2.950	

8	संतोषबाई पति बालाराम जाट नरवर	68	1.120	
9	तेजूबाई पति सुंदरलाल चैनपुर हंसखेड़ी	70	1.400	
10	1. जगदीश पिता दयाराम, 2. रमेशचन्द्र पिता दयाराम, 3. गंगाबाई पिता दयाराम, 4. मधुबाई पिता दयाराम, 5. गीताबाई पिता दयाराम	71	0.820	
11		65/1920	1.540	
12	1. राधेश्याम पिता मांगीलाल चैनपुर हंसखेड़ी, 2. कमल पिता मांगीलाल चैनपुर हंसखेड़ी,	73/1	0.820	
13	3. चम्पाबाई बेवा मांगीलाल चैनपुर हंसखेड़ी	73/2	0.600	
14	राधेश्याम पिता मांगीलाल चैनपुर हंसखेड़ी	60/1	1.400	
15	अकबर पिता बेली नायता उज्जैन	508	0.610	
16		510	0.180	
17	1. रईस पिता बापु, 2. शहजाद पिता बापु, 3. बिसमिल्ला बेवा बापु उज्जैन	511	0.790	
18		512	0.630	
19	इकबाल पिता मुवारिक उज्जैन	513	0.700	
20		507/2	0.200	
21	1. बली मोहम्मद मंसूरी पिता सरदार, उज्जैन, 2. जाकिर मोहम्मद पिता सरदार उज्जैन,	515	1.260	
22	1. दिलीप पिता भवर जाट, मुंजाखेड़, 2. राजेश पिता भंवरजी जाट मुंजाखेड़, 3. ओमप्रकाश पिता भंवरजी जाट मुंजाखेड़	523/1	1.62	
23	1. आरीफ पिता गुलाब उज्जैन, 2. अल्लानूर पिता गुलाब उज्जैन, 3. सबीना बेवा गुलाब उज्जैन	489/1	0.980	
24	कमलसिंह पिता राजाराम चैनपुर हंसखेड़ी	489/2	0.200	
25		516/1	2.620	
26	आरीफ अल्लानूर पिता गुलाब व सबीना बेवा गुलाब उज्जैन	491/1	1.120	
27	1. रफीक आशीक जाकिर पुत्रगण हुसेन, 2. सायना पिता हुसेन,	491/2	0.030	
28	3. नजमाबी बेवा हुसेन नरवर	488	1.130	
29	मंसूर पिता इमामबक्स उज्जैन	491/3	0.010	
30		490	1.120	
31	1. सुगराबी बेवा खुदाबक्स, नरवर, 2. उसमान पिता खुदाबक्स,	507/1	0.410	
32	3. इसाक पिता खुदाबक्स	509	0.180	
33	रिहानाबी पति रफीक नायता पटेल नरवर	514/1	0.400	
34		514/2	0.270	
35	अमरसिंह उर्फ ओमप्रकाश पिता राजाराम चैनपुर हंसखेड़ी	516/2	0.970	
36		517/1	0.720	
37	हमीदाबी पति असार एहमद नायता नि—कासामपुर	516/3	0.770	
38	बेबीबाई पिता मंसूर उज्जैन	517/2	1.690	

39	हर्ष नावा, पिता मुकेश सर.माता लक्ष्मीबाई चैनपुर हसखेडी	518/1	1.980	
40	दीपक पिता भोलाराम चैनपुर हसखेडी	518/2	1.980	
41	फूंदाबाई पिता मांगीलाल चैनपुर हसखेडी	518/3	1.960	
42	मुकेश पिता मांगीलाल उज्जैन	520/1	0.140	
43		59/1	1.480	
44	भोलाराम पिता मांगीलाल उज्जैन	520/2	0.150	
45		59/2	1.480	
46	प्रेमनारायण पिता मांगीलाल उज्जैन	520/3	0.150	
47		59/3	1.480	
48	लखन पिता मांगीलाल उज्जैन	520/4	0.150	
49		59/4	1.480	
50	1. अनील पिता गिरदारी चैनपुरहसखेडी, 2. हुक्मसिंह पिता गिरदारी चैनपुरहसखेडी, 3. रीना पुत्री गिरदारी चैनपुरहसखेडी	522/1	0.930	
51	आत्माराम पिता धूलजी चैनपुरहसखेडी	522/2	0.920	
52	1. अंशीता पुत्री अशोका वर्मा नि-उज्जैन,	53/1	0.830	
53	2. ऋतिक पुत्री राजेन्द्र बसल नि.उज्जैन	53/3	0.840	
54	ऋतिक पिता राजेन्द्र बसल नि-ऋषिनगर, उज्जैन	53/2/1	0.420	
55	नीता पति मोहन जायसवाल नि-उज्जैन	53/4	0.830	
56	रेखाबाई पिता मोहनलाल जाट नि-मुजाखेडी	54/1	1.000	
57	सुंदरबाई पति रुगनाथ नि-उज्जैन	54/2	1.000	
58	कमल पिता मांगीलाल नरवर	60/2	0.080	
59		61	1.320	
60		68/1930	0.840	
61	बालाराम पिता चुन्नीलाल जाट, नरवर	69/1	0.520	
62		72	1.130	
63	1. ईशांत भार्गव पिता ब्रजेश पता-फ्रीगंज, उज्जैन, 2. बृजेशभार्गव पिता चंद्रप्रकाश पता फ्रीगंज उज्जैन	69/2	1.000	
64	बृजराजकुंवर पति बनेसिंह नि.ग्राम	41/1	0.260	
65	शकुंतलाबाई पति भालचन्द नि.ग्राम	42/1	1.090	
66		43	1.120	
67	इरशाद एहमद पिता इकबाल एहमद, पता तिलक मार्ग, उज्जैन	44/1	0.660	
68		44/2	0.290	
69	अरुण पिता रमेश नि-कड़छा	45/1/1/1	0.400	
70		45/1/1/2	0.200	
71		53/2/2	0.420	
72	रमेश पिता जगदीश कड़छा	45/2/2	0.080	
73	1. मीना पति राजेन्द्र, 2. राजेन्द्र पिता हरियल्लग नि.ग्राम	45/2/3	0.210	

74	कमल पिता जगदीश नि-कनाडिया, इंदौर	46/1	0.200	
75	सुनीता पति रामचरण मालविया	47/1/1	0.100	
76	मिथूनशर्मा पिता कमलशर्मा नि.ग्राम कडछा	47/1/2	0.350	
77		48/3/1	0.1421	
	शैलेन्द्र सेठ पिता कमल कुमार सेठ	48/3/2	0.0279	
78	सत्यनारायण पिता सुंदरलाल नि.ग्राम कडछा	48/2	0.260	
79		47/2	0.100	
80		52/1	0.380	
81		44/3	0.640	
82		47/3	0.420	
83	शिवनाराण पिता सुंदरलाल नि.ग्राम कडछा	48/1	0.580	
84		52/2	0.380	
85	अरुण पिता रमेश नि.ग्राम कडछा	49	2.090	
86	रईस पिता पूजाजी नरवर	77/1	0.520	
87		81/4	1.020	
88		238/2	0.810	
89	दिलावर पिता अब्दुल नरवर	80/1/1	0.410	
90		473/1	0.030	
91	सरदार पटेल पिता अब्दुल नरवर	80/1/2	0.130	
92		233/1/1	0.290	
93	उस्मान पिता अब्दुल नि.ग्राम	80/1/3	0.090	
94		233/1/2	0.330	
95	भारतेन्द्रसिंह पिता बनेसिंह नि.ग्राम	80/2	0.600	
96		81/1	1.040	
97		41/2	0.360	
98	1. भारत सिंह पिता चन्द्र सिंह, 2. चेतन्यपाल सिंह राठौर पिता भारत सिंह, 3. राजवीर सिंह राठौर पिता भारत सिंह	81/2/1	0.953	
99		81/2/2	0.465	
100	मुकेश पिता पूजाजी नि.ग्राम नरवर	81/3	1.020	
101	बच्चलाल पिता चुनीलाल	288/1	0.520	
102	नारायण पिता चुनीलाल	288/2	0.520	
103	शकुंतलाबाई पति उमरावसिंह नि.ग्राम नरवर	228/1	1.000	
104	1. डॉ. तेजसिंह पिता अमृतलाल चौधरी 2. डॉ. अनिता चौधरी पति डॉ. तेजसिंह	228/2	0.880	
105	1. इसराईल पिता बोन्दू नि.उज्जैन, 2. साहिल पिता बोन्दू नि.उज्जैन, 3. बोन्दू पिता गफकूर नि.उज्जैन	229/1	2.000	
106	1. इसराईल पिता बोन्दू नि.ग्राम नरवर, 2. साहिल पिता बोन्दू नि.ग्राम उज्जैन	229/2/1	0.640	
107	1. वीरेन्द्रसिंह पिता जालमसिंह नि.उज्जैन, 2. ललीतसिंह पिता वीरेन्द्रसिंह नि.उज्जैन	229/2/2	0.100	
108	जीवाईल आमीन पिता हमन नि.ग्राम उज्जैन	229/3	0.740	

109	प्रेमसिंह पिता बलमासिंह नि.ग्राम उज्जैन	230/6	0.400	
110		230/1	1.050	
111	नियामतबी पति नजीर पटेल नि.ग्राम	230/2	0.550	
112		230/3	0.500	
113	ललीतपालसिंह पिता विरेन्द्रसिंह नि.नरवर	230/4	1.050	
114		230/5	0.640	
115	1. तरसीम पिता मुरताक पता नरवर, 2. ईस्माइल पिता मुरताक पता नरवर, 3. मुरताक पिता गफूर पता नरवर	231	0.830	
116	शम्भूसिंह पिता हिम्मतसिंह नि.ग्राम	232/1	0.960	
117	मांगू पिता शेरू नरवर नि.ग्राम	233/3	0.400	
118	गेंदकुंवरबाई पति सुल्तानसिंह नि.ग्राम उज्जैन	234	1.470	
119	रामप्रसाद पिता भेरा नि.ग्राम नरवर	235/1	0.520	
120	अनोखीलाल पिता भेरा नि.ग्राम	235/2	0.530	
121	फारुख पिता सरदार नि.ग्राम	236	1.040	
122		238/1	0.400	
123		233/2	0.200	
124	फारुख पिता सरदार, जैनबाई पिता सरदार नि.	237	0.830	
125	ग्राम—नरवर	78	2.150	
126		77/2	0.200	
127	भूपेन्द्रसिंह पिता ईश्वरसिंह नि.ग्राम उज्जैन	239/1/1	0.270	
128	राजेन्द्रसिंह पिता सुल्तानसिंह नि.ग्राम	239/1/2	0.730	
129	प्रेमलताकुंवरसिंह पति ईश्वरसिंह नि.ग्राम	239/2	0.360	
130		241/1	0.520	
131	जमीना पति दिलावर पता नरवर नि.ग्राम	242	0.650	
132		249/1	0.340	
133		250/1	0.410	
134	मांगू पिता रोशन नरवर नि.ग्राम	241/2	0.520	
135	पप्पू पिता नूरमोहम्मद नि.ग्राम	243/1	0.920	
136		243/2	0.500	
137	फरीदा पति असगर नरवर नि.ग्राम	243/3	0.260	
138		251/1	0.400	
139		251/2	0.400	
140	हनीफ पटेल पिता दौलत नि.ग्राम	244/1	0.980	
141		380/1	0.610	
142	हबीब पिता दौलत नि.ग्राम	244/2	0.980	
143		380/2	0.620	
144	1. फकरु पिता याकूब,	245	1.970	
145	2. मेहराजबाई पति याकूब,	240	0.110	
146	3. साहिल नाया, पिता फारुख सरमाता गेणबाई, 4. गेणबी वेवा फारुख,	246/1	0.780	

147		246/2/1	0.520	
148	सददाम पेटेल पिता असरफ नि.ग्राम नरवर	247/1/1	0.350	
149		381/4	0.040	
150		382/1	0.580	
151		247/1/2	0.290	
152	शाहरुख पठेल पिता असलाम नि.ग्राम नरवर	246/2/2	0.480	
153		248/2	0.100	
154		382/2	0.620	
155		247/2/2	0.650	
156	दिलीप पिता अब्बास नि.ग्राम नरवर	248/1/2	0.100	
157		247/2/3	0.310	
158		248/1/3	0.140	
159		250/3	0.300	
160	फिरोज पिता गामू	247/4	0.050	
161		248/4	0.020	
162		249/2	0.310	
163		250/2	0.370	
164	गुड्डूलाल श्वरण पुत्रगण शंकर, वर्षा नाबा. पिता कैलाश, रेखाबाई बेवा कैलाश, नि.ग्राम नरवर	252	0.800	
165	चुन्नीलाल पिता भागीरथ चमार नि.ग्राम	253	0.620	
166		267/3	0.390	
167	महेश सुनिल पुत्रगण चंदर, सीमा लक्ष्मी कोमल पुत्रीया चंदर, सुगनबाई बेवा चंदर	254	0.620	
168	कल्पना पिता सत्येन्द्रसिंह नि.ग्राम	255	0.800	
169		256	0.780	
170	उपेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह पता नरवर नि.ग्राम	257	0.790	
171		258	0.790	
172	मोहम्मद पठेल पिता दौलत नरवर नि.ग्राम	259	1.920	
173	जिब्राईल पिता हातम	260	1.920	
174	1. कपिल सचिन पिता मुकेश, रचना पुत्री मुकेश, 2. धीसूलाल पिता नारायण, 3. जितेन्द्र पिता नारायण, 4. गीताबाई बेवा नारायण	261	4.840	
175	1. कपिल पिता मुकेश, 2. सचिन पिता मुकेश, 3. रचना पुत्री मुकेश	264/3	2.000	
176	शासकीय	262/1	0.300	
177	1. दिलीपसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह, 2. जयदीपसिंह नाबा, लिशाकुवर नाबा. पिता जगपालसिंह, रेखाकुवरबाई बेवा जगपालसिंह	262/2	1.190	
178	रम्भाबाई पिता काना नि.ग्राम नरवर	263	1.040	
179	जितेन्द्र पिता नारायण नि.ग्राम उज्जैन	264/1	2.000	

180	धीरुज्जाल पिता नारायण नि.ग्राम उज्जैन	264/2	2.000	
181		265	0.520	
182		266	0.620	
183		267/1	0.400	
184		267/4	0.180	
185	1. तेजसिंह पिता प्रतापसिंह, प्रभातकुवर, लीयाकुवर नरेन्द्रकुवर पिता प्रतापसिंह, भंवरकुवर पुत्री ओंकारसिंह, जीवकुवर विधवा ओंकारसिंह, 2. तेजसिंह पिता प्रतापसिंह, जीतकुवर पति ओंकारसिंह, भवंरकुवर पुत्री उंकारसिंह	267/2	0.030	
186		268	0.410	
187	देवीलाल पिता भागीरथ नि.ग्राम उज्जैन	269	0.200	
188		270	0.210	
189	गिरधारी पिता पिरा नि.ग्राम उज्जैन	271	0.420	
190	महेशराकेश पिता किशनराम कन्याबाई शांताबाई शारदा लीलाबाई अनिता पुत्रियां किशनजी छिताबाई वेवा किशनजी नि.ग्राम नरवर	272	0.420	
191	अकसर पिता बापू नि.ग्राम उज्जैन	273	0.820	
192		274	0.630	
193	अजरुद्दीन पिता असकर	275/1	0.580	
194	अकिला पति रोशन नि.ग्राम नरवर	275/2	1.210	
195		276/1	0.170	
196	आरिफ पटेल, आसिफ पटेल पिता जाकिर पटेल	276/2	1.270	
197	पता जैतपुरा सावेर नि.ग्राम	276/3	0.470	
198		277/1	1.090	
199		277/2	0.520	
200		278	0.450	
201	अरबअली पिता युसूफअली, जाति नायता	279/1	0.380	
202		283/3	0.520	
203		284/1	0.510	
204	अमजदअली पिता युसूफअली	283/1	0.850	
205		284/3	0.260	
206		279/2	0.280	
207	नियामतबी पति आशीकअली नि.ग्राम	280	0.880	
208		283/2	2.340	
209		284/2	1.050	
210	1. असरार पिता बाबू 2. अबरार पिता बाबू 3. आशिक पिता बाबू 4. बीबी वेवा बाबू	287/1	1.290	
211	इसराईल पिता अख्तर मोहम्मद नि.ग्राम नरवर	287/2	0.490	
212	ललीतपालसिंह पिता नवनितसिंह नि.नरवर	289	1.040	

213	नौशाद पिता आदम	349/1	0.33	
214		350/1	0.13	
215		351/1	0.198	
216	मोहसीन पिता हातम	349/2	0.26	
217		350/2	0.19	
218		351/2	0.207	
219	वसिम पिता हातम	347/1	0.02	
220		348	0.36	
221		349/3	0.04	
222		350/3	0.03	
223		351/3	0.207	
224		347/2	0.30	
225	इरशाद पिता आदम	351/4	0.358	
226	हातम आदम पुत्रगण रुस्तम, हसीना, जरीना, अंगूरबी पुत्री रुस्तम, कनीजबी बेवा रुस्तम	374	0.280	
227	आबिद पिता सरदार नि.ग्राम नरवर	352/1	0.200	
228		353/1/1	0.180	
229		354/2/1	0.240	
230		353/1/2/2	0.030	
231	आबिद पटेल पिता सरदार पटेल	353/2/2	0.170	
232		352/1/2	0.080	
233	1. जाहिदा पटेल पति आरिफ पटेल. 2. हिना पति रुहूल आमिन पटेल	353/1/2/1	0.020	
234		353/2/1	0.110	
235		354/2/2/2	0.040	
236		354/2/2/3	0.020	
237		354/3/2	0.150	
238		354/3/3	0.050	
239		353/1/2/3	0.030	
240		353/2/3	0.170	
241	अजमतशेख पिता इस्लाम नि.ग्राम	352/2	0.400	
242		354/1	0.420	
243	1. आरिफ पिता इस्लाम,	354/2/2/1	0.060	
244	2. अजमत पिता इस्लाम	354/3/1	0.160	
245	अरमान पटेल पिता सादिक पटेल	356	1.820	
246		358/3	0.210	
247		361/2	0.200	
248	रोशन पिता अजमेरी नि.ग्राम नरवर	357/1	0.250	
249		358/4/1	0.750	
250		361/1	0.200	
251	हामिद पिता दिलावर	357/2	0.510	
252		358/4/2	0.470	
253		358/1	0.210	
254	जाबीर पिता मुंशी पता नरवर	361/3/1	0.310	
255		232/2/1	0.300	
256				
257				

258	करामत पिता मुंशी नायता नि.ग्राम नरवर	359/1	0.940
259		361/3/2	0.520
260		232/2/2	0.300
261		358/2	0.210
262	कमाल पिता अजमेरी नायता नि.ग्राम नरवर	359/2	0.740
263		360	1.660
264		361/4	0.830
265		361/5/1	0.150
266		362/1	0.430
267		381/3	0.380
268	अब्बास पटेल पिता कुदरत नि.ग्राम नरवर	361/5/2	0.250
269		362/2	0.710
270		363/1	0.970
271	आशिक पटेल पिता युनूस नि.ग्राम नरवर	381/2	0.480
272		364	0.960
273	1. सेराजबी देवा बाबू सईदा अफसाना पिता बाबू दिलावर, अकसर पिता अजमेरी, 2. मुंशी पिता अजमेरी, 3. रोशन पिता अजमेरी, 4. कमाल पिता अजमेरी	365	0.900
274		366	1.130
275	इशाक पिता कासम नि.ग्राम नरवर	368/1	0.660
276		377	0.200
277	1. अजउद्दीन पिता सलीम 2. नाजेद पिता सलीम 3. शकीला पति सलीम	368/2	0.330
278	याकूब मुंशी बाबू हुसैन पिता रोशन खातूनबी 279 अनिशा जमीला पुत्री रोशन सुंदरबाई पति रोशन 280 अजीज पिता रोशन	367	0.970
281		369	0.850
282		370	1.130
283		376	0.200
284	इस्लाम उर्फ गुल्लू पिता बेली नि.ग्राम नरवर	371/1	1.100
285		375	0.200
286	1. लियाकत उर्फ नियाकत पिता खाजू 2. सोहेल नाबा. पिता शरीफ सरपरस्त माता सन्नो स्वयं, सन्नो देवा शरीफ नि.ग्राम नरवर	371/2	0.440
287		371/3	0.400
288	हातम आदम पिता रुरतम	372	0.150
289		373	0.180
290	रईस पटेल पिता युनूस नि.ग्राम नरवर	380/3	0.170
291		381/1	0.300
292		363/2	0.970
293	अजरुद्दीन पिता अंसार नि.ग्राम नरवर	383/1	0.920
294		463/1	0.150
295	1. जाकिर हुसैन पिता इस्माईल, 2. शाकिर हुसैन पिता इस्माईल	463/3	1.400
296		463/2	0.200

301		473/2	0.030	
302	गुलाब पिता खुलाबक्ष नि.ग्राम नरवर	564/2	0.210	
303		565/2	0.380	
304		475	0.530	
305	नियामतबी मुख्तयार अजीज इकबाल पिता	476	1.190	
306	मुबारिक, जाति नाथता नि.ग्राम नरवर	500	0.170	
307		502/1	0.270	
308		502/4	0.500	
309		477	0.080	
310	अजर्फनसिंह पिता चंदरसिंह नरवर	478	0.080	
311		482/3	0.170	
312		483/2	0.420	
313		464	1.750	
314	1. गेंदकुंवर बेवा विक्रमसिंह राजपूत.	479/2	0.040	
315	2. गिरीराज पिता विक्रमसिंह राजपूत.	480	0.080	
316	3. ऋतुराज पिता विक्रमसिंह राजपूत.	481	0.350	
317	4. छायाकुंवर पिता विक्रमसिंह राजपूत	482/2	0.380	
318		499	0.140	
319	शैलेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह नि.ग्राम नरवर	482/1	0.690	
320		483/1	0.300	
321		483/3	0.130	
322	रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह नरवर नि.ग्राम	479/1	0.220	
323		484	0.400	
324	राजू, इकबाल पुत्रगण हुसैन, शहजाद हरजाना रिहाना पुत्रियाँ हुसैन, बतुलबी बेवा हुसैन हि.1/8,	485	2.600	
325	यासिन पप्पू शौकत पुत्र इदा असमतबी, जमीला अनीसा पुत्रियाँ ईदा, खातूनबी पति ईदा नि.ग्राम	496	0.580	
326		497/1	0.140	
327	1. सुरेश पिता कालूराम, 2. नरेन्द्र पिता कालूराम	497/3	0.140	
328		498/1	0.920	
329	सुरेश पिता कालूराम नि.ग्राम नरवर	497/2	0.140	
330	1. दीपक पिता राधेश्याम, 2. राहूल पिता राधेश्याम, 3. पूजा पुत्री राधेश्याम, 4. चम्पाबाई बेवा राधेश्याम, 5. ओमप्रकाश पिता भूरालाल	498/2	0.140	
331	देवनारायण संजय पिता मनोहर सीताबाई बेवा मनोहर सुनील अनील पुत्रगण राजू, सवित्राबाई बेवा राजू हीरालाल पिता छोटूलाल गंगाबाई बेवा छोटूलाल नरवर नि.ग्राम	498/3	0.140	
332	अकिल हुसैन पिता इस्माईल नरवर नि.ग्राम	501	1.250	

333		502/2	1.120	
334	रेहमतअली पिता कासम नायता नि.ग्राम	503/3	1.490	
335		504/2	1.190	
336		502/3	0.170	
337	रजाक पिता वासम नायता नि.ग्राम नरवर	503/1	0.100	
338		474	1.470	
339	रेहमतअली नियमतबी मुख्तार बेवा मुबारिक अजीज इकबाल पिता मुबारिक रजाक पुत्राण कासम मेहराज रेशमबाई सागरबाई पिता कासम नायता नि.ग्राम नरवर	503/2	0.200	
340		504/1	0.090	
341	साबिर पिता इब्राहिम नायता नि.ग्राम	549/1/1	0.690	
342	रीजबान पिता अंसार नायता नि.ग्राम नरवर	549/1/2	0.400	
343	लालजी पिता पूनाजी नि.ग्राम नरवर	549/2	0.020	
344	शरीफ पिता इस्माईल नायता नि.ग्राम नरवर	549/3	0.180	
345		561/2	0.180	
346		560/1	0.020	
347	सरदार पिता मांगीलाल नि.ग्राम	560/2	1.090	
348		560/3	0.180	
349	मंसूर पिता इस्माईल नि.ग्राम	561/1	0.360	
350		550/1	0.270	
351	अंसार पिता इस्माईल नि.ग्राम नरवर	561/3	0.360	
352		550/2	0.270	
353	1. सरदार पिता मांगीलाल, 2. जब्बार पिता मांगीलाल, 3. रहमतबाई पति मांगीलाल नायता	562	1.140	
354	शहनाजबी पति उस्मान नि.ग्राम	563	0.620	
355	अब्दुल पिता खुदाबख्श नि.ग्राम	565/1	0.380	
356		564/1	0.210	
357	बिसमिल्लाबाई पति रजाकअली नरवर नि.ग्राम	566	1.050	
358	सुंदरबाई पति भीमा	540	0.780	
359	खाजू पिता रहमतअली	547/1	0.550	
360	फारुक रियाज पिता आसिक अली	547/2	0.200	
361	1. इरशाद पिता लियाकत, 2. शहनाज बी पुत्री लियाकत, 3. बिसमिल्लाबी बेवा लियाकत	547/3	0.200	
362	1. पपू पिता ईदाजी, 2. शोकत पिता ईदाजी 3. राजू पिता ईदाजी जाति नायता	548	1.020	
363	रहमत अली पिता कासम	505/1	0.420	
364	रजाक पिता कासम नायता नि.ग्राम नरवर	505/2	0.530	
365	नियमत बी मुख्तयार अजीज इकबाल	505/3	0.930	
366	सुगरा राई पति नाथूजी	290	1.250	
367		291	1.300	
368	करामात पिता मुशी	355/1	0.260	
369	जाबिर पिता मुशी	355/2	1.200	
		कुल योग :-	230.428	

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मूँ-अर्जन अधिकारी / तहसीलदार श्यामपुर जिला उच्चायन के कार्यालय में किया जा सकता है।  
 2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि को अवश्यकता है—“विक्रय उद्योगपुरी लिमिटेड के विरतारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु”।

प्र.क्र.-912-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र.0004-अ-82-2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 03 अक्टूबर 2014 अनुसार क्र. एफ 16-15; (1) -2014- सात-शा-2ए के अंतर्गत किसी भी जिले के लिए दस हजार हेक्टेर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक, खेतीयोजन के संबंध में, कलेक्टर को समुचित सरकार घोषित किया गया है।

चुंकि राज्य शासन को इस बात का सामाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची -1

#### भूमि का वर्णन

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| (क) जिला        | = उज्जैन     |
| (ख) तहसील       | = उज्जैन     |
| (ग) ग्राम       | = मुंजाखेड़ी |
| (घ) अर्जित रकबा | = 31.550 हे. |

### अनुसूची -2

#### निजी भूमि का विवरण

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नबंर	अर्जित रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	1. नेहा पिता सत्यनारायण 2. अनिता बेवा सत्यनारायण	1/1	0.410	
2	भंवरलाल पिता पूराजी	1/2	0.200	
3	सजनबाई पति कनीराम	2/1	0.800	
4	छतरसिंह पिता श्रीराम	2/2	0.150	
5		4/1	0.050	
6	सलीम पिता सरदार	3	0.500	
7		4/2	0.300	
8	मेनाबाई पति मागीलाल	4/3	0.130	
9		5	0.050	
10		6	0.400	

11	शांताबाई बेवा भवर	7	0.330	
12		8/1	0.170	
13		9/1	0.100	
14	भोजपाल वर्मा पिता गंगाप्रसाद वर्मा	8/2	1.210	
15		9/2	0.190	
16		33/1	0.020	
17	आजाद पिता नाथू	35	0.420	
18		37/1	1.520	
19		56/1	0.070	
20		33/2	0.460	
21	सलीम इकबाल पिता दरवेश	37/2	0.180	
22		38/1	0.170	
23		39/1	0.790	
24		56/2	0.060	
25		33/3	0.150	
26	कमाल पिता गटटा नि.ग्राम	38/2	0.460	
27		39/2	0.500	
28		40/1	0.120	
29		56/3	0.060	
30		41/2	0.100	
31		33/4	0.060	
32		38/3	0.090	
33	शमीम जैबुन जरीना पिता मुंशी जाति नायता पता सुंजाखेखेडी	45	0.050	
34		40/2	0.250	
35		42	0.150	
36		47	0.070	
37		56/4	0.060	
38		41/1	0.500	
39		44	1.630	
40		46	0.120	
41	हैदर युनूस पिता सरदार	48	0.020	
42		49	0.800	
43		53	0.100	
44		43	0.110	
45		54	0.660	
46	अनिसाबाई पिता अजीज	55	1.690	
47		57/1	1.030	
48		75/1	0.800	
49	कृपाराम पिता मुकुन्द	57/2	1.040	
50	संतोष प्रकाश पिता बलदेव	59	0.800	
51		60	0.800	
52		67/2	0.300	

53	धूलजी पिता हजारीलाल	61/1	0.500	
54		61/2	0.300	
55	रमेश उर्फ काना पिता हजारीलाल	68/3	0.200	
56		67/4	0.570	
57	लक्ष्मण उर्फ नाना पिता हजारीलाल	67/3	0.140	
58		68/2	0.200	
59	रमेश राजेश पिता प्रह्लादसिंह	67/1	0.240	
60		68/1	0.180	
61	धूलजी पिता हजारीलाल मीणा	67/5	0.560	
62		68/4	0.200	
63	1. प्रदीप पिता श्रीराम, 2. अशोक पिता मूलचंद	69	0.870	
64		71	0.760	
65	मुन्नीबाई पति रमेशचन्द्र	72/1	0.310	
66		72/2	0.620	
67	गणेशचन्द्र पिता रामचन्द्र कुमावत नि. ७५बी सार्थक नगर, उज्जैन	75/2/1	0.200	
68	लाखन पिता श्रीरामसिंह गारी नि. ग्राम	75/2/2	0.050	
69	सलीम पिता सरदार	10/1	0.750	
70	केशव सिंह पिता देवी सिंह	10/2	0.600	
71	सलीम पिता सरदार	11	0.440	
72	मीनाक्षी पति चंद्रमोहन	13/1	1.220	
73	संजू पिता बहादुरसिंह	13/2	0.410	
74	संजू पिता बहादुरसिंह	13/3	0.210	
75	नारायण पिता मुकुंद	76/1	0.260	
76	लाखन पिता श्रीराम	76/2/1	0.260	
77	लाखन चौधरी पिता राम सिंह	76/2/2/1/1	0.080	
78		76/2/2/1/2	0.120	
79	गणेशचन्द्र कुमावत पिता राम चंद्र	76/2/2/2	0.100	
		कुल रकमा	31.550	

- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी/तहसीलदार उज्जैन जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।
- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि को अवश्यकता है— “विक्रय उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु”

प्र.क्र.-913—भू—अर्जन—2024—प्र.क्र.0007—अ—82—2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 03 अक्टूबर 2014 अनुसार क्र. एफ 16—15; (1) —2014—सात—शा—2ए के अंतर्गत किसी भी जिले के लिए दस हजार हेक्टेर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, कलेक्टर को समुचित सरकार घोषित किया गया है।

चुंकि राज्य शासन को इस बात का सामाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची -1

#### भूमि का वर्णन

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| (क) जिला        | — उज्जैन          |
| (ख) तहसील       | — उज्जैन          |
| (ग) ग्राम       | — चैनपुर हंसखेड़ी |
| (घ) अर्जित रकबा | — 90.570 हे.      |

### अनुसूची -2

#### निजी भूमि का विवरण

स.क.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नंबर	अर्जित रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	इंदरसिंह पिता नाथूसिंह पता चैनपुरा हंसखेड़ी	88/1/1/1	0.410	
2		104/1	0.120/	
3	मेघा माहेश्वरी पति मुकेश माहेश्वरी	88/1/1/2	1.200	
4	प्रेमलता पत्नि इंदरसिंह	88/1/2/1	0.800	
5		88/1/2/2	1.000	

6	कृष्णपालसिंह पिता इंदरसिंह, वीरेन्द्र सिंह पिता इंदरसिंह	88/2/1	0.200	
7		88/2/2	0.400	
8	शर्मीष्ठा पत्नि वीरेन्द्र सिंह	90/1/1	0.740	
9		90/1/2	1.000	
10	सरीता पत्नि कृष्णपालसिंह नि.ग्राम	90/2/1	0.250	
11		90/2/2	0.800	
12		91	0.690	
13	सम्पतबाई पति राजाराम जाट नि.ग्राम	95	2.520	Name chang
14	श्री रामजानकी मंदिर (व्यवस्थापक दत्तक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन)	96	0.890	
15	भागीरथ पिता अमरा पता चैनपुर हंसखेड़ी भूमि स्वामी शासन द्वारा प्रदत्त भूमि अहस्तांतरणीय	98	1.220	
16	1.उस्मान पटेल पिता कासम पटेल 2.इरफान पटेल पिता उस्मान पटेल, 3.संददाम पटेल पिता अजीज पटेल	99	1.690	
17	सीताबाई पति कमलसिंह	100/1	2.800	
18		100/2	2.010	
19		102/1	1.340	
20	विजय पिता अमरसिंह	101	1.920	
21	गोराबाई पति महेन्द्रसिंह जाति-जाट नि.ग्राम	102/2	1.340	
22	धीरेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह जाति-जाट नि.ग्राम	103/1	1.080	
23		104/2	0.790	
24		108/3	0.560	
25		109/2	1.400	
26	अमरसिंह उर्फ ओमप्रकाश पिता राजाराम पता चैनपुर हंसखेड़ी	104/3	0.790	
27	यशराजसिंह नाबा.पुत्र वीरेन्द्र सिंह संरक्षक विरेन्द्र सिंह,	106/1	0.600	
28	युवराज नाबा. पिता कृष्णपाल सिंह	106/2	1.400	
29	कमलसिंह पिता राजाराम	103/2	2.490	
30		107	0.770	
31		108/1	0.500	
32	मोहम्मद रईस पटेल सलीम पटेल जावेद पटेल पिता उस्मान गनी	108/2	1.140	
33	कृष्णपाल सिंह पिता इन्द्र सिंह,	109/3/1	0.400	
34	विजय सिंह पिता हरिनारायण	110/4/1	0.110	
35		110/2/2	0.290	
36	सेवाराम पिता अम्बाराम चमार	109/3/2	0.400	
37		110/1	0.200	
38		110/3/2	0.200	
39		110/3/1	0.020	
40	रामकुंवरबाई पति अम्बाराम चमार	110/4/2	0.090	
41	रुगनाथ पिता धूलिया नि.ग्राम उज्जैन	110/2/1	0.590	
42	अजीज पिता ईमाम नायता पता चैनपुरहंसखेड़ी	111	0.930	

43		112/4/1	0.670	
44		112/1/1	1.500	
45	श्यामलाल पिता राधाकिशन	112/1/2	1.500	
46		112/2	1.270	
47	संगीताबाई पति श्यामलाल नि.ग्राम	112/3	1.700	
48	अमजद पिता युनूस नायता नि.ग्राम नरवर	112/4/2	0.200	
49	नादर पिता अब्बास नायता नि.ग्राम	112/5	1.200	
50	नियमत बी पति उस्मान पटेल, मोहम्मद रईस पिता उस्मान पटेल, सलीम पिता उस्मान पटेल, जावेद पटेल पिता उस्मान पटेल	113	2.510	
51		114/2/1	0.200	
52		114/2/2/1	1.200	
53		109/1	5.690	
54	जोहेब पिता अनवर कुरैशी, समीर पिता अनवर कुरैशी, शाहिदाबी बेवा अनवर कुरैशी	114/2/2/2	2.890	
55	गायत्रीबाई पति शिवनारायण ब्राह्मण नि.ग्राम चंदेसरा	114/1	2.400	
56	1.संग्रामसिंह चौधरी पिता धीसूसिंह उज्जैन. 2.दिलीपचौधरी पिता धीसूसिंह उज्जैन	116/1	2.720	
57	विकास पिता बालकृष्ण नि.ग्राम	117/1/1	0.700	
58	जितेन्द्र पिता बालकृष्ण नि.ग्राम	117/1/2	0.700	
59	1.कविता चौधरी पति दिलीप चौधरी 2.बिता चौधरी पति संग्राम चौधरी	117/2	0.700	
60		128/1	0.120	
61	जगदीश पिता पर्वत नि.ग्राम उज्जैन	118/1/1	0.120	
62	1.सपना चौहान पति शंकरसिंह चौहान पता— इंदौर, 2.मोहितसिंह पिता दिलीपसिंह	118/1/2	0.230	
63	रामचन्द्र पिता उंकर नि.ग्राम उज्जैन	118/2	0.350	
64	1.छोगालाल पिता कंवरा नि.ग्राम 2.निर्भयसिंह पिता कंवरा नि.ग्राम 3.गंगाराम पिता कंवरा नि.ग्राम 4. मोहनलाल पिता कंवरा नि.ग्राम	135/5	0.290	
65	छोगालाल पिता कंवरा उर्फ कुंवरजी	127/4	0.540	
66		127/5	0.200	
67		135/1	0.100	
68	निर्भयसिंह पिता कंवरा	127/1	0.080	
69		135/2	0.500	
70		119	0.310	
71		118/3	0.360	
72		127/2	0.750	
73	गंगाराम पिता कंवरा उर्फ कुंवरजी	135/4	0.200	
74		127/3	0.500	
75		135/3	0.400	
76	मोहनलाल पिता कंवरा उर्फ कुंवरजी	139/	0.250	

77	दयाराम पिता पन्नालाल नि.ग्राम, नगजी पिता पन्नालाल नि.ग्राम, दरयाव बाई पिता पन्नालाल नि.ग्राम, लीलाबाई पिता कैलाश नि.ग्राम, मनोज पिता कैलाश नि.ग्राम, निरंजन पिता कैलाश सर.माता लीलाबाई नि.ग्राम, खुशबू नाबा पिता कैलाश सर.माता लीलाबाई नि.ग्राम, अशोक पिता हीरालाल नि.ग्राम, गीताबाई बेवा हीरालाल नि.ग्राम	118/4	0.360	
78	नगजी पिता पन्नालाल नि.ग्राम	120/1	0.200	
79		121	0.310	
80		122	0.360	
81	मनोज पिता कैलाश नि.ग्राम	120/2	0.050	
82		140/2/1/1	0.100	
83	दिलीपसिंह पिता भीमसिंह जाट नि.ग्राम	123/1	0.080	
84		123/2	0.440	
85		124	0.360	
86	तोलाराम पिता गोपाल नि.ग्राम	134	0.660	
87		137/1	0.480	
88	रशिद पटेल पिता गनी पटेल इकबाल हुसेन पिता सम्बिर पटेल	137/2	0.200	
89	1.अरबाली पुत्र इब्राहिम पता—धतरावदा 2.शब्दीरअली पुत्र इब्राहिम पता—धतरावदा 3.शोरमोहम्मद पुत्र इब्राहिम	125	1.590	
90	यशवंत पिता गुलाबसिंह पता—बरोली मल्हारगंज, इंदौर	126	2.420	
91		137/3	0.300	
92		138	0.210	
93	अनिता राठौर पति रविन्द्र राठौर	137/4	0.300	
94	1.धीसूसिंह पिता मांगीलाल जाट नि.ग्राम चैनपुरहंसखेड़ी,	128/2	0.160	
95	2. सायराबाई बेवा बालकृष्ण जीतेन्द्र विकास कविता पिता बालकृष्ण जाट	129/1	0.470	
96		130/1	0.450	
97		116/2	0.110	
98	धीसूसिंह पिता मांगीलाल जाट नि.ग्राम चैनपुरहंसखेड़ी,	128/3/1	0.410	
99		128/3/2	0.400	
100		129/2	0.420	
101	सुगनबाई पति धीसूसिंह जाट नि.ग्राम	129/3	0.780	
102		130/2	1.020	
103	1.जितेन्द्र पिता बालकृष्ण नि.ग्राम 2.विकास पिता बालकृष्ण	131	0.640	
104		133/2	0.700	
105	सायराबाई बेवा बालकृष्ण जाट नि.ग्राम	132	1.640	
106	शांतिलाल पिता राजाराम नि.ग्राम	133/1/1	0.180	
107	गोरेधन पिता राजाराम नि.ग्राम	133/1/2	0.180	
108	1.इमरान पिता मंसूर पता—कवड़ी महू इंदौर, 2.शाहीद पिता मंसूर पता—कवड़ी महू इंदौर 3.अफजल पिता उस्मान पता—कवड़ी महू इंदौर	136	1.240	
109	पर्वतसिंह परिहार पिता नानूराम	140/1/1	0.100	
110	अशोक पिता हीरालाल, गीताबाई बेवा हीरालाल	140/1/2	0.770	
111	अरबली पुत्र इब्राहीम पटेल	140/2/1/2	0.100	
112	पर्वतसिंह परिहार पिता नानूराम	140/2/2	0.100	
113	राजूबाई बेवा मंगाराम नि.ग्राम	141/1	0.570	
114	आशाबाई बेवा छन्नूलाल जाति भंगी नि.ग्राम	141/3	0.570	
		कुल रकम	90.570	

- भूमि के नक्शे (स्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी/तहसीलदार उज्जैन जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।
- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि को अवश्यकता है— “विक्रय उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु”

प्र.क्र.—914—भू—अर्जन—2024—प्र.क्र.0001—अ—82—2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 03 अक्टूबर 2014 अनुसार क्र. एफ 16—15, (1) —2014—सात—शा—2ए के अंतर्गत किसी भी जिले के लिए दस हजार हेक्टेर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, कलेक्टर को समुचित सरकार घोषित किया गया है।

चुंकि राज्य शासन को इस बात का सामाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची -1

#### भूमि का वर्णन

- |     |             |   |         |
|-----|-------------|---|---------|
| (क) | जिला        | - | उज्जैन  |
| (ख) | तहसील       | - | उज्जैन  |
| (ग) | ग्राम       | - | माघौपुर |
| (घ) | अर्जित रकबा | - | 11.81   |

### अनुसूची -2

#### निजी भूमि का विवरण

स.क.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नंबर	अर्जित रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	पल्लव पिता जुगलकिशोर विजयर्गीय नि.—देवास	80	0.150	
2	विकम पिता छितु गारी नि. गांवड़ी	89	0.410	
3	1. धापुबाई विधवा बाबूलाल 2. महेश पिता बाबूलाल, 3. गोणाबाई पिता बाबूलाल नि.ग्राम—गावड़ी	90	0.590	
4	1. रामकुंवरबाई बेवा अम्बाराम जाति चमार, 2. रेखाबाई बेवा कमल जाति चमार, 3. जीवन पिता कमल जाति चमार, 4. अशोक पिता अम्बाराम जाति चमार, 5. कैलाश पिता अम्बाराम जाति चमार, 6. सतीश पिता अम्बाराम जाति चमार, 7. आकाश ना.बा. पिता कमल संरक्षक रेखाबाई जाति चमार, 8. ज्योति ना.बा. पुत्री कमल संरक्षक रेखाबाई जाति चमार	91	0.450	
5	आनंदीलाल पिता अम्बाराम गारी	81/1	0.500	

6		82/2	0.100	
7		84	0.110	
8		85/1	0.270	
9		86	0.170	
10		87	0.240	
11	अहिल्पाबाई पति आनंदीलाल नि—गावडी	81/2	0.900	
12		82/1	0.220	
13		83	0.140	
14		85/2	0.130	
15	मांगीलाल पिता उंकारलाल महाजन नि. गावडी	92	0.480	
16	संजय पिता मांगीलाल महाजन नि. गावडी	93/1/1	0.95	
		93/1/2	0.20	
17	1.आनंद पिता ललितकुमार जाति महाजन, 2.प्रेषा पिता ललितकुमार जाति महाजन, 3.अंशुनाबा पिता ललित कुमार जाति महाजन, 4.किरण बेवा ललितकुमार जाति महाजन	93/2/1 93/2/2	0.75 0.25	
18	जितेन्द्र कुमार पिता मांगीलाल महाजन गावडी	93/3/1/1 93/3/1/2 93/3/2	0.70 0.20 0.10	
19		94/1	0.200	
20	1.सतीश पिता शिवनारायण, 2.संतोष पिता शिवनारायण, 3.श्रवण पिता शिवनारायण, 4. भूलीबाई पुत्री शिवनारायण, 5. भूरीबाई पुत्री शिवनारायण, 6. राजूबाई पुत्री शिवनारायण, 7. शकुंतलाबाई पुत्री शिवनारायण			
21	भगवताबाई बेवा शिवनारायण कुमावत नि—उज्जैन	94/2	0.600	
22	सतीश पिता शिवनारायण कुमावत माधौपुर नि.ग्राम	94/3	1.000	
23	कलाबाई पति संतोष कुमावत	94/4/1/1	0.100	
24	1.कलाबाई पति संतोष कुमावत, 2.राहुल 3. गौरव 4चंद्रल पिता संतोष	94/4/1/2	0.400	
25	विरेन्द्र सिंह सिसोदिया पिता गोकुल सिंह	94/4/2	0.500	
26	श्रवण पिता शिवनारायण कुमावत माधौपुर नि.ग्राम	94/5/1 94/5/2	0.800 0.200	
27			11.81	

- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।
- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि को अवश्यकता है—“विक्य उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु”

प्र.क्र.—915—भू—अर्जन—2024—प्र.क्र.0005—अ—82—2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग से लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 03 अक्टूबर 2014 अनुसार क्र. एफ 16—15; (1) —2014— सात—शा—2ए के अंतर्गत किसी भी जिले के लिए दस हजार हेक्टेर, से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, कलेक्टर को समुचित सरकार घोषित किया गया है।

चुंकि राज्य शासन को इस बात का सामाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची —1

भूमि का वर्णन

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| (क) जिला        | → उज्जैन         |
| (ख) तहसील       | → उज्जैन         |
| (ग) ग्राम       | → गांवडी         |
| (घ) अर्जित रकबा | → 46.760 हेक्टेर |

### अनुसूची —2

निजी भूमि का विवरण

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नंबर	अर्जित रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	हीरा पिता गोपाल	199	1.210	
2	गंगाबाई बेवा भुवान	200	0.370	
3		198	0.100	
4	1. शांताबाई बेवा आत्माराम, 2. जगदीश पिता आत्माराम,/ 3. बद्री पिता आत्माराम, 4. डालीबाई पुत्री आत्माराम, 5. कमलाबाई पुत्री आत्माराम, 6. कैलाशबाई पुत्री आत्माराम	197	0.560	

5	1.बाबू पिता पन्ना, 2.गजीबाई पिता पन्ना, 3.रेशमबाई पिता पन्ना, 4.कलाबाई पिता पन्ना, 5.शामुबाई पिता पन्ना, 6.सुशीला पिता लालजी, 7.मंजू पिता लालजी, 8.संगीता अब पिता लालजी, 9.सुगनबाई बेवा लालजी	196	0.580	
6	1.संजु पिता अशोक, 2.नेहा पिता अशोक, 3.बसकन्या पिता अशोक, 4.अर्जुन पिता अशोक, 5.राजवीर पिता अशोक, 6.ममताबाई पति अशोक	195/1	0.630	
7	1.धनश्याम पिता भवर, 2.अमरसिंह पिता भवरसिंह, 3.शांताबाई बेवा भवर	235/2	0.590	
8	गंगाबाई पति गिराधारी	235/1	0.600	
9	कमलसिंह पिता बनेसिंह	234	1.180	
10	मुकेश पिता मुकुन्द	233/2	0.790	
11	महेश पिता मुकुन्द	233/1	0.390	
12		232	0.400	
13	उमरावबाई बेवा जगन्नाथ जाति बलाई	231/2	1.000	
14	छीतूशाह पिता छोटूशाह	203/3	0.600	
15		203/2	0.680	
16	अनिताबाई पति सुनील जाति बलाई	203/1/2	0.200	
17		220	0.830	
18	रामकुंवर पति भयाराम	203/1/1/2	0.100	
19	हरीराम पिता खूमान जाति बलाई	203/1/1/1	0.460	
20	बनेसिंह पिता नानूराम जाति बलाई	202/3	0.500	
21		202/2	0.510	
22	हैदरशाह पिता छीतूशाह जाति फकीर	202/1	1.010	
23	नानूराम पिता दौला	201	2.090	
24	1.भंवरबाई बेवा रतन जाति बलाई, 2. हेमराज पिता रतन जाति बलाई, 3.कमल पिता रतन	229/1	0.690	
25	सिद्धू नानूराम बहादुर पिता दोला	230	2.090	
26	सत्यनारायण पिता देवीसिंह	222	0.220	
27	केशरसिंह पिता देवीसिंह जाति गारी	218	0.230	
28		225	0.780	
29	भीमसिंह पिता कल्याण जाति जाट	229/2/2	0.500	
30	सुन्दरबाई पति भीमसिंह जाति जाट	229/2/1	0.180	
31	मदनलाल पिता अमरा जाति बलाई	229/3	0.680	
32	राजवीर नावालिंग पिता सत्यनारायण सरपरस्त माता	224	0.390	
33	पवनबाई पति सत्यनारायण	223	0.400	
34	1.नजमा पिता एहसान, 2.अफसाना बेवा एहसान, 3.सलमा पिता एहसान, 4.मदीना पिता एहसान, 5.बश्करजोया पिता एहसान	204/1	0.340	
35		215	0.340	
36		217	0.230	
37	युसुफ पिता चन्दु जाति नायता	208	0.290	
38		209	0.290	
39		226	0.100	
40		216	0.220	

41		207	0.180	
42		206	0.110	
43		211/1	0.110	
44		204/2/1	0.330	
45		.210	0.300	
46		214	0.300	
47		227	0.100	
48		221	0.250	
49		205	0.290	
50		204/2/2	0.330	
51		228	0.110	
52		213	0.310	
53	रमेश पिता नंदा	211/2	0.110	
54	शांतिलाल पिता च्यारजी	212/1/3	0.410	
55	आबाराम पिता च्यारजी	212/1/2	0.410	
56	1. सजनयाई बेवा कनीराम, 2. निर्मयसिंह पिता कनीराम, 3. विक्रम पिता कनीराम, 4. सीताधाई पिता कनीराम	212/1/1	0.420	
57	सजनयाई बेवा कनीराम	212/4	0.410	
58		258	0.870	
59		259/1	0.590	
60		261/2	0.140	
61		283	0.940	
62	धनसिंह पिता द्याराम जाति गारी	259/2	0.100	
63		261/1	0.100	
64		279/1	0.220	
65	घनश्याम पिता मोहनलाल	279/3	0.200	
66		280/2	0.400	
67	संजीव कुमार पिता श्री राम जातियाप्त	279/2	0.680	
68	मोहन पिता गोपाल	280/1	1.700	
69	नितेश पिता जानकीलाल जाति गारी	281	1.900	
70	मानसिंह पिता बालाजी	282/1	0.470	
71	भाहर पिता मानसिंह	282/2	0.800	
72	राधेश्याम पिता मानसिंह जाति गारी	282/3	0.800	
73	अजगरअली पिता केसाजी	284	0.460	
74	पौलत पिता केशाजी	285	0.460	
75	बिसमिल्लाबी बेवा सरार	286	0.470	
76	अनवर पिता केसाजी	287	0.520	
77	स्त्रीपि पिता इशाक	288/1	0.840	
78	आजाद पिता ईसाक	288/2	0.360	
79	सईदाबी पति सोहराब पटेल आशिक, राजू पिता	288/3	0.650	
80	सोहराब	295/1	0.190	
81	जानकीलाल पिता अजबसिंह जाति गारी	289	1.870	
82	महेश पिता तेजराम	290/1	0.620	
83	लखपति पिता आत्मराम	290/2	0.600	
84	लालकुवरबाई बेवा तेजराम, दिनेश, महेश, चंदा पिता तेजराम	290/3	0.200	
85	सरीफ पिता ईसाक	295/2	0.700	
86	रईस पिता ईसाक	295/3	0.840	
87	धनसिंह पिता दयराम	260	0.240	
		कुल रकम	46.760	

- भूमि के नववी (लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजरच) एवं भू-अर्जन अधिकारी/तहसीलदार उच्ज्ञैन जिला उच्ज्ञैन के कार्यालय में किया जा सकता है।
- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि को अवश्यकता है— “विक्रय उद्योगपुरी लिमिटेड के विरतारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु”।

क्र.-916—भू—अर्जन—2024—प्र.क्र.0003—अ—82—2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 03 अक्टूबर 2014 अनुसार क्र. एफ 16—15; (1) —2014—सात—शा—2ए के अंतर्गत किसी भी जिले के लिए दस हजार हेक्टेर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, कलेक्टर को समुचित सरकार घोषित किया गया है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का सामाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची -1

#### भूमि का वर्णन

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| (क) जिला         | - उज्जैन             |
| (ख) तहसील        | - उज्जैन             |
| (ग) ग्राम        | - पिपलौदा द्वारकाधीश |
| (घ) अर्जित रक्षा | - 22.62 हेक्टर       |

### अनुसूची -2

#### निजी भूमि का विवरण

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नबंर	अर्जित रक्षा	रिमांक
1	2	3	4	5
1	श्रीकृष्णमंदिर वाके देहहाजा रिथत ग्राम भूमि रवामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय, जिला—उज्जैन	208	0.500	
2	मेहरबान सिंह पिता बनेसिंह राजपूत नि—सिंदनी	209/1	1.220	
3	सीमा राठौर पति योगेन्द्र सिंह राठौर	209/2	0.400	
4	धीरजसिंह पिता बनेसिंह पिपलौदा द्वारकाधीश	211	2.280	

५	ममता पति अनिल कुमार चौरड़िया नि—नवलखा, मेनरोड़, इंदौर	212	0.060	
६		213	0.800	
७		214	0.460	
८		215	0.800	
९		216	0.580	
१०	जमनाबाई विधवा किशोरीलाल जितेन्द्र राजकरण पिता किशोरीलाल नाबा. सरपरस्त माता जमनाबाई काजल पुत्री किशोरीलाल नि—पिपलौदा द्वारकाधीश	217	0.500	
११	इंदूलाल पिता कचरुलाल	218	0.670	
१२	अंतरसिंह पिता उदयसिंह नि—सिंदनी	210/१	2.610	
१३	अभिजीतसिंह पिता तेजसिंह नि—भोपाल	210/२	1.000	
१४	ममता पति अनिल कुमार चौरड़िया नि—नवलखा, मेनरोड़, इंदौर	219/१/१	0.300	
१५	नागेश्वर पिता बद्रीलाल बलाई नि—पिपलौदा द्वारकाधीश	219/१/२ /१	0.320	
१६		220/१/१	0.270	
१७	उमरावबाई बेवा बद्रीलाल बलाई नि—पिपलौदा द्वारकाधीश	219/१/२ /२	0.190	
१८		220/१/२	0.110	
१९	तूफान पिता बद्रीलाल बलाई नि—पिपलौदा द्वारकाधीश	219/१/२ /३	0.320	
२०		220/१/३	0.270	
२१	माना पिता हिरा नि—उज्जैन	219/२/१	0.310	
२२		220/२/१	0.190	
२३	अंतरबाई बेवा अंतरलाल, संतोष, दशरथ, पुत्रगण	219/२/२	0.320	
२४	अंतरलाल, गयबाई पुत्री अंतरलाल, नि—उज्जैन	220/२/२	0.180	
२५	शांताबाई पति विकम, संतोष जीवन पिता विकम नि—पिपलौदा द्वारकाधीश	221/१	1.200	
२६	सुगनबाई पति कन्हैयालाल नि.ग्राम	221/११	0.500	
२७	गीताबाई पति आत्माज्ञाम नि.ग्राम	221/१२	0.500	
२८	१. श्यामूबाई विधवा मांगीलाल २. रम्माबाई पुत्री मांगीलाल, ३. संजय पिता मांगीलाल ४. मोतीराम पिता मांगीलाल सरपरस्त माता श्यामूबाई	221/१३	0.500	
२९	मांगीलाल पिता उंकारजी नि.ग्राम	221/१४	0.500	
३०	राजेश, नरेन्द्र पिता रतन, सुनिता, मंजू पिंकी पिता रतन, लीलाबाई बेवा रतन	221/१५	0.500	Name chang
३१	रामचंद्र पिता गुलाब नि.ग्राम	221/१६	0.500	
३२	ईश्वरनारायण पिता भागीरथ कैलाशबाई पिता भागीरथ, सम्पतबाई बेवा भागीरथ पता—पिपलौदा द्वारकाधीश	221/२	1.400	
३३	रतनबाई पति रामलाल ग्यारसीलाल कृष्णबाई पिता रामलाल नि—पिपलौदा	221/३	0.530	
३४	कैलाश पिता रुग्मा	221/४	0.530	
३५	रामचंद्र, मदनलाल, रेशमबाई, लक्ष्मीबाई पिता रुपा चमार नि.ग्राम	221/६	0.800	
३६	मोतीराम पिता पुराजी नि.ग्राम	221/७	0.500	
	कुल रकबा		22.62	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जीन अधिकारी/तहसीलदार उज्जैन जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि को अवश्यकता है— “विक्रय उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु”

क्र.-917-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र.0002-अ-82-2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 03 अक्टूबर 2014 अनुसार क्र. एफ 16-15; (1) -2014- सात-शा-2ए के अंतर्गत किसी भी जिले के लिए दस हजार हेक्टेर से अधिक किसी क्षेत्र के लिए, किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, कलेक्टर को समुचित सरकार घोषित किया गया है।

चुंकि राज्य शासन को इस बात का सामाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची -1

#### भूमि का वर्णन

(क)	जिला	—	उज्जैन
(ख)	तहसील	—	उज्जैन
(ग)	ग्राम	—	कड़छा
(घ)	अर्जित रकबा	—	38.91 हें.

### अनुसूची -2

#### निजी भूमि का विवरण

स.क.	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नंबर	अर्जित रकबा	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	आरजी एजुकेशन सोसायटी तर्फे सचिव व्ही.व्ही.	452	2.700	
2	गोतम, पता 7 कोठी रोड सिविल लाईन देवास रोड	453	0.740	
3	उज्जैन	461	0.410	
4	असलम सलीम एहसान अफसर जुबेरा पिता न्याज मोहम्मद, फातिमा बी बेवा न्यास मोहम्मद	460/1	0.750	
5		460/2	0.090	
6		460/3	0.040	
7		462	0.600	

8	मेसर्स हर्षिता एयरोनाटिकल फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा ट्रस्टी उमेशकुमारंजन उमेशकुमारंजन पिता विशु मिस्त्री पता 2 प्रेस काम्पलेक्स स्वदेश भवन ए.बी. रोड इंदौर	463	0.600	
9		464	1.520	
10		465	0.570	
11		466	0.900	
12		474	0.470	
13		475	0.240	
14		476	0.350	
15		477	0.300	
16		467/2	2.700	
17		468	2.500	
18		469	0.870	
19		470	4.200	
20		471	2.540	
21		472	0.590	
22		473	1.450	
23		478	0.610	
24		479	0.790	
25		482	4.040	
26		467/1	1.420	
27	असलम सलीम एहसान अफसर जुबेरा पिता न्याज मोहम्मद, फातिमा बी बेवा न्यास मोहम्मद	480/2	0.750	
28		480/3	0.750	
29		480/1	0.710	
30	अजीज पिता भूराजी पता नरवर जिला उज्जैन	481/1	1.640	
31	अलाउद्दीन पिता दाऊद नरवर लियाकत पिता दाऊद	481/2	1.100	
32	रेखा पुत्री मोहनलाल	431/1	0.490	
33	रामेश्वर पिता रुग्नाथ	431/2	0.480	
34	रामेश्वर पिता रुग्नाथ	441/1	0.190	
35	रेखा पुत्री मोहनलाल	441/2	0.180	
36	लक्ष्मीबाई, धापूबाई, अरुणा, सीमा, सुनीता पुत्री मोहनलाल	459	0.630	
	कुल रकमा		38.91	

- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी/तहसीलदार उज्जैन जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है।
- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि को अवश्यकता है— “विक्रय उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-04—भू—अर्जन—2025

मैहर, दिनांक 17 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है –

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन— (भ0प्र० शासन/निजी शाखा)
- (क) जिला — मैहर
  - (ख) तहसील — रामनगर
  - (ग) नगर/ग्राम— झिन्ना
  - (घ) क्षेत्रफल — 3.8617 हे.

संख्या	खसरा नंबर/सर्वे नंबर	प्रभावित रकवा
1	33/1502/1	0.0660
2	100/1	0.0140
3	100/5	0.0056
4	100/6	0.0190
5	100/7	0.0190
6	100/8	0.0190
7	101/1/1	0.0245
8	101/1/2	0.0200
9	101/1/3	0.0200
10	101/1/4	0.0200
11	101/1/5	0.0200
12	98/1	0.0010
13	97/1	0.0210
14	97/2	0.0012
15	96/2	0.0102
16	105	0.1760
17	106	0.0150
18	95	0.0320
19	93	0.0052
20	92/1/1/1	0.0790
	92/1/1/2	
21	92/1/2	
22	92/2/1	0.0326
23	92/2/2	0.0080
24	92/2/3	0.0140
25	92/2/4	0.0100
26	92/2/5	0.0100
27	91	0.1440
28	110	0.0026
29	111	0.0650
30	90	0.1310

31	112	0.0510
32	239	0.0440
33	298	0.0360
34	297/2	0.1060
35	296/2	0.0070
36	299/2	0.0130
37	294	0.1040
38	295	0.0003
39	305/2	0.0350
40	306/2	0.0640
41	293	0.0070
42	290/2	0.0290
43	308	0.2700
44	307	0.0190
45	289	0.0520
46	311	0.0400
47	454/1	0.0738
48	454/2	0.0060
49	454/3	0.0100
50	454/4	0.0820
51	453/2	0.1150
52	452/1	0.0220
53	447/3	0.0730
54	448/2	0.0170
55	451	0.0020
56	449/1/1/1	0.0948
57	449/1/1/2	0.0200
58	449/1/1/3	0.0180
59	449/1/2	0.0039
60	449/1/3	0.0004
61	449/1/4	0.0054
62	449/1/5	0.0049
63	449/1/6	0.0014
64	449/1/7	0.0079
65	449/1/8	0.0140
66	449/1/9	0.0002
67	449/1/10	0.0122
68	449/1/11	0.0120
69	449/1/12	0.0064
70	449/1/13	0.0153

71	449/2/1	0.0072
72	449/2/2	0.1520
73	450/1	0.0160
74	434	0.0336
75	432/2/1/1	0.0160
	432/2/1/2	
76	432/2/2	0.0100
77	433/2	0.0240
78	433/3	0.1545
79	419/1	0.1110
80	419/2/1	0.0219
	419 / 2 / 2	
81	421	0.0650
82	418 / 3 / 1	0.0210
83	418 / 3 / 5	0.0065
84	420 / 1	0.0220
	420 / 2	
85	417 / 1 / 2 / 1	0.0080
86	417 / 2	0.2340
87	393	0.0310
88	394	0.0160
89	395	0.1730
90	397	0.1740
91	416 / 1	0.0007
92	398	0.0240
93	400	0.0020
94	389	0.0105
95	401	0.0280
योग—		3.8617

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है— राज्यीय राजमार्ग भरतपुर (भैसरहा) से गोविन्दगढ़ वाया जिगना कुल लंबाई 36 किमी० के अंतर्गत ग्राम पंचायत झिन्ना लं.1.4 किमी० चौड़ाई 30 मीटर में नवीन बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) मैहर में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रानी बाटड़, कलेक्टर एवं ज़िला मजिस्ट्रेट.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.—161—भू—अर्जन—2025

सीधी, दिनांक 23 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा—11 का प्रकाशन दिनांक 15.09.2023 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा—11 के पश्चात धारा—19 की अधिसूचना का प्रकाशन हल्का पटवारी से स्थल की जाँच कर प्रपत्र—10 एवं प्रपत्र—11 प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसका प्रतिवेदन समय—सीमा में न प्राप्त होने के कारण तथा विधान सभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं राजस्व प्रकरण में व्यस्तता होने के कारण नहीं हो सका है। अतः समयावधि में धारा—19 का प्रकाशन न हो पाने के कारण 01 वर्ष की वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

भू—अर्जन, पुनर्वासन और पुरुव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—19 की कांडिका (7) की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह विख्याति कर दी गई है, तथा उक्त अधिनियम के अधीन एक वर्ष की वृद्धि की जाती है।

अतः भू—अर्जन, पुर्ववासन और पुरुव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—11 के परन्तुक अंतर्गत इसके बारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील सिहावल की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :—

क्रं.	उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	भू—अर्जन हेतु प्रस्तावित ग्रामों का नाम	धारा—11 के प्रकाशन का दिनांक	एक वर्ष पूर्ण का होने दिनांक	01 वर्ष की समय वृद्धि
1.	सिहावल / बहरी	सिहावल	लोहीडांड	15.09.2023	14.09.2024	15.09.2024 से एक वर्ष
2.	सिहावल / बहरी	सिहावल	झगरौंही	15.09.2023	14.09.2024	15.09.2024 से एक वर्ष

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :— झगरौंही पहुँचमार्ग लम्बाई 2.30 कि.मी. के निर्माण हेतु

3. भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल से देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2025

### संशोधन

**क्रमांक/For/2/0003/2024/10-2:** राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक /For/2/0003/2024/10-2 दिनांक 09.09.2024 के अंग्रेजी अनुवाद में टंकण त्रुटि के कारण अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद के Annexure-II के पार्ट-2 में केवल निम्न नवीन सर्वे क्रमांक एवं क्षेत्रफल को निम्नानुसार संशोधन के साथ पढ़ा जाए:-

<b>Part-2 (Government Revenue/Private Area)</b>					
No.	Tehsil	Government Revenue Area	Old Survey No.	New Survey No.	Area (hectare)
6	Piploda	village Sherpur	Private 576	Private 860	0.809
			Private 577	Private 859	2.023

2/ पार्ट-3 में केवल निम्न पुराने सर्वे क्रमांक को निम्नानुसार संशोधन के साथ पढ़ा जाए:-

<b>Part-3 (Government Revenue Area)</b>					
No.	Tehsil	Government Revenue Area	Old Survey No.	New Survey No.	Area (hectare)
7	Sailana	Village Sailana (Shikarwadi) Part-A	1695	-	1.300
			1696	-	4.900

3/ अधिसूचना को शेष भाग यथावत रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2025

क्र. SNT-14-0026-2025-Sec-2-इकतालीस (SNT).— राज्य शासन एतदद्वारा संलग्न परिशिष्ट—अ अनुसार “मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, 2025 (Madhya Pradesh Semiconductor Policy, 2025)” जारी करता है।

2. यह आदेश मंत्री—परिषद् के आयटम क्रमांक 01 दिनांक 4 फरवरी, 2025 में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट—अ



**Government of Madhya Pradesh**

**Madhya Pradesh Semiconductor Policy 2025**

## Contents

1.	Abbreviations .....
2.	Industry Overview .....
2.1.	Global and Domestic perspective .....
2.2.	Key Pillars of Semiconductor ecosystem .....
3.	Madhya Pradesh Semiconductor Policy 2025 .....
3.1.	Vision .....
3.2.	Objectives.....
3.3.	Advantage Madhya Pradesh.....
4.	Policy Implementation, Coverage and eligibility .....
4.1.	Policy Validity .....
4.2.	Nodal Agency .....
4.3.	Appeal .....
4.4.	Eligibility .....
5.	Fiscal Incentives .....
5.1.	Incentives to Fabless products/IP companies .....
5.2.	Incentives to Semiconductor Design/Design Services /GCC extension centers ..
5.3.	Incentives for Semiconductor & Component Manufacturing Units.....
5.4.	Centre of Excellence for Semiconductors and ESDM .....
5.5.	Talent & Skill Development.....
6.	Non-Fiscal Incentives.....
7.	Policy Facilitation .....
7.1.	Online Application Process .....
8.	General Conditions .....
	Annexures.....
A1.	Section 12 of Madhya Pradesh IT, ITeS, and ESDM Investment Promotion Policy 2023: Land Related Benefits .....
A2.	Section 9.1.2.1 of Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Policy 2023 .....
A3:	List of Goods Eligible under the Policy .....

## 1. Abbreviations

- a. ATMP - Assembly, Testing, Marking, and Packaging
- b. CAPEX - Capital Expenditure
- c. CCIP – Cabinet Committee on Investment Promotion
- d. CoE - Centre of Excellence
- e. DST – Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh
- f. ECI – Eligible Capital Investment
- g. EMC – Electronics Manufacturing Cluster
- h. EMS – Electronics Manufacturing Services
- i. ESDM – Electronics System Design and Manufacturing
- j. GoI – Government of India
- k. GoMP – Government of Madhya Pradesh
- l. IAC- Investment Advisory Committee
- m. IC – Integrated Circuits
- n. IoT – Internet of Things
- o. ISM – India Semiconductor Mission
- p. IT – Information Technology
- q. MeitY – Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India
- r. MPIDC – Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Ltd.
- s. MPSeDC – Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd.
- t. NPE – National Policy on Electronics
- u. OSAT – Outsourced Assembly and Test
- v. PLI – Production Linked Incentive
- w. PMU – Project Management Unit
- x. R&D – Research and Development
- y. ToT- Transfer of Technology
- z. VLSI – Very Large-Scale Integration

## 2. Industry Overview

### 2.1. Global and Domestic perspective

Electronics and Semiconductors are becoming a critical element of economic growth and strategic security for any country. With India's March for 5 trillion Dollar economy driven by 1 trillion Digital economy<sup>1</sup> it is imperative than India develop a self-reliant and sustainable electronics and semiconductor ecosystem in India.

Semiconductors are the most crucial technology for all the modern Electronics products which are driving growth of all the important sectors of economy including Automobiles, Tele Communication, Digital & Physical Infrastructure, Defence/Aerospace, Computing, Consumer Electronics, Medical, Agriculture education and many more. The advent and very fast-paced growth of AI/ML, Electrical & Autonomous Vehicles, 5G, Sensors & IoT Technologies are accelerating the pace of growth for semiconductor driven Electronics products. The global semiconductor market size was valued at USD 611.35 billion in 2023 and is projected to grow from USD 681.05 billion in 2024 to USD 2062.59 billion by 2032, exhibiting a CAGR of 14.9% during the forecast period (2024-2032)<sup>2</sup>. The key sectors fuelling this growth are AI/ML, HPC, Communication, Automobile, Industrial and Consumer Electronics with AI/ML and automotive growing the fastest.

The growth of semiconductor consumption in India is growing at much faster rate than the global market, riding on a high demand of electronics products. In 2024 India consumed approximately \$40 Billions of semiconductors which is expected to grow to \$110 Billion by 2030<sup>3</sup>, more than 10% of the global semiconductor market.

In addition to semiconductors, display technology has also become critical for modern electronics devices and has a very large global and domestic market and also needs high tech manufacturing which is similar in complexity as Semiconductor Manufacturing.

Madhya Pradesh recognizes the imperative to establish itself as a significant player in this dynamic and growing opportunity. Madhya Pradesh, strategically located in central India, boasts a robust infrastructure, abundant natural resources, a young and talented workforce, and a commitment to fostering an ecosystem conducive to technological advancement. The state government aims to harness these strengths to attract investments, build a talented and future ready workforce, promote research & development, and enhance product development and manufacturing capabilities for the Electronics & Semiconductor industry.

Currently, Indian semiconductor sector has a substantial opportunity for growth. The India Semiconductor Mission set up by Government of India has launched schemes to strengthen the semiconductor ecosystem in the country position India as a future market leader in the Semiconductor industry. By developing a state-level Semiconductor policy, Madhya Pradesh seeks to contribute to the national goal, thereby strengthening the vision of Atmanirbhar Bharat.

This policy aims to create a vibrant semiconductor ecosystem in Madhya Pradesh aims to propel Economic Growth, create sustainable and high value employment opportunities, and enhance the state's position in the domestic and global technology landscape.

1. [https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/india\\_trillion-dollar\\_digital\\_opportunity.pdf](https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/india_trillion-dollar_digital_opportunity.pdf)
2. <https://www.fortunebusinessinsights.com/semiconductor-market-102365>.
3. Modified Semicon India Program released by MeitY

## 2.2. Key Pillars of Semiconductor ecosystem

Semiconductor design and manufacturing is very complex and for building a holistic ecosystem for self-reliant and sustainable semiconductor supply chain following are the key pillars which have to be built through partnership between industry, academia and government.

### 2.2.1. Semiconductor Products & IPs (Fabless)

Semiconductor Products or Chips were earlier made by IDMs (Integrated Device Manufacturers) but since 1980's Semiconductor products are predominantly made by the Fabless companies. IDM's are vertically integrated where they design and manufacture their own products and sell them in their own brands. Their products are manufactured in their own Fabs.

**Fabless companies** design their own chips and sell them in their own brand names, but get them manufactured by outside semiconductor Fabs typically known as Foundries and get them packaged by ATMP/OSAT companies in contract manufacturing Model.

Fabless companies are the primary drivers for innovation in chip design and new products and also drive the foundry/Fab business. Fabless companies are very important for India ecosystem as there is very good talent base of Fabless design of semiconductor chips. Most of the captive design centers of MNCs as well as semiconductor start-ups fall into the category of Fabless semiconductor design. Other than large IP companies there are many other small and medium companies and India has a good chance to play an important role in fabless manufacturing.

### 2.2.2. Semiconductor Manufacturing

Semiconductor Manufacturing refers to Fab Plants on the front-end and ATMP/OSAT plants on the back end. These fabs are generally characterized by type of the technology, feature size and wafer size.

#### 2.2.2.1. Semiconductor Wafer Fabs

- a) Silicon logic Fabs (Foundries)
  - 1) Technology Nodes: 180nm to 2 nm
  - 2) Wafer Sizes: 6 Inch (150 mm), 8 Inch (200 mm), 12 Inch (300 mm)
  - 3) Applications: Digital, Analog, Mixed Signal
- b) Memory Fabs
  - 1) Wafer sizes: 8 Inch (200mm), 12 Inch (300 mm)
  - 2) Application: DRAM, Flash, SSD
- c) Compound Semiconductor Fabs
  - 1) Wafer Sizes: 6 Inch (150 mm), 8 Inch (200 mm)
  - 2) GaN, Silicon Carbide, Photonics
- d) Sensors
  - 1) Wafer Size: 6 Inch (150 mm), 8 Inch (200 mm), 12 Inch (300 mm)
  - 2) CMOS Image sensors, Mems, Light, Finger Touch etc.

#### 2.2.2.2 Semiconductor Packaging

- a) ATMP (Assembly, test, Mark and Package)
- b) OSAT (Out-Sourced Assembly and Test)
- c) Simple DIP, BGA, FCBGA
- d) Multi-Chip Modules, System in Package,

- e) Integration of Chiplets, Interposer
- f) Chip and Package cooling
- g) Advanced 2.5D/3D and other packaging technologies

#### **2.2.3. Semiconductor Talent, Research and Skilling**

Semiconductor Chip Design, Technology Development and manufacturing operations require large number of talented engineers, researchers and skilled workers to meet India's need in this domain and support the global ecosystem. It is imperative that adequate focus should be given on skilling and R&D to create the supporting ecosystem to develop the talent.

#### **2.2.4. Semiconductor input supply chain**

Semiconductor Manufacturing requires very robust and high-end supply chain of raw materials, consumables, equipment, spare parts, efficient logistic support and engineering project execution expertise. Details of key elements of the supply chain are:

- a) Bulk Gases and Specialty Gases
- b) Chemicals and Acids
- c) Other Raw Materials
- d) Raw Wafers
- e) Mask sets

#### **2.2.5. Infrastructure and Logistics**

Semiconductor Manufacturing requires very robust and highly efficient logistics and infrastructure. Some of the key elements of logistics & infrastructure are:

- a) Large quantity of Ultra-Pure Water
- b) Uninterrupted and Quality Power Supply; Dual redundancy, High Voltage
- c) Effluent treatment & disposal
- d) Connectivity to Airport which can land large cargo plane.
- e) Quality road from Airport suitable for transporting sophisticated equipment.
- f) Ease of customs and ease of doing business in terms of clearances etc.

### **3. Madhya Pradesh Semiconductor Policy 2025**

#### **3.1. Vision**

*To establish Madhya Pradesh as the hub of India's semiconductor revolution by creating a thriving ecosystem for manufacturing, design, and innovation. The policy envisions building world-class infrastructure, nurturing a future-ready workforce, and attracting global investments to position the state as a key player in the semiconductor value chain.*

#### **3.2. Objectives**

- a) **Build Strong Semiconductor Ecosystem** by focusing on Semiconductor Design, Semiconductor Products, Semiconductor & Component Manufacturing, and talent for both Design & Manufacturing.
- b) **Promote Economic Growth** by creating infrastructure for Semiconductor Design, Manufacturing and Talent Creation and make the state a preferred destination for semiconductor industry.
- c) **Attract Investments** from global and domestic semiconductor design and manufacturing companies to take the benefit of excellent policies, infrastructure and talent base.

- d) **Foster Talent Development** among professionals and academia through research, development, training, skill enhancements, upskilling programs, and knowledge transfer by collaborating with the industry.

### **3.3. Advantage Madhya Pradesh**

Madhya Pradesh is one of the best destinations for building all the 4 pillars of semiconductor ecosystem, being in the central location in the country:

- a) Semiconductor Manufacturing
- b) Semiconductor product & IP development
- c) Semiconductor Talent development & skilling
- d) Semiconductor raw materials input supply chain

With a progressive & stable government for a long time, proactive and stable policies, ease of doing business and abundant natural resources in term of electricity, water, minerals, it is an attractive proposition for any investor to look at Madhya Pradesh to build all the 4 of the essential pillars of semiconductor ecosystem.

#### **3.3.1. Geographic**

Madhya Pradesh is centrally located with great connectivity to rest of India, abundant natural resources and with cities like Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur etc. Madhya Pradesh has been working towards adoption of investor friendly policies with infrastructure development and skill development.

##### **a) Water Resources:**

As water is the most important resource for Semiconductor & Component Manufacturing industries, Madhya Pradesh has abundant water supply to meet the needs of Semiconductor & Component Manufacturing.

##### **b) Mining Resources:**

Madhya Pradesh is equipped with plenty of mineral deposits which may prove to be an advantage for supply chain in semiconductors

##### **c) Skilled Manpower:**

Madhya Pradesh has 200+ Technical/Engineering colleges providing Diploma, Graduate and Post graduate courses. It produces over 25,000 technical and management professionals every year. Madhya Pradesh working with VLSI Society has setup a regional chapter connecting more than 40 colleges to develop talent in VLSI Design and semiconductors in collaboration with IIT Indore.

##### **d) Power Resources:**

Madhya Pradesh has abundant and uninterrupted power supply.

#### **3.3.2. Infrastructure**

Madhya Pradesh has developed an excellent infrastructure. Cities like Indore has been ranked as cleanest cities in India for more than 7 years and Bhopal has been consistently in top 5 places as cleanest city of the country. Most of the major cities are well connected with rest of India through air, railways and road network.

### **3.3.3. Progressive & Stable government**

Madhya Pradesh is a progressive state with a clear focus on transformation in all sectors. Stable governance in the state is another advantage for ease of planning and implementation. The citizen centric governance model has set global benchmarks for the state. The state government primarily emphasizes education, health, skill development, agriculture, women's empowerment, tribal development and so on.

## **4. Policy Implementation, Coverage and eligibility**

### **4.1. Policy Validity**

The policy shall remain in effect from the date of its notification for a period of five years, unless otherwise specified by the Department of Science and Technology or superseded by a subsequent policy.

### **4.2. Nodal Agency**

Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd. (MPSeDC) under the Department of Science and Technology (DST), Government of Madhya Pradesh (GoMP) will act as a nodal agency for implementation of the policy.

### **4.3. Appeal**

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, in-charge of Department of Science and Technology (DST), Government of Madhya Pradesh (GoMP) will be the appellate authority in all matters related to this policy.

### **4.4. Eligibility**

Eligibility of electronics and semiconductor projects/units which would come under the purview of this policy is indicated below. However, eligibility to avail specific incentives would be given in detail in the operational guidelines of the policy.

- a) All new units established in Madhya Pradesh and falling under "Semiconductor & Component Manufacturing and Fabless Design" are entitled for benefits under this policy.
- b) Existing companies or units undertaking expansion during the policy period shall qualify for eligible incentives on additional investments, provided that the expansion constitutes at least 25% of their Fixed Capital Investment on or after the date of this policy's notification.
- c) New units should be registered with Nodal Agency

#### **4.4.1. Eligibility criteria Semiconductor Product/IP Companies (Fabless)**

Type of Semiconductor Product/IP companies regardless of qualifying under the Government of India's Design Linked Incentive (DLI) Program or any other such scheme of the Government of India which come under this category are as below:

- a) Semiconductor Product Companies/Fabless Companies which have chip as a Product
- b) Semiconductor IP Companies which have Soft or Hard IP as a Product
- c) Semiconductor design and Design services companies

#### **4.4.2. Eligibility criteria for Semiconductor & component Manufacturing**

The following criteria will apply to units based on the approval status of their projects by the Government of India (GoI).

##### **4.4.2.1. Electronics and Semiconductor Projects approved by GoI**

Semiconductor design or manufacturing project by any company/consortia/joint venture which has been qualified under any of the following schemes of the Government of India shall be eligible under this policy:

- a) Semiconductor Fabs; any wafer size, any technology node
- b) Display Fabs; TFT-LCD (Generation 8 and above); AMOLED (Generation 6 and above)
- c) Compound Semiconductor Fabs; Silicon Photonics Fabs, ATMP/OSAT units
- d) Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronics Components and Semiconductors (SPECS and SPECS 2.0)
- e) Any other such scheme related to semiconductor or component manufacturing by the Government of India
- f) Refer Annexure A3 for list of goods eligible

##### **4.4.2.2. Eligible 'Capital Expenditure' in respect of units under section 4.4.2.1**

- a) In the case of Semiconductor Fab units, eligible Capital Expenditure shall be limited to Capital Expenditure/Investment incurred on activities as described in section 2.5.1 of File No. W-38/30/2021/IPHW dated 30.12.2021 issued by Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India as amended from time to time.
- b) In the case of Display Fab units, Eligible Capital Expenditure shall be limited to Capital Expenditure/Investment incurred on activities as described in section 2.5.1 of File No. W-38/06/2021/IPHW dated 30.12.2021 issued by Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India as amended from time to time.
- c) In the case of Compound Semiconductors/Silicon Photonics/Sensors Fabs/Sensors Fab/Discrete Semiconductor Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/ Outsourced Semiconductor Assembly and Testing (OSAT), Eligible Capital Expenditure shall be limited to Capital Expenditure/Investment incurred on activities as described in Section 2.8.1 of File No. W-38/23/2021/IPHW dated 30.12.2021 issued by Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India as amended from time to time.
- d) Eligible Capital expenditure for SPECS related units for components and raw materials manufacturing

##### **4.4.2.3. Semiconductor & Component Manufacturing Units not approved by any Scheme of GoI**

A project by any company/consortia/joint venture for setting up of Electronics Manufacturing Units or Display Fabs, Compound Semiconductors/Silicon Photonics Sensors Fab and Semiconductor ATMP/OSAT in Madhya Pradesh.

Types of units coming under this category include:

- a) Semiconductor Fabs; Any Wafer Size; Any Technology Node

- b) Display Fabs; TFT-LCD (Generation 8 and above); AMOLED (Generation 6 and above)
- c) Compound Semiconductor Fabs; Silicon Photonics Fabs; Sensors Fabs, ATMP/OSAT Units
- d) Refer Annexure A3 for list of goods eligible

**4.4.2.4 Eligible 'Capital Expenditure' in respect units under section 4.4.2.3**

Eligibility criteria shall be same as in section 4.4.2.2

## 5. Fiscal Incentives

All incentives specified in this policy may be availed in addition to the incentives available under any scheme/policy of the Government of India. Incentives/Subsidies offered by Government of Madhya Pradesh (GoMP) will be subject to an overall ceiling of 50% of the total eligible project cost approved by Government of India (GoI).

### 5.1. Incentives to Fabless products/IP companies

For a thriving semiconductor ecosystem, semiconductor product design and fabless products companies will be given the below mentioned benefits. The eligibility criteria for such units shall be as per Design Linked Incentive scheme of Government of India.

#### 5.1.1. Companies Approved under the DLI scheme for Fiscal Benefits

10% of the cost of development as seed money with additional 15% of the cost of development as reimbursement on achieving milestone of 50% of project cost invested with a capping of ₹ 25 Crore for each project.

#### 5.1.2. Companies Not Approved under the DLI scheme for Fiscal Benefits

25% of the cost of development as reimbursement on achieving milestone of 50% of project cost invested with a capping of ₹ 25 Crore for each project.

## 5.2. Incentives to Semiconductor Design/Design Services /GCC extension centers

- a) To build the local ecosystem in state of Madhya Pradesh it is important that the semiconductor design companies set-up their operations in Madhya Pradesh. These companies could be multinational semiconductor companies, Design services companies or semiconductor start-ups who wants to set-up a new design center or setup extension of their existing design center in other cities of Madhya Pradesh
- b) For the first 10 companies who come forward to setup a design center with 50 or more people, state shall provide incentive equivalent of 25% of the CTC salary as one time incentive for the people who have more than 5 years of experience in the sector and working in the company's unit outside Madhya Pradesh and decide to move to Madhya Pradesh. 15% of this incentive should

- be given to employee as one time relocation bonus and 10% of should be provided to companies for setting up their design center in Madhya Pradesh.
- c) These companies shall be eligible to avail rental assistance as per Clause 9.1.2.1 of the Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Policy 2023. Refer Annexure A2.
  - d) For the first 5 years, the employer's portion of EPF, for maximum 20 employees in a company should be reimbursed by the government as incentive for the semiconductor design companies to set-up their design center in Madhya Pradesh

### **5.3. Incentives for Semiconductor & Component Manufacturing Units**

#### **5.3.1. Projects Approved by Indian Government**

**Direct Fiscal Incentives for Semiconductor & Component Manufacturing:** 25% of the Eligible Capital Expenditure or 50% of the incentives approved by government of India whichever is minimum to be distributed in 5 equal yearly installments from the date of start of the project.

#### **5.3.2. Projects Not Approved by Indian Government**

- a) **Direct Fiscal Incentives for Semiconductor & Component Manufacturing for other than semiconductor wafer manufacturing:** 40% of the Eligible Capital Expenditure upto ₹ 150 Cr to be distributed in 5 equal yearly installments from the date of start of the project. If such projects get approved in the state and subsequently gets approval by centre at a later date, the project shall be eligible for incentive as per 5.3.1.
- b) **Direct Fiscal Incentives for Semiconductor & Component Manufacturing for Semiconductor wafer manufacturing:** There shall be no absolute limit on fiscal incentive for semiconductor wafer manufacturing (and for other items in list of goods in Annexure 3-section G), however, incentive shall be subject to 25% of approved project cost. All such cases, irrespective of their investments shall be approved only by CCIP.

#### **5.3.3. Other Incentives for Semiconductor & Component Manufacturing**

These incentives are applicable for projects which are approved by government of India or the projects which are approved by the state government only.

- a) **Land:** Land will be provided as per Section 12 of the Madhya Pradesh IT, ITeS and ESDM Investment Promotion Policy 2023. Refer Annexure A point A1 placed below.
- b) **Stamp Duty and Registration charges:** Eligible unit(s) will be reimbursed 100% stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt. of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations.
- c) **Interest Subsidy:**
  - i. Interest Assistance of 6% on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for ECI.

- ii. The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be upto a cumulative maximum of ₹ 10 crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance), which can be availed within 5 years of commercial operations. However, disbursement will start only after the start of commercial operations.
- iii. Term loan means loan sanctioned by financial institutions/banks, acquired by the unit for creation of fixed assets, excluding working capital term loan and CC/OD limits.
- d) **Power Tariff Subsidy:** Government will provide ₹ 2 per unit subsidy on the power tariff for the first 10 years of operation. The government will facilitate to enable uninterrupted power supply with the provision of redundant grid at the doorstep of manufacturing unit, for which the company has to bear the cost.

Proposals with the total eligible capital expenditure of ₹ 400 Crores or more (or as defined in **Industrial policy of state from time to time for manufacturing sector**), or to set up for list of Goods in Annexure A3- section G will be considered through the **Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP)** on case to case basis. Department of Science and Technology shall forward the case to CCIP.

#### **5.4. Centre of Excellence for Semiconductors and ESDM**

The Department of Science & Technology will extend financial and infrastructural support for establishing Centers of Excellence (CoE) in the Semiconductor and ESDM sectors. These CoEs will be eligible for a subsidy of 25% on capital expenditure (Capex) for buildings, plants, and machinery, up to ₹25 crore. Additionally, 25% of operational expenses, up to ₹5 crore per year, will be provided for the first five years by the Madhya Pradesh Government with the expectation that the CoE will become self-sustained in 5 years after the operations start. Such CoEs will serve not only the state of Madhya Pradesh but become leading innovation facility in Electronics and semiconductors for the whole Central India. For setting up CoE, institute shall collaborate with academia to create a discernable and conspicuous impact.

The Government of Madhya Pradesh will evaluate and approve projects on a case-by-case basis following thorough due diligence of the project report. These Centers of Excellence (CoE) are expected to encompass the following principles, including (but not limited to):

- i. Develop ecosystem for Semiconductor chip design and Electronics Products
- ii. Develop engineering & makers aptitude in School & college students in these areas
- iii. Provide the funding, Mentorship and infrastructure support for start-ups
- iv. Conduct development programs/workshops/boot-camps for faculty and students
- v. Provide support for the conferences in semiconductors and VLSI Design
- vi. Facilitate Tape-Outs from Semiconductor product companies & Academic Institutions
- vii. Provides access to EDA tool grid.

## 5.5. Talent & Skill Development

The Semiconductor Industry worldwide is going through a talent crunch India alone requires over 1 Lakh VLSI Design engineers and 5,000+ professionals in the next 5 years. It is envisaged that this demand will grow further in coming years.

For leveraging and producing world class VLSI Design engineers & Skilled manpower the following support will be extended for talent and skill development

### 5.5.1. Undergraduate and Masters' Program Support

Policy will support the undergraduate and masters' program in Electronics and VLSI design in various institutes across the state by providing a one-time grant of ₹ 20 lakh per institute during the policy tenure.

### 5.5.2. Faculty Training

Professional development programs and educational activities designed to enhance the skills, knowledge, and teaching effectiveness of educators, typically within academic institutions such as schools, colleges, or universities will be supported within this policy. An annual outlay of ₹ 50 lakh will be earmarked for the training activities for upskilling technical education faculty in the state.

### 5.5.3. Internship Support

Students qualifying under the qualifying criteria as per the Mukhya Mantri Seekho Kamao Yojana (MMSKY) will be awarded internship support of up to ₹10,000 per month for a period of up-to 6 months as per the provisions of MMSKY. This benefit will be available only to interns who are domicile of Madhya Pradesh state.

### 5.5.4. Skilling Support

Skilling reimbursement will be provided to eligible units at the rate of ₹ 50,000 per employee for course fee or 50% of the costs, whichever is lower for conducting training programs. Government affiliated or accredited courses (minimum 3 months) shall be considered for this incentive. The Skilling Reimbursement will be available for 3 years to eligible units for 25% of the workforce, with an upper limit of 50 employees per annum. To calculate the workforce, number of employees who have completed at least 6 years in the company shall be considered. This benefit will be available only to employees who are domicile of Madhya Pradesh state.

### 5.5.5. Tape-Out and Chip Fabrication Support

Madhya Pradesh government will provide financial support for the academic Tape-Outs and chip fabrication through the CoE mentioned in Section 5.4. One hundred Academic tape-outs will be supported over the period of 5 years with a cap of ₹ 5 Lakhs per Tape-Out.

## 6. Non-Fiscal Incentives

The following exemptions under the relevant Acts will be available to eligible units:

- a) Exemptions under Shops and Establishments Act:
  - i. Establishments are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business

- subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
- ii) Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women workers' security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
  - b) Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop floor, during night shift subject to the conditions as specified under the Factories Act 1948 and as per notifications issued.
  - c) Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labor laws as per the notification issued by the Labour Department dated 24.06.2016.
  - d) Exemptions for Eligible units from inspections under Madhya Pradesh Udyog Ki Sthapana E�am Parichalan ka Saralikaran Adhiniyam- 2023 from obtaining specified approvals and inspections for establishing and operationalizing units in MP for 3 years
  - e) The below specified Acts and rules framed there under, barring inspections arising out of specific complaints. Under this provision, units shall be eligible for inspection only once every 5 years under the following acts:
    - i. Minimum Wages Act, 1948
    - ii. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
    - iii. Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958
    - iv. Payment of Bonus Act, 1965
    - v. Equal Remuneration Act, 1976
    - vi. Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
    - vii. Building and Construction Cess Act, 1996
    - viii. Maternity Benefit Act, 1961
    - ix. Payment of Gratuity Act, 1972

## 7. Policy Facilitation

### 7.1. Online Application Process

All incentive applications must be submitted, and incentives disbursed online through the MPSEDC portal. The proposed portal will feature an end-to-end online system with time-bound clearances. The portal services would be brought under Madhya Pradesh Public Services Guarantee Act, 2010, which mandates the delivery of public services within a stipulated time frame.

## 8. General Conditions

- a) Units can apply for any of the fiscal incentives only after the start of commercial operations, except in case of unit under section 5.1.
- b) Units(s) developed/housed on Government or Private land in Madhya Pradesh can avail benefits under this policy.
- c) Nodal Agency will perform all the calculations, approval, and disbursement of all the benefits/incentives to the eligible units under this policy.
- d) The Department of Science and Technology (DST), Government of Madhya Pradesh (GoMP) will:
  - 1) Formulate rules, implementation guidelines for the policy.
  - 2) Issue directions and guidelines to enable ease of implementation, interpretation of the rules, etc.
- e) Department of Science & Technology reserves the right to add or amend the nodal agency/agencies.
- f) In case of interpretation of the rules/policy of this policy, the decision/interpretation/clarification by the Department of Science and Technology (DST), Government of Madhya Pradesh (GoMP) shall be considered as final and binding.
- g) In the event of any dispute, the courts of Madhya Pradesh will have the jurisdiction.

## Annexures

### A1. Section 12 of Madhya Pradesh IT, ITeS, and ESDM Investment Promotion Policy 2023: Land Related Benefits

#### 12.1 Land Allotment

Government would earmark developed and raw land for establishment of IT/ITeS/ESDM/Data Centre units. This land would be made available to eligible units including Developers who are willing to set up IT/ITeS/ESDM/Data Centre units or Plug & Play infrastructure.

#### 12.2 Applicability of Land related benefits

All the Land related provisions/benefits under this policy will apply to the land parcels leased by Nodal Agency appointed by Science and Technology Department, Govt of M.P.

#### 12.3 Rebate in Cost of Land

- i. Government land will be allotted to eligible units and Developers at a premium calculated after applying a rebate on the cost of land on prevailing Collector Guideline Value.
- ii. The Collector Guideline for the land of that area would be taken as the cost of land of un-irrigated agricultural land.
- iii. Development charges would be levied separately if the land has been developed by Government of Madhya Pradesh or its Agencies/Authorities and will be determined as per the rules framed by the authority/agency that has incurred the development cost.
- iv. The rebate on the collector guideline value will be as per the area as mentioned below:
  - Up to 0.5 acre – 75%
  - >0.5 acre up to 1 acre – 60%
  - >1 acre up to 5 acres – 50%
  - >5 acres – 25%

- v. Built up area use on land allocated by nodal agency will be as follows

Type of Units For Land Allotted by Nodal Agency	Type of Land	Built up Area use (%)	
		Core Activities	Other Activities*
For IT/ITeS/ESDM Units in Parks of MPSeDC	Developed	80	20
	Raw	80	20
For Data Centre	Developed/Raw	100	-
For Developers – IT/ITeS/ESDM	Developed/Raw	80	20
For Developers in ITIA	Developed/Raw	60	40

\*Other Activities: Food Courts, Hospitals, shopping malls, Residential Complex, Schools, Star Hotels, and other entertainment activities.

- vi. To claim incentives under this policy, IT/ITeS/ESDM/Data Centre Units who have been allotted land in IT Parks of Nodal Agency, would be required to construct minimum 50% (for IT/ITeS/Data Centre) and minimum 40% (for ESDM) of the build-up area that can be constructed on the said land as per the permitted FAR of the development plan of that area.

#### **12.4 Lease Rent :-**

Lease rent will be charged at the rate of 2% per year of the actual lease premium payable to the allottee.

#### **12.5 Term of Lease**

Land would be allotted on a lease for 99 years with the provision for renewal.

#### **12.6 Procedure for allotment of land**

Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh through its nodal agency will make the information available; regarding land availability for allotment to the public by various means including, hosting of information on its website, periodic notification in newspapers etc.

- i. Land allotment will be done through open tender/auction.
- ii. For Mega Projects and data centres for land allotment proposal may be placed through "Cabinet Committee for Investment Promotion" (CCIP).

#### **12.7 Floor Area Ratio (FAR)**

Eligible units and the Developers in IT Parks of Department of Science and Technology, Govt. of M.P. will be eligible to avail as FAR as per development plan of that area.

#### **12.8 Sub-lease**

Allottees will be permitted to sub-lease the built-up area constructed on the allotted land for activities permitted as per the Lease Deed.

#### **12.9 Change in Purpose**

Units will be allowed to change the purpose for which land has been allotted to them which shall not go beyond the scope of this policy and with prior permission of the nodal agency. Change in purpose will be allowed only once to the unit during the tenure of the lease deed executed and applicable for the units who have not constructed and started their operations on the allotted land. This change in purpose will not be applicable for land parcels which have been earmarked for Electronic Manufacturing Clusters

#### **12.10 Mortgage**

The units would be permitted to mortgage the land for securing the term loan to be acquired for construction of the premises on the land allotted or for creation of fixed assets.

#### **12.11 General Condition for Land of Other Development Authorities**

For land allotted by other Development agencies to Government of M.O. to IT/ITeS/ESDM Units, the cost of land, land use, and other terms and conditions viz. lease rent term of lease development charges etc. will be governed by their rules.

## A2. Section 9.1.2.1 of Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Policy 2023

### 9.1.2.1 Rental Assistance

- i. The eligible units can claim assistance on rental space as follows:

District Category	Co-working Rental Assistance (per seat per month) (maximum up to)	Total Ceiling	Rental Assistance (per seat per month)	Total Ceiling
A	₹ 3000	₹ 10 Crores	₹ 1000	₹ 3 CR
B	₹ 1500	₹ 5 Crores	₹ 500	₹ 1.5 CR

- a) Category A districts: Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior and Ujjain
- b) Category B districts: Sagar, Chhindwara, Satna, Raisen, Vidisha, Dhar, Dewas.
- c) CCIP can add, delete and modify districts in Category B.

- ii. This assistance will be provided for 3 years from the month of start of commercial operations.
- iii. Minimum carpet area rented on monthly basis should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance.
- iv. Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance.
- v. In addition to above following are the conditions:

#### For Rental Assistance

- a) Rental assistance will be on the basis of employees working in single shift. In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base.
- b) The assistance will be calculated on the basis of each employee occupying a minimum of 45 square feet of carpet area in case of BPO unit(s) and 60 square feet of carpet area in case of IT/ITeS unit(s) (other than BPO).
- c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month.

#### For Co-Working Rental Assistance

The co-working space with a minimum capacity of 50 seats would be required to be registered with the nodal agency.

- a) The unit will be eligible to apply for rental assistance provided it has taken minimum 20 seats in the co-working space and it should be occupied for a minimum period of 3 months.
- b) Actual rental per seat per month to the maximum ceiling given in the above table. In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base.
- c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month.

### A3: List of Goods Eligible under the Policy

#### A. List of Goods with Minimum Capital Expenditure Threshold Limit of ₹ 2 Crore

S No	Description of Goods
i	Recycling facility for extraction of any or few or all of the strategic minerals (rare earth elements, lithium, niobium, palladium, cobalt, tantalum, indium, antimony, beryllium, ruthenium, etc.); any or few or all of the precious metals (gold, platinum, palladium, silver, etc.); and any or few or all of the base metals (copper, aluminum, nickel, tin, zinc, iron, cobalt, tantalum, etc.) or their compounds from e-waste components including PCBs (both populated and bare), li-ion batteries, spent magnets, solar PV panels, catalytic convertors, and any other components from e-waste, and also from intermediary products (like black mass, black copper, etc.) extracted from e-waste.

#### B. List of Goods with Minimum Capital Expenditure Threshold Limit of ₹ 5 Crore

S No	Description of Goods
i	SMT components including LED Chips
ii	Chip Modules for Smart Cards, RFID Antenna & Labels, CoB/System in Package
iii	Passive components including resistors, capacitors, ferrites, specialty ceramics etc. for electronic applications
iv	Electromechanical components including transformers, inductors, coils, relays, switches, micro motors, BLDC Motors, Connectors, Heat Sinks, Antenna, Speakers, Microphones, etc. for electronics applications
v	Magnetrons, Wave Guides, Circulators, Couplers, Isolators, Filters, Magnets, RF Components for electronics applications
vi	Printed Circuit Boards (PCB), PCB Laminates, Prepregs, Photopolymer films, PCB Printing Inks, Printed Flexible Electronics
vii	Sensors, Transducers, Actuators and Crystals for electronics applications
viii	Camera Modules, Vibrator motor/ringer
ix	USB/Data Cables, HDMI Cables
x	Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM)
xi	Capital goods for all the goods including components and sub-assemblies for capital goods required for manufacturing of semiconductors/displays
xii	Specialty chemicals, high purity gases, electronic specialty gases (ESG) of semiconductor grade specifications used across various stages of manufacturing of semiconductors/displays

#### C. List of Goods with Minimum Capital Expenditure Threshold Limit of ₹ 15 Crore

S No	Description of Goods
i	Active Components: <ol style="list-style-type: none"> <li>Discrete semiconductor devices including transistors, diodes, etc.</li> <li>Power semiconductors including FETs, MOSFETs, Thyristors, etc.</li> </ol>
ii	Preform of Silica and Optical Fiber
iii	Display Assembly and Touch Panel/Cover Glass Assembly and Cover Glass Finishing

#### D. List of Goods with Minimum Capital Expenditure Threshold Limit of ₹ 25 Crore

S No	Description of Goods
i	Micro/Nano-electronic components such as Micro Electromechanical Systems (MEMS) and Nano Electromechanical Systems (NEMS)
ii	Assembly, Testing, Marking, and Packaging (ATMP) Units
iii	Engineering, R&D, Testing and Tool Prototyping for capital goods for manufacturing of semiconductors/displays

#### E. List of Goods with Minimum Capital Expenditure Threshold Limit of ₹ 75 Crore

S No	Description of Goods
i	Mechanics (plastic and metal parts) for electronic applications

#### F. List of Goods with Minimum Capital Expenditure Threshold Limit of ₹ 250 Crore

S No	Description of Goods
i	Compound Semiconductors such as GaN, SiC, GaAs, etc. and Silicon Photonics devices/Integrated Circuits, Optoelectronic components
ii	Solar Photovoltaic (SPV) Cells

#### G. List of Goods with Minimum Capital Expenditure Threshold Limit of ₹ 500 Crore

S No	Description of Goods
i	Semiconductor Wafers
ii	Semiconductor Wafer Chips (ICs) including Logic (Microprocessor, Microcontrollers, Digital Signal Processors (DSP), Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Memory, Analog/Mixed Signal ICs, etc.
iii	Display Fabrication Units including Liquid Crystal Displays (LCDs), Light Emitting Diodes (LEDs), Organic Light Emitting Diodes (OLEDs), etc. for electronics applications
iv	Solar Photovoltaic (SPV) Polysilicon and Wafers

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2025

क्र. एफ-6-1-2022-इकतालीस-2.— राज्य शासन एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट—अ अनुसार “मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति, 2025 (Madhya Pradesh Drone Promotion & Usage Policy, 2025)” जारी करता है।

2. यह आदेश मंत्री-परिषद् के आयटम क्रमांक 02 दिनांक 4 फरवरी, 2025 में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट-अ



**Department of Science & Technology  
Government of Madhya Pradesh**

**Madhya Pradesh Drone Promotion  
and Usage Policy 2025**

## Contents

Abbreviations .....	.....
Definitions .....	.....
1. Background.....	.....
2. Need for Drone Policy.....	.....
3. Drone Use Cases .....	.....
4. Vision .....	.....
5. Objectives.....	.....
6. Policy Implementation, Coverage and Validity.....	.....
6.1. Policy validity .....	.....
6.2. Policy Amendments & Guidelines .....	.....
6.3. Policy Facilitation and Nodal Agency .....	.....
6.4. Other Salient Points .....	.....
6.5. Appeal .....	.....
7. Eligibility and Conditions .....	.....
8. Drone Ecosystem .....	.....
8.1. Data Repository .....	.....
8.2. Data Directory.....	.....
8.3. Public Awareness and Education.....	.....
8.4. Skilled Manpower.....	.....
8.5. Establishment of Drone Schools of Excellence .....	.....
8.6. Technical Skill Development.....	.....
8.7. Research and Development .....	.....
8.8. Sector Promotion.....	.....
8.9. Drone Enabled e-Governance .....	.....
9. Fiscal Incentives .....	.....
9.1. Capex Subsidy .....	.....
9.2. Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges .....	.....
9.3. Subsidy towards lease rentals .....	.....
9.4. R&D Grant.....	.....
9.5. Incentives to develop the talent pool .....	.....
9.6. Marketing Assistance .....	.....
9.7. Assistance for Patent Filing .....	.....
9.8. Assistance for Testing, Calibration & Certifications .....	.....
9.9. Customised incentives for Mega Projects .....	.....
9.10. Subsidy for Introducing Drone Related Courses .....	.....
10. Non-Fiscal Incentives .....	.....

## Abbreviations

- i. **AIM:** Atal Innovation Mission
- ii. **BVLOS:** Beyond Visual Line of Sight
- iii. **CAPEX:** Capital Expenditure
- iv. **CCIP:** Cabinet Committee for Investment Promotion
- v. **DGCA:** Directorate General of Civil Aviation
- vi. **DSDM:** Drone System Design and Manufacturing
- vii. **DeS:** Drone Enabled Services
- viii. **ESC:** Electronic Speed Controller
- ix. **FPOs:** Farmer Producer Organizations
- x. **LiDAR:** Light Detection and Ranging
- xi. **LIPO Battery:** Lithium-Ion Polymer battery
- xii. **MMSKY:** Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana
- xiii. **MPSEDC:** Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation
- xiv. **R&D:** Research and Development
- xv. **SGST:** State Goods and Services Tax
- xvi. **UAV:** Unmanned Aerial Vehicle
- xvii. **UTM:** Unmanned Aircraft System Traffic Management

## Definitions

- i. "**Drone**" means an Unmanned Aircraft System, implying an aircraft that can operate autonomously or can be operated remotely without a pilot on board.
- ii. "**Drone Rules, 2021**" means the rules as notified by the Government of India vide notification no. AV-29017/37/2021-SDIT-MoCA dated 25th August 2021, as amended from time to time.
- iii. "**Department**" means Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh.
- iv. "**Nodal Agency**" here refers to Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation (MPSEDC)
- v. "**Commencement of Commercial Operations / Production**" means the date on which the Drone enterprise Commences Commercial Operations / Production as certified by the concerned department.
- vi. "**Drone System Design and Manufacturing (DSDM) Enterprises**" means the Designing, Testing, Manufacturing of Drones or Drone Components and Assemblies for OEMs of Drones. It will also include drone hardware, drone communication devices, electronic manufacturing services for drones, embedded software of these systems and associated components.
- vii. "**Drone Enabled Services (DeS) Enterprises**" means the use of Drone Technology to provide services, drone related training, repair and any other Drone enabled service which results from the use of drone system for realizing value addition.
- viii. "**Eligible Enterprise**" means an enterprise fulfilling the eligibility criteria as per the provisions made under this Policy.
- ix. "**Existing Enterprise**" means DSDM/DeS enterprise engaged in providing services / manufacturing and registered / acknowledged/taken on record by the Department and has Commenced Commercial Operations / Production before the Appointed Date.
- x. "**New Enterprise**" means a DSDM/ DeS enterprise located within the State, that commences operations/production on or after the date of notification of this Policy and registered/ acknowledged/taken on record by the Department or Nodal Agency
- xi. "**Substantial expansion**" means an increase by not less than 25% in the value of plant and machinery/ equipment by existing enterprise for expansion of capacity or modernization or diversification
- xii. **Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Policy** means the policy as notified by Madhya Pradesh Government vide notification no. F1-1/2022/41-2 dated 29-09-2023, as amended from time to time.

## 1. Background

India has always had a strong focus on science and technology, recognizing it as a key element for economic growth. The onset of the Digital India campaign has accelerated the use of technology in every sector. The drone sector in India has experienced transformative growth, driven by government policies, technological advancements, and increased funding. The global market is projected to grow from USD 71 billion in 2022 to USD 144 billion by 2030<sup>1</sup>. The Indian drone market is expected to reach USD 13 Billion by 2030 from the current USD 2.71 Billion<sup>2</sup>.

Key drivers of this growth include the agriculture sector, where drones are used for crop monitoring, precision agriculture, and irrigation management. The defense and security sectors have integrated drones for surveillance, reconnaissance, and tactical support, enhancing national security. The logistics industry, propelled by e-commerce growth, uses drones for last-mile delivery, reducing transportation costs and improving efficiency.

Additionally, the infrastructure sector leverages drones for inspecting critical assets like bridges and power lines. Proactive government support has been pivotal, with the central and state governments providing substantial funding and incentives to foster the growth of the domestic drone industry. Initiatives like the Production Linked Incentive (PLI) scheme, offering a 20% incentive on value addition, and the Digital Sky Platform have streamlined regulatory frameworks. The designation of 90% of Indian airspace as a "green zone"<sup>3</sup> facilitates easier drone operations without prior security clearances.

## 2. Need for Drone Policy

The need for a comprehensive drone policy in Madhya Pradesh is critical to harness the full potential of drone technology for economic growth, innovation, and improved governance. Drones offer unique capabilities for real-time monitoring, data collection, and efficient service delivery across various sectors such as agriculture, infrastructure, disaster management, and public safety.

A well-defined drone policy will promote the safe and efficient use of drones, addressing concerns related to privacy, security, and safety. By establishing clear guidelines and regulations, the policy will ensure that drone operations are conducted responsibly, minimizing risks to people and property.

Promoting the manufacturing of drones within the state is equally important. Madhya Pradesh can leverage its strategic location and existing industrial base to become a hub for drone manufacturing. This will not only create jobs but also attract investments,

<sup>1</sup> Growth of the Indian Drone Sector in 2024: A Transformative Year - Tech News.

<sup>2</sup> Comprehensive Indian Drone Sector Report 2024

<sup>3</sup> Civil Aviation Declares 90% Airspace as Green Zone for Drones

fostering economic development. These measures would encourage local manufacturing and assembly of drones within the state.

Furthermore, the policy would help in focusing on developing a skilled workforce by introducing drone-related courses in educational institutions and setting up training centers. This will ensure a steady supply of qualified professionals to support the growing drone industry.

By implementing a robust drone policy, Madhya Pradesh can position itself as a leader in drone technology, driving innovation and economic growth while ensuring the safe and responsible use of drones. This will ultimately contribute to the state's vision of becoming a technologically advanced and economically prosperous region. This coupled with space technology & GIS shall be force multiplier for various applications.

### **3. Drone Use Cases**

Drones, also known as Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), have revolutionized various industries by offering innovative solutions for a wide range of applications. Their ability to capture real-time data, access hard-to-reach areas, and perform tasks with precision and efficiency makes them invaluable tools in modern technology. The following sections highlight some of the key use cases for drones, demonstrating their versatility and impact across different sectors. It is important to note that this *list is not exhaustive*, as the potential applications of drone technology continue to expand with ongoing advancements and innovations.

#### **i. Agriculture**

- **Crop Monitoring:** Drones equipped with multispectral sensors can monitor crop health, detect diseases, and assess crop yields.
- **Precision Agriculture:** Drones can apply fertilizers and pesticides precisely, reducing waste and environmental impact.
- **Irrigation Management:** Drones can identify areas that need more or less water, optimizing irrigation practices.

#### **ii. Disaster Management**

- **Search and Rescue:** Drones can quickly locate survivors in disaster-stricken areas using thermal imaging and high-resolution cameras.
- **Damage Assessment:** Drones can provide detailed images of affected areas, helping authorities prioritize recovery efforts and insurance claims.
- **Delivery of Supplies:** Drones can deliver medical supplies and food to inaccessible areas during emergencies.

#### **iii. Infrastructure and Construction**

- **Surveying and Mapping:** Drones can create accurate 3D maps and models of construction sites, aiding in planning and monitoring.
- **Inspection:** Drones can inspect bridges, buildings, and other infrastructure for maintenance and safety assessments.
- **Progress Monitoring:** Drones can provide real-time updates on construction progress, helping project managers stay on schedule.

#### iv. Environmental Monitoring

- **Wildlife Conservation:** Drones can monitor wildlife populations and track movements without disturbing the animals.
- **Pollution Monitoring:** Drones can measure air and water quality, helping to identify sources of pollution.
- **Forest Management:** Drones can monitor forest health, detect illegal logging, and assess the impact of forest fires.

#### v. Public Safety and Law Enforcement

- **Surveillance:** Drones can provide real-time surveillance of public events, helping to ensure safety and security.
- **Traffic Monitoring:** Drones can monitor traffic flow and identify congestion points, aiding in traffic and crowd management.
- **Crime Scene Investigation:** Drones can capture detailed images of crime scenes, preserving evidence for investigations.

### 4. Vision

To establish *Madhya Pradesh* as a leading hub for drone manufacturing and technology, fostering innovation, economic growth, and employment through the safe and efficient use of drones, while also incorporating advanced capabilities such as drone image processing and AI/ML technologies.

### 5. Objectives

- i. Promote the use of drones in government as well as other sectors for improved governance and service delivery
- ii. Ensure the safety, security, and privacy of citizens in drone operations.
- iii. Encourage research and development in drone technology and its application
- iv. Develop a skilled workforce for the drone industry.
- v. Provide fiscal incentives to attract investments in drone manufacturing and services
- vi. Create ecosystem for promoting drone manufacturing, R&D, innovation and Drone Enterprise Services.

## 6. Policy Implementation, Coverage and Validity

### 6.1. Policy validity

- i. The policy shall remain in effect from the date of its notification for a period of five years, unless otherwise specified by the Department of Science and Technology or superseded by a subsequent policy.

### 6.2. Policy Amendments & Guidelines

- i. Any amendments or modifications to the policy or its guidelines shall be formally notified by the Department of Science & Technology.
- ii. Department of Science and Technology will be responsible for developing and implementing clear, consistent, and user-friendly rules and regulations.

### 6.3. Policy Facilitation and Nodal Agency

- i. Department of Science and Technology will facilitate coordination and collaboration between different government departments and stakeholders as per the requirement.
- ii. Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation (MPSEDC) shall act as the Nodal Agency to oversee the implementation of the policy.
- iii. Setting up of a facilitation cell within MPSEDC to provide assistance and guidance to drone operators for obtaining necessary approvals and permits.

### 6.4. Other Salient Points

- i. Enterprises that have already received similar benefits from other state/central government policies or schemes are generally not eligible, unless explicitly stated in this policy.
- ii. All incentive applications must be submitted, and incentives disbursed online through the MPSEDC portal. The proposed portal will feature an end-to-end online system with time-bound clearances. The portal services would be brought under **Madhya Pradesh Public Services Guarantee Act, 2010**, which mandates the delivery of public services within a stipulated time frame.
- iii. Alignment with the National Drone Rules, 2021, while addressing the specific needs and contexts of the state. Drone enterprises in the state must ensure compliance with National Drone Rules, 2021 (or any subsequent amendments or policies) for getting the benefits.

### 6.5. Appeal

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, in-charge of Department of Science and Technology (DoST), Government of Madhya Pradesh (GoMP) will be the appellate authority in all matters related to this policy.

## 7. Eligibility and Conditions

Government of Madhya Pradesh intends to support enterprises in the Drone Technology sector. The incentives under this policy shall be applicable to all enterprises fulfilling/ fitting the following definitions as well as adhere to the compliances of Drone Policy of Government of India 2011 (or any subsequent amendments or policies) and its amendments time to time.

- i. **New enterprise** registered and setting up its operations in Madhya Pradesh on or after the date of notification of this policy for the following types of Drone Enterprises:
  - a. **Drone System Design and Manufacturing (DSDM)** Enterprises are specialized companies that focus on the creation and production of drones. These enterprises undertake a variety of functions to ensure the development of high-quality, reliable, and efficient drones. Here are the key functions they perform (for reference only):
    - **Concept and Design:** Initial conceptualization to define the idea and purpose, design phase using CAD software for 3D models emphasizing functionality, aerodynamics, and aesthetics, and prototyping to create and refine prototypes.
    - **Component Manufacturing:** Involves constructing the frame or chassis from materials like aluminium alloy or carbon fibre or any other new age material, producing motors and propellers for thrust, ESCs to control motor speed, flight controllers to process sensor data, integrating various sensors, and using LiPo batteries for optimal performance.
    - **Assembly and Integration** involves putting together the airframe and integrating all necessary components, such as motors, propellers, ESCs, flight controllers, and sensors. Software integration includes installing and configuring the required software and electronics to ensure the drone functions correctly.
    - **Testing and Quality Assurance:** Involves Functional testing to ensure drone meets required specifications, including flight stability and component functionality. Performance testing evaluates the drone's reliability and efficiency under various conditions. Certification is obtained to comply with industry standards/DGCA and regulations
    - **Deployment and Support:** Deployment methods are determined based on the drone's size and purpose, such as ground launch, aircraft launch, or water launch. Customer support involves providing ongoing maintenance and support services to ensure the drone's longevity and performance.

- **Innovation and Development:** Research and development focus on continuously exploring new technologies and materials to enhance drone design and functionality. AI and emerging technologies are incorporated to improve drone capabilities, such as image analysis for various applications.
- b. **Drone Enabled Services (DeS) Enterprises:** Enterprises using Drone Technology to provide services, drone related training, repair and any other Drone enabled service which results from the use of drone system for realizing value addition. These leverage the unique capabilities of UAVs, such as agility, manoeuvrability, and remote operation, to provide innovative solutions and enhance operational efficiency across a wide range of industries.

These services encompass a broad spectrum of applications, including but not limited to:

- **Data Processing and Analytics:** Collecting high-resolution imagery, aerial photography, and sensor data for various purposes, such as mapping, surveying, and environmental monitoring. Improving efficiency, accuracy, and productivity in data analysis, unlocking the full potential of drone data across various sectors.
  - **Inspection and Monitoring:** Conducting inspections of infrastructure (bridges, power lines, pipelines), monitoring environmental conditions (pollution, deforestation), and assessing damage in disaster areas.
  - **Logistics and Delivery:** Transporting goods, delivering medical supplies, and providing emergency assistance in remote or inaccessible locations.
  - **Agriculture:** Optimizing agricultural practices through tasks such as crop monitoring, precision farming, and yield estimation.
  - **Construction and Surveying:** Creating 3D models of construction sites, conducting topographical surveys, and monitoring construction progress.
- ii. **Expansion** means existing enterprises undertaking substantial expansion by not less than 25% of their Fixed Capital Investment, on or after the date of notification of this policy will be eligible for availing incentives, concessions and facilities. The eligible drone enterprises would be as per 7.i.a and 7.i.b.

## 8. Drone Ecosystem

Developing a robust drone ecosystem in Madhya Pradesh is crucial for fostering innovation, economic growth, and improved governance. Infrastructure ensures the availability of essential resources for drone operations. Having a robust ecosystem would create a supportive environment that attracts investments, generates employment, and

enhances the state's technological capabilities, positioning Madhya Pradesh as a leader in the emerging drone industry. The following measures would be taken under this policy:

#### **8.1. Data Repository**

- i. Department of Science and Technology (DST) will establish a comprehensive **Madhya Pradesh Drone Data Repository** which will be a centralized platform for government drone data and imagery, inspired by the **PM Gati Shakti** initiative. It aims to enhance data sharing and collaboration among various departments, utilizing GIS-based spatial planning and analytical tools for better visibility and monitoring. The repository will enable real-time updates and dynamic monitoring, ensuring efficient resource allocation and optimized infrastructure development. Benefits include improved coordination, informed decision-making, cost and time efficiency, and enhanced project tracking. The data repository created will be made publicly available in accordance with the Government of India's data sharing norms for the Gatisakti portal.
- ii. Department will ensure secure data management and controlled access while collaborating with stakeholders to maintain the repository's accuracy and completeness.
- iii. The state government will ensure that all drone data collected by state agencies is handled and stored in accordance with data protection laws and regulations as per National Geospatial Policy 2022 or any subsequent amendments or policies.
- iv. The state will promote the use of secure data storage and transmission technologies to safeguard sensitive information.

#### **8.2. Data Directory**

- i. The nodal agency would create a database of DSDM enterprises, DeS enterprises & certified drone professionals to facilitate industry networking and employment opportunities.

#### **8.3. Public Awareness and Education**

- i. The **Nodal Agency** will launch public awareness campaigns to educate citizens about the benefits and risks of drone technology.
- ii. The state government will encourage the integration of drone education into school and college curricula.

#### **8.4. Skilled Manpower**

Recognizing the critical need for a skilled workforce to fuel the growth of the drone industry in Madhya Pradesh, this policy emphasizes the following initiatives:

- i. Collaboration with NITI Aayog's Atal Innovation Mission: Partner with AIM to introduce age-appropriate drone technology modules in school curricula.
- ii. Hands-on Experience: Provide students with opportunities to engage with drones through workshops, competitions, and experiential learning.
- iii. Teacher Training: Equip teachers with the knowledge and skills necessary to effectively teach drone-related concepts.

#### **8.5. Establishment of Drone Schools of Excellence**

To foster a skilled workforce and promote the adoption of drone technology, the Madhya Pradesh Drone Policy shall establish drone schools by state government investment or through PPP mode across the state. The initiative aims to provide comprehensive training and education in drone technology, ensuring that students and professionals are well-equipped to meet the growing demands of the industry.

#### **8.6. Technical Skill Development**

- i. Partnership with Technical Institutions: Polytechnics, ITIs, and engineering colleges will be promoted to develop curricula specific to drone/parts design, Drone image analytics, AI tools etc.
- ii. Industry-Aligned Curricula: Develop training programs in collaboration with drone industry stakeholders to ensure the youth possess the skills required for employment in drone industry especially drone manufacturing, repair and assembling and data processing.
- iii. Practical Training Facilities: Establish dedicated facilities for hands-on training, including flight simulators, drone maintenance workshops, and designated flying zones.
- iv. AI and Emerging Technologies: Develop programs to Incorporate AI and emerging technologies to analyze imagery, enhancing the capabilities of drones in various applications such as agriculture, surveillance, and mapping.

#### **8.7. Research and Development**

- i. Public-Private Partnerships: Foster research and development in drone technology through collaborations between state government, universities, research institutions, and drone companies in the areas of R&D, testing and calibration.
- ii. Funding Support: Provide financial support to research projects that focus on cutting-edge technologies like drone swarm intelligence, advanced navigation systems, image processing using AI and drone-based data analytics etc.

#### **8.8. Sector Promotion**

- i. Department would organize Hackathons, Workshops, Trainings, Conferences and Seminars to update drone professionals as well as government

- stakeholders on the latest technologies, safety regulations, and industry best practices.
- ii. Promote Online Learning Platforms: Leverage online platforms to provide access to affordable and accessible drone training resources.

### 8.9. Drone Enabled e-Governance

Madhya Pradesh's drone policy will foster a thriving drone ecosystem by focusing on key areas. It will promote drone-enabled services by **simplifying regulations and developing infrastructure**.

By creating a conducive environment, the MP drone policy will unlock the full potential of drone-enabled services, driving innovation and economic growth in the state. The policy would promote the use of drone in Governance and functioning of various departments like:

- **PM Swamitva Yojana and Land Surveys:** Utilize drones for efficient land record management and updating, particularly in rural areas.
- **Law and Order and Security:** Employ drones for surveillance, crowd control, and disaster management, especially in remote and inaccessible areas.
- **Forest and Wildlife Conservation:** Monitor illegal logging, poaching, and forest fires in Madhya Pradesh's vast forest cover.
- **Agriculture and Horticulture:** Promote precision agriculture, crop monitoring, and pest control in the state's agricultural heartland.
- **Healthcare Deliveries in Far-Flung Areas:** Facilitate the delivery of essential medicines, blood samples, and medical supplies to remote and underserved areas.
- **Infrastructure Development:** Aid in project planning, monitoring, and execution for roads, power lines, and other infrastructure projects across Madhya Pradesh.
- **Disaster Management:** Deploy drones for rapid assessment, search and rescue operations, and communication during natural disasters like floods, cyclones, and earthquakes.
- **Tourism Promotion:** Showcase Madhya Pradesh's rich cultural heritage and natural beauty through aerial photography and videography.
- **Education and Skill Development:** Integrate drone technology into educational programs to promote awareness and skill development in the field.

## 9. Fiscal Incentives

### 9.1. Capex Subsidy

40% Capital investment subsidy limited to Rs.20 Crore for fresh investments made by DSDM/DeS units post declaration of the said policy.

Capex here means, an investment made by the unit in Plant & Machinery (viz. computer hardware, software, imported/indigenous/other machinery), electrical installations, office equipment, furniture & fittings, building construction and all civil works (excluding investment made in land and dwelling units, site development, landscaping, vehicles).

#### **9.2. Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges**

Eligible unit(s) will be reimbursed 100% stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations.

#### **9.3. Subsidy towards lease rentals**

Reimbursements of 25% on lease rentals OR up to Rs 5 lakhs per annum whichever is lower, for a period of 3 years.

#### **9.4. R&D Grant**

Up to INR 2 crore for undertaking an R&D Project in the areas identified by the state or proposals received by the government under the R&D support program of Department of Science & Technology or as per Start-up policy. The R&D projects should focus on developing new cutting-edge technologies for Drones like (but not limited to):

- Advancements in **AI and machine learning** for autonomous flight, obstacle avoidance, and data analysis.
- Research into **advanced sensor technologies** such as LiDAR and synthetic aperture radar is crucial for enhancing data collection capabilities.
- Developing **robust and secure communication systems** for drone-to-drone and drone-to-ground communication
- Exploring **novel propulsion systems and energy storage solutions** like advanced batteries and fuel cells will extend flight times and increase payload capacity, expanding the operational envelope of drones etc.
- **Drone imaging research** focusing on applications like precision agriculture, infrastructure inspection, environmental monitoring, disaster response, 3D mapping, and integrating AI/ML for improved image analysis.

#### **9.5. Incentives to develop the talent pool**

Government will provide stipend reimbursement of Rs. 8000 per month (up to 6 months) under *Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana (MMSKY)* to interns in key areas such as drone assembly, software integration, flight operations, maintenance, drone image analysis, and the application of AI and ML in the drone ecosystem etc. undertaking internship programs in DSDM and DeS units registered with GOMP.

### **9.6. Marketing Assistance**

All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred for participating in designated National/International Exhibitions/Events etc. subject to a maximum limit of ₹ 2 Lakh for international and ₹ 1 Lakh for national events.

This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from the date of start of commercial operations.

### **9.7. Assistance for Patent Filing**

To promote Research and Development activities in the state, assistance for acquiring patents, subject to a limit of ₹ 5.00 lakhs per patent for domestic patents and ₹ 10.00 lakhs for international patents, or actual cost incurred whichever is lower, shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit in M.P.

### **9.8. Assistance for Testing, Calibration & Certifications**

The Government of India has been working to establish a world - leading drone eco system in India to support safe, efficient and secure access to the Indian airspace by millions of drones. The release of Drone Rules 2021 has made it possible to establish a global certification and accreditation framework for drones. Government of Madhya Pradesh would further support Drone units by providing assistance up to ₹5 lakh per year, with a capping of ₹20 lakh during policy period.

### **9.9. Customised incentives for Mega Projects**

An enhanced tailor-made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion (CCIP) on case-to-case basis, if required. The minimum threshold limit under the customized package guidelines for enterprises would be minimum investment of INR 50 crores or more.

### **9.10. Subsidy for Introducing Drone Related Courses**

Colleges/Universities/Institutes (duly recognized by Central/State Government) adding Drone-related courses shall be eligible for a CAPEX subsidy of 50% on Drone-equipment and Drone-related software costs incurred to introduce such course, subject to a limit of INR 25 lakh per institute, once during the policy period.

Reimbursement shall be made in 5 equal annual instalments post the admission of first batch of students for such Drone-related course. The Drone Schools/ Institutes should have multi-faceted courses that focus on the entire ecosystem of Drones and not just provide pilot training programs. The list of tentative courses (but not limited to) is given for reference below:

- Drone Manufacturing & Assembly
- Aerial Photography and Videography

- Surveying and Mapping
- Agriculture and Crop Monitoring
- Infrastructure Inspection
- Search and Rescue
- Environmental Monitoring
- Data Processing with GIS
- Drone Building etc.

*Only those Drone Schools/ Institutes are eligible which have not taken any other incentive for drone related courses under any central or state government policy.*

## 10. Non-Fiscal Incentives

The following exemptions under the relevant Acts will be available to eligible units:

- i. Exemptions under Shops and Establishments Act:
  - a. Establishments are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
  - b. Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women workers' security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
- ii. Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop floor during night shift subject to the conditions as specified under the Factories Act 1948 and as per notifications issued.
- iii. Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labor laws as per the notification issued by the Labour Department dated 24.06.2016.
- iv. Exemptions for Eligible units from inspections under *Madhya Pradesh Udyog Ki Sthapana Evam Parichalan ka Saralikaran Adhiniyam- 2023* from obtaining specified approvals and inspections for establishing and operationalizing units in MP for 3 years.
- v. The below specified Acts and rules framed there under, barring inspections arising out of specific complaints. Under this provision, units shall be eligible for inspection only once every 5 years under the following acts:
  - a. Minimum Wages Act, 1948
  - b. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
  - c. Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958
  - d. Payment of Bonus Act, 1965
  - e. Equal Remuneration Act, 1976
  - f. Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
  - g. Building and Construction Cess Act, 1996
  - h. Maternity Benefit Act, 1961
  - i. Payment of Gratuity Act, 1972